

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937

No. 37]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/MAGHA 7, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016

अंतिम जांच परिणाम (निर्णायक समीक्षा जांच)

विषय : सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पोलीप्रोपलीन" के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने संबंधी निर्णायक समीक्षा जांच ।

संख्या 15/14/2014-डीजीएडी - समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत नियुक्त किए गए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 14/5/2009-डीजीएडी के तहत सिंगापुर, सऊदी अरब और ओमान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित

“पोलीप्रोपलीन” {अर्थात् प्रोपलीन के होमोपोलिमर्स और प्रोपलीन के कोपोलिमर्स तथा एथिलीन) जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है } के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी शुल्क संबंधी जांच शुरू की थी।

2. प्राधिकारी ने दिनांक 15 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/05/2009-डीजीएडी द्वारा इसके प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या 82/2009-सीमाशुल्क द्वारा अनन्तिम शुल्क लगाए गए थे। प्राधिकारी ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/05/2009-डीजीएडी द्वारा इसके अंतिम परिणाम जारी किए थे (जिसे आगे मूल निष्कर्ष भी कहा गया है)। इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 19 नवंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 119/2010-सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे जो कि सिंगापुर, सऊदी अरब और ओमान की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लागू किए जाने की तारीख अर्थात् 30 अगस्त, 2009 से लागू किए गए थे।

3. माननीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के दिनांक 14.05.2012 के विविध आदेश संख्या एडी/एम/2-4-2012-सीयू (डीबी) के आदेश के अनुसरण में माननीय प्राधिकारी ने निर्णय लेने के पश्चात् सभी हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की थी और दिनांक 23.08.2010 के अंतिम परिणाम के निष्कर्षों की संपुष्टि करते हुए दिनांक 09.08.2012 को अंतिम जांच परिणाम जारी कर दिया था।

4. सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ लगाए गए शुल्कों को क्रमशः दिनांक 30.12.2011 की सीमा-शुल्क की अधिसूचना संख्या 130/2011 तथा दिनांक 02.12.2013 की सीमा-शुल्क की अधिसूचना संख्या 32/2013 द्वारा रद्द कर दिया गया था।

5. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत् पर्याप्त रूप से अधिप्रमाणित आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 28 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/14/2014-डीजीएडी द्वारा सिंगापुर (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी ताकि इसकी जांच की जा सके कि क्या लगाए गए शुल्कों को समाप्त कर देने के फलस्वरूप पाटन निरंतर बना रहेगा अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी तथा घरेलू उद्योग को उससे होने वाली क्षति जारी रहेगी। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क की वैधता अवधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या 38/2014-सीमाशुल्क (एडीडी)द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था जिसमें जुलाई, 2015 का 29वां दिवस शामिल है।

6. प्राधिकारी के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 17 के अनुसार इस जांच को पूरा करने की अवधि को बढ़ा कर 27 जनवरी, 2016 कर दिया है।

7. मौजूदा समीक्षा के कार्य क्षेत्र में, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उपरोक्त वस्तुओं के आयातों से संबंधित मूल जांच के सभी पहलु शामिल हैं।

8. मेसर्स एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पैसेफिक (जिसे आगे “एक्सोन मोबिल” कहा गया है), मेसर्स दि पोलियोलेफिन कंपनी (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड (जिसे आगे “टीपीसी” कहा गया है) और मेसर्स इटोचु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड (जिसे आगे “इटोचु” कहा गया है) के संबंध में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की मौके पर जांच, दिनांक 23 - 25 नवंबर, 2015 को सिंगापुर में की गई थी।

क. क्रियाविधि

9. संबद्ध जांच के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण किया गया है :-

- (1) नियम 6 (2) के अनुसार जांच शुरू किए जाने के बारे में सिंगापुर गणराज्य के नई दिल्ली में स्थिति उच्च आयुक्त को सूचित कर दिया गया था।
- (2) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार संबद्ध देश के उच्च आयुक्त और ज्ञात निर्यातकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रतियां प्रदान कर दी थीं। आवेदन पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की एक प्रति को सार्वजनिक फाईल में भी उपलब्ध करा दिया गया था तथा जिस किसी भी अन्य हितवद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया था, ऐसी प्रति उसको भी प्रदान कर दी गई थी।
- (3) प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात विनिर्माताओं/निर्यातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित कर दी थी तथा नियम 6 (2) और 6 (4) के अनुसार उन्हें अवसर प्रदान किया गया था कि वे उक्त पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्राधिकारी को लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत करा दें :-

सिंगापुर

1. मेसर्ज एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पेसिफिक, सिंगापुर
2. मेसर्ज इटोचु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
3. मेसर्ज मरुबेनी केमिकल एशिया पेसिफिक प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
4. मेसर्ज सुमिटोमो केमिकल एशिया प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
5. मेसर्ज सुमिटोमो कोर्पोरेशन एशिया प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
6. मेसर्ज दि पोलियोलेफिन कंपनी (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
7. मेसर्ज टोयोटा टसुशो (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
10. जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना के संबंध में संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिए हैं :-
 1. मेसर्ज एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पेसिफिक, सिंगापुर
 2. मेसर्ज इटोचु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
 3. मेसर्ज दि पोलियोलेफिन कंपनी (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
11. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रतियां, भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं/एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की थीं और उन्हें सलाह दी थी कि वे नियम 6 (4) के अनुसार उक्त पत्र को जारी किए जाने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर प्राधिकारी को लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत करा दें :-
 - (1) आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक्स प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया, मुंबई
 - (2) ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुंबई
 - (3) ऑल इंडिया टेप मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
 - (4) पी. पी. पोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता
 - (5) ताराज्योत पॉलीमर्स लिमिटेड, कोलकाता
 - (6) आई टी सी लिमिटेड, कोलकाता

- (7) पहाड पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड, कोलकाता
- (8) टाईम पैकेजिंग लिमिटेड, कोलकाता
- (9) पेट्रो प्लास्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चेन्नई
- (10) दि सुप्रीम ग्रुप, मुंबई
- (11) बिग बैग्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, बंगलौर
- (12) पेरामाउंट कम्युनिकेशनस लिमिटेड, नई दिल्ली
- (13) पैकेजिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई
- (14) फलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नोएडा
- (15) बिशन स्वरूप रामकिशन एग्रो, दिल्ली
- (16) ब्लो पैकेजिंग (इंडिया) लिमिटेड, चेन्नई
- (17) केमिकल पोलीपैक ईवेट लिमिटेड, चेन्नई
- (18) हार्डट्रो एस एंड एस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चेन्नई
- (19) एक्सआईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता
- (20) पेटाडाईभा ऑटो पार्ट्स लिमिटेड, चेन्नई
- (21) वीके पोलीकोट्स लिमिटेड, नई दिल्ली
- (22) मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड, गुडगांव
- (23) डोव केमिकल इंटरनेशनल लिमिटेड, मुंबई
- (24) हितेष प्लास्ट लिमिटेड, मुंबई
- (25) जेनरल कोमोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड, बंगलौर
- (26) बाँमेर लॉरी – वॉन लियर लिमिटेड, मुंबई
- (27) बैक्सटर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, गुडगांव

12. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त किसी भी आयातक अथवा प्रयोक्ता द्वारा कोई सहभागिता नहीं की गई है।

13. मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच में विश्लेषण करने के लिए वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने संभावित मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ डीजीसीआई एंड एस के जांच अवधि पश्चात के आयात आंकड़ों, डीजी प्रणालियों, विश्व व्यापार एटलस के साथ-साथ संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की भी जांच की है।

14. ऐसे निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को इस जांच के संबंध में न तो कोई उत्तर दिया है और न ही कोई संबद्ध सूचना प्रस्तुत की है, प्राधिकारी द्वारा उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

15. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है तथा उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।

16. नियम 6 (7) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध करा दिया था ताकि इच्छुक पक्षकार उनका निरीक्षण कर सकें।

17. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत का आकलन करने और भारत में संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की उसकी सुसंगत क्रियाविधि के अनुसार जांच की है, ताकि इसका पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से निम्नतर पाटन-रोधी शुल्क, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

18. प्राधिकारी पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के प्रावधान के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 20.02.2015 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। तथापि, मौखिक सुनवाई के बाद अचानक प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर एक नए अधिकारी को निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करना पड़ गया। ऐसे परिवर्तन से यह जरूरी हो गया था कि ऑटोमेटिव टायर मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में वर्ष 2006 की सिविल अपील संख्या 949 के मामले में दिनांक 07.01.2011 के माननीय उच्चतम न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नई सार्वजनिक सुनवाई की जाए। इसलिए नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2015 को नई मौखिक सुनवाई की गई थी। इस सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से पुनः अनुरोध किया गया था कि वे अपने मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों/निवेदनों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें।

19. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का निदान, जिस सीमा तक इस संबंध में प्रासंगिक था और साक्ष्य से समर्थित थे, उनका निदान इस निर्णय में किया गया है।

20. जितना आवश्यक समझा गया है, सहभागी घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों की उतनी जांच की गई है।

21. मौजूदा जांच में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जहां कहीं भी आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच में विशेष रूप से अड़चन पैदा की है, वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध उत्तम सूचना" को प्रयुक्त किया है तथा ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है।

22. उपरोक्त नियमावली 1995 के नियम 16 के अनुसार विचाराधीन अत्यावश्यक तथ्यों को जो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय का आधार बनते हैं, 13 जनवरी, 2016 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को उनका प्रकटन कर दिया गया था। उन पर प्राप्त हुई टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया है, उनको इस अंतिम निर्णय के लिए ध्यान में रखा गया है।

23. इस अंतिम जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।

24. मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि, 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक (12 महीनों की) है और क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और जांच की अवधि (पीओआई) पर विचार किया गया है।

25. प्राधिकारी द्वारा इस जांच अवधि के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 60.86 रूपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु का कार्य क्षेत्र

• **घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

26. जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है, मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद "पोलीप्रोपलीन {अर्थात् प्रोपलीन के होमोपोलिमर्स और प्रोपलीन के कोपोलिमर्स तथा एथिलीन} है, जिसमें विस्तारित पोलीप्रोपलीन के बीड (ईपीपी) शामिल नहीं हैं" जो कि सीमा-शुल्क के शीर्ष 3902 (जिसे आगे "संबद्ध वस्तुएं" भी कहा गया है) के समनुरूप है। संबद्ध वस्तुओं का उपयोग, सीमेंट, खाद्यान्नों, चीनी, उर्वरक के लिए बुने हुए बोरों, फलों और सब्जियों के बोरों, टी क्यू और बीओपीपी फिल्मों, कन्टेनरों आदि के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 में "प्लास्टिक्स और उसकी वस्तुएं" की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा उसके आगे सीमा-शुल्क वर्गीकरण वर्गीकरण के अनुसार इन्हें 39021000 और 39023000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा-शुल्क का वर्गीकरण निदर्शी मात्र है और यह मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र में किसी भी तरीके से बाध्यकारी नहीं है।

27. चूंकि मौजूदा जांच, निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी की सुसंगत प्रक्रिया पद्धति के अनुसार मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है, जो कि मूल जांच में था।

28. तथापि, घरेलू उद्योग ने दिनांक 13.10.2015 के अपने पत्र द्वारा यह निवेदन किया है कि विस्टेमेक्स जैसे प्रोपलीन आधारित इलेस्टोमर्स को इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाए कि विस्टेमेक्स की ही तरह इलेस्टोमर्स में 15-25 % की सीमा तक अधिक एथिलीन होता है, जो कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाले प्रोपीलीन और एथिलीन के को-पोलीमर की तुलना में बहुत अधिक है। प्रारंभिक जांच के समय घरेलू उद्योग ने एथिलीन की अधिक मात्रा युक्त को-पोलीमर निर्मित करने का प्रयास किया था लेकिन प्रौद्योगिकी की अड़चनों के कारण वह सुस्थिर आधार पर ऐसा नहीं कर सका था। उसके बाद वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू होने के समय, घरेलू उद्योग ने इनपुट आंकड़ों के कार्यक्षेत्र और इस जांच के अधिकार क्षेत्र से ऐसे ग्रेडों को निकाल दिया है।

• **उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और एसोशिएशनों द्वारा किए गए निवेदन**

29. सार्वजनिक सुनवाई के समय विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है।

• **प्राधिकारी द्वारा जांच**

30. मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद वही माना गया है जिसे मूल जांच में परिभाषित किया गया है, अर्थात् पोलीप्रोपलीन {अर्थात् प्रोपलीन के होमोपोलिमर्स और प्रोपलीन के कोपोलिमर्स तथा एथिलीन} है, जिसमें विस्तारित पोलीप्रोपलीन के बीड (ईपीपी) शामिल नहीं हैं और टर-पोलिमर है, जैसा कि दिनांक 23.08.2010 के मूल अंतिम जांच परिणाम 14/5/2009-डीजीएडी के पैरा 33 और 36 में उल्लिखित है। संबद्ध वस्तुओं को सीमा-शुल्क के शीर्ष 39021000 और 39023000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा-शुल्क का वर्गीकरण निदर्शी मात्र है और यह मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र में किसी भी तरीके से बाध्यकारी नहीं है।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

"ऐसी वस्तु जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांचाधीन वस्तु से हर तरीके से समनुरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि, उसमें जांचाधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हैं"।

32. भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुएं, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की जा रही वस्तुओं के समान ही हैं। उनमें तकनीकी विनिर्देशनों अथवा कार्यों अथवा पाटित आयातों और घरेलू रूप से निर्मित संबद्ध वस्तुओं के अंत प्रयोगों के रूप में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों वस्तुएं, तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती हैं। इसके फलस्वरूप प्राधिकारी ने मूल जांच के पैरा 38 और 39 में अपने निष्कर्षों का पुनः उल्लेख किया है तथा उनकी यह धारणा है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं, सिंगापुर से आयातित वस्तुओं के समान हैं।

33. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मूल जांच में हालांकि विभिन्न ग्रेडों को बाहर रखने के संबंध में निवेदन किए गए थे, फिर भी अंतिम परिणाम के पैरा 33 और 36 में यथा स्वीकृत केवल कुछ ग्रेडों को बाहर रखा गया है। ऐसा घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की लागत, कीमत और परस्पर रूप से प्रतिस्थापित किए जाने के कारकों पर विचार करते हुए किया गया है। मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और उसके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसका दर्जा

34. निर्णायक समीक्षा जांच के लिए वर्तमान आवेदन पत्र मेसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में 74% का अंशदान है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य ज्ञात उत्पादक हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं : मेसर्स हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मेसर्स इंडियन ऑयल कापेरेशन लिमिटेड और मेसर्स एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड। मौजूदा जांच में देश में किसी भी अन्य उत्पादक ने घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र का विरोध नहीं किया है। इसलिए याचिकादाता, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए घरेलू दर्जा प्राप्त करने योग्य है और वह क्षति की जांच करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है। किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक/हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दर्जे और उसके कार्यक्षेत्र के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निवेदन नहीं किया है।

घ. गोपनीयता

• सिंगापुर से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निवेदन

35. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उसने गोपनीय आधार पर प्रदान की गई अपनी सूचना का कोई सार्थक सारांश भी प्रदान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करने में भी विफल रहा है कि गोपनीयता आधार पर प्रदान की गई सूचना के संक्षिप्त विवरण क्यों संवेदनशील है। इससे प्रतिवादी को याचिका में किए गए उनके दावों का पूरा विश्लेषण करने से रोका गया है।

36. घरेलू उद्योग अपने द्वारा विनिर्मित ग्रेडों से संबंधित सूचना को गोपनीय रखा है। जहां तक कि तकनीकी, कार्यात्मक और ग्रेड विशिष्ट विनिर्देशन संबंधी सूचना को भी गोपनीय रखा गया है।

37. याचिकादाता ने याचिका के भाग- 6 में लागत संबंधी सूचना की गोपनीयता का दावा किया है। जहां तक कि याचिकादाता का यह दावा कि सूचना के प्रकटन से प्रतिस्पर्द्धियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, सही नहीं है और इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है, फिर भी ऐसे मामलों में याचिकादाता को लागत संबंधी सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। याचिकादाता लागत के संबंध में प्रत्येक प्रश्न का एक समान तरीके से उत्तर देने का हकदार नहीं है। जहां कहीं भी निवेदन के सूचीबद्ध वृत्तान्त को प्रस्तुत करना संभव होता है, वहां याचिकादाता उसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

38. याचिकादाता ने उत्पादन की प्रक्रिया, क्रय नीति, बिक्रियों की नीति और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया आदि से संबंधित सूचना भी प्रस्तुत नहीं की है।

घरेलू उद्योग के विचार

39. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उसने विद्यमान कानूनी प्रावधानों और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त कारणों से अपने कारोबार से संबंधित संवेदनशील सूचना की गोपनीयता का दावा किया है। गोपनीयता के दावे के कारणों और आधारों का उल्लेख, आवेदन पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त में किया गया है। इसलिए कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि अत्यधिक गोपनीयता बनाई रखी गई है, निराधार है।

40. निर्यातकों ने अपने उत्तर में विभिन्न स्थलों पर प्रमुख सूचना “{ }” अथवा “***” को बिना कोई कारण बताए गोपनीय रखा है। साथ ही निर्यातकों ने ऐसी सूचना का कोई सारांश प्रस्तुत किया है जिसका उन्होंने गोपनीयता का दावा किया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और अपने हितों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है।

41. विभिन्न परिशिष्टों पर दी गई सूचना के संबंध में यह निवेदन किया गया है कि सभी परिशिष्टों में उल्लिखित मात्रा संबंधी आंकड़ों को गोपनीय रखा गया है जबकि घरेलू उद्योग ने अगोपनीय वृत्तान्त में सूचना से संबंधित सभी मात्रा निर्दिष्ट की है।

42. निर्यातकों द्वारा विभिन्न लागत केन्द्रों के आबंटन को गोपनीय रखा गया है। इसके अतिरिक्त अगोपनीय वृत्तान्त में यह भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि क्या कंपनी द्वारा अपने उत्पादन के लिए प्रयुक्त अंतरनिविष्टियों को खरीदा गया है अथवा अधिग्रहीत रूप से विनिर्मित किया गया है।

43. निर्यातकों ने अपनी समस्त विक्रियों और वितरण माध्यमों के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इस परिप्रेक्ष्य में घरेलू उद्योग अपनी आंशका व्यक्त की है कि ऐसी सूचना को विशेष रूप से छिपा कर रखा गया है ताकि पूरी आपूर्ति श्रृंखला को गुप्त रखा जा सके। घरेलू उद्योग द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यदि अगोपनीय वृत्तान्त में आपूर्ति श्रृंखला की पूरी जानकारी प्रस्तुत कर दी गई होती तो वह प्राधिकारी के समक्ष प्रभावशाली ढंग से निवेदन कर सकता था तथा उन्हें ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत कर सकता था जिसके फलस्वरूप उनके समस्त दावे को खारिज किया जा सकता था।

• निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच

44. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में की गई व्यवस्था निम्नानुसार है :-

गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

45. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध करा दिया है।

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे**• निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन****(क) अविभेदीकरण के सिद्धांत और पाटन-रोधी उपायों का समापन :**

46. हितबद्ध पक्षकारों ने यह निवेदन किया है कि जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद 1.1 के अनुसार अत्यधिक समर्थित राष्ट्र (एमएफएन) निरूपण का दायित्व पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 9.2 और टैरिफ नियमावली के नियम 19 के अनुसार लागू पाटन-रोधी उपायों पर भी लागू होता है, जो कि यह लागू करता है कि विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के मूल के उत्पाद को स्वीकृत किया गया कोई भी लाभ, विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों के समान उत्पादों को भी दिया जाना चाहिए तथा उसमें ऐसा अपेक्षित है कि पाटन-रोधी उपाय, पाटित किए गए तथा क्षति पहुंचाने वाले पाए गए आयात के सभी स्रोतों पर बिना किसी भेद-भाव के लागू किए जाएं।

47. जहां तक कि केन्द्रीय सरकार ने पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 9.2 और टैरिफ नियमावली के नियम 19 का उल्लंघन किया है। हांलांकि ऐसा पाया गया है कि ओमान और सऊदी अरब से भी आयातों का पाटन किया गया है और उनके कारण क्षति हुई है, फिर भी केन्द्रीय सरकार, केवल सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं पर ही वर्तमान पाटन-रोधी उपाय लागू करके, जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद 1.1 के अंतर्गत एमएफएन के दायित्वों को पूरा करने में विफल रही है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध है कि सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी उपायों को निरंतर लागू करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए।

(ख) अन्य मुद्दे

48. यह कि निर्णायक समीक्षा जांच में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि समीक्षा की प्रक्रिया को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। नियम 23 (2) के साथ पठित नियम 9 क (5) को केन्द्रीय सरकार को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वह पाटन-रोधी शुल्क को केवल एक वर्ष के लिए ही आगे बढ़ा सकती है और निर्णायक समीक्षा जांच को उक्त अवधि से पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

49. यह कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तुओं के निजी 3 विनिर्माता एकक हैं, जो कि जामनगर (डीटीए), जामनगर (एसजेडई) और हजीरा में स्थित हैं। तथापि, उसने अपनी याचिका में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है। जहां तक कि निर्यातकों ने दर्जे और अन्य क्षति प्राचलों पर विचार करते हुए एसईजेड के एकक के प्रति अनदेखी कर दी है।

50. यह कि याचिका में ऐसे पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनसे जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराया जा सके। निर्यातकों द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि क्षति के अधिकतर संकेतकों से ऐसा आभास होता है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति नहीं हो रही है।

51. यह कि ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के खिलाफ शुरू की गई इस मौजूदा जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिन पर मूल जांच में शून्य शुल्क लगाया गया था। चूंकि ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों पर पहले कोई शुल्क नहीं लगाया गया था, इसलिए ऐसे शुल्क को बढ़ाए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

52. यह कि शुल्कों को आगे बढ़ाया जाना प्लास्टिक्स वस्तुओं के भारतीय विनिर्माताओं के हित में हानिकारक होगा। जहां तक कि ऐसे पाटन-रोधी उपायों को लागू किए जाने से भारतीय प्रयोक्ता उद्योग भी अत्यधिक कुप्रभावित होगा। निर्यातक मेसर्स हुआचू के अनुसार मूल्य संवर्धन और रोजगार की संख्या के रूप में निचले स्तर के उद्योग अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

• घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

53. यह कि सिंगापुर के प्रतिवादी उत्पादकों ने अपनी समस्त आपूर्ति शृंखला के बारे में संपूर्ण सूचना प्रस्तुत नहीं की है, क्योंकि उनसे जुड़े निर्यातकों ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। घरेलू

उद्योग द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह संभावित पाटन और क्षति का विश्लेषण करें और इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उत्पादक/निर्यातक अपने से संबंधित समस्त पक्षकारों, सहायक कंपनियों तथा अपनों से संबद्ध अथवा असंबद्ध सभी उत्पादकों/निर्यातकों के समस्त विवरण प्रस्तुत करें। निर्यातकों ने इस जांच में अडचन डालने की दुर्भावना से ही जानबूझ कर प्राधिकारी से ऐसी सूचना को गुप्त बनाए रखा है।

54. यह कि मेसर्स एक्सोन मोबिल केमिकल एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जो कि मेसर्स एक्सोन मोबिल एशिया पसिफिक लिमिटेड (जो कि संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक है) की निर्यातक (व्यापारिक) कंपनी है, के लिए मेसर्स एक्सोन मोबिल एशिया पसिफिक लिमिटेड, जो कि वस्तुतः संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक कंपनी है, द्वारा निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में घरेलू उद्योग ने डीजीसीएडी के हाल ही के निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें जांच अवधि के दौरान भारत में निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की सूचना प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर को खारिज कर दिया गया है। साथ ही घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक की प्रश्नावली के संपूर्ण प्रस्तुत नहीं किए जाने के लिए मेसर्स एक्सोन मोबिल एशिया पसिफिक लिमिटेड, सिंगापुर के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए।

55. मेसर्स एक्सोन मोबिल, अपनी ऐसी संबद्ध कंपनियों के निर्यातक की प्रश्नावली के पूरे उत्तर देने में विफल रहा है, जो किकच्ची सामग्री की खरीद कर रहीं हैं तथा ऐसी प्रमुख सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण प्राधिकारी उत्पादन की वास्तविक लागत का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उसमें कच्चे सामग्री की लागत भी शामिल होती है।

56. निर्यातक टीपीसी सिंगापुर, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए अपने से संबंधित पक्षकारों की निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने में भी विफल रहा है। लेकिन निर्यातक ने माननीय प्राधिकारी को संपूर्ण तथ्यों को बहुत आसानी से छिपा कर रख लिया है और जांच की कार्रवाई में भाग लेने के अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है। टीपीसी ने इस तथ्य के बावजूद भी कि मेसर्स सुमिटोमो केमिकल्स कंपनी के पास टीपीसी के अत्यधिक शेयर हैं, उसकी प्रश्नावली के उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को टीपीसी के निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर को पूर्णतया अस्वीकार कर देना चाहिए।

57. प्राधिकारी मूल जांच के सभी पहलुओं की समीक्षा कर सकते हैं, जिनमें घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र, पाटन (पाटन मार्जिन सहित), घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की विद्यमानता, क्षति का मार्जिन आदि शामिल हैं। इसलिए ऐसे निर्यातकों, जिन पर शून्य शुल्क लगाया गया है, के खिलाफ जांच स्वतः समाप्त हुई नहीं मानी जा सकती है। इसके विपरीत प्राधिकारी को, इस तथ्य के बावजूद कि मूल जांच में किसी पक्षकार, पर शून्य शुल्क लगाया गया था, सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनः निर्धारण करना आवश्यक होगा। ऐसा करने से यह स्पष्ट होगा कि मूल जांच में जिस पक्षकार के विरुद्ध शून्य शुल्क लगाया गया था और जो निर्णायक समीक्षा जांच में सहयोग करने में विफल रहा है, उसे शुल्क की अवशेष दर पर भुगतान करना होगा।

58. यह कि यदि उत्पादकों/निर्यातकों के सामान्य मूल्य को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उनकी निर्यात कीमत को भी खारिज कर दिया जाएगा तथा वे किसी भी प्रकार के पृथक मार्जिन के हकदार नहीं होंगे। ऐसा करना प्राधिकारी द्वारा विगत मामलों में अपनाए गए दृष्टिकोण से विशेष रूप से विचलन होगा।

59. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि एकल पाटन मार्जिन और एकल विशिष्ट शुल्क का पुनः निर्धारण किया जाए। अपने इस अनुरोध के समर्थन में घरेलू उद्योग ने अनुबंध-1 में प्रयुक्त किए गए “निर्यातक अथवा उत्पादक” शब्दों का हवाला दिया है तथा समग्र भारतीय पाटन-रोधी नियमावली में किसी भी जगह “निर्यातक अथवा उत्पादक” शब्दों को प्रयुक्त नहीं किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी संबंधी करार में भी “निर्यातक अथवा

उत्पादक" की अभिव्यक्ति है तथा उसमें "निर्यातक और उत्पादक" का उल्लेख नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि एक पृथक् सत्व के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाए लेकिन एक सम्मिश्रण अथवा समूह के लिए नहीं।

60. निर्यातक विक्रियों के बाद डिस्काउंट और/अथवा छूट दे रहे हैं। तथापि, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के अगोपनीय वृत्तान्त में ऐसी सूचना प्रतिबिम्बित नहीं होती है। इसलिए प्राधिकारी को प्रत्येक निर्यातक से विक्रियों के बाद के डिस्काउंट और/अथवा छूट के बारे में विशिष्ट घोषणा और पूरे ब्यौरे प्राप्त करने चाहिए। प्रमुख भारतीय ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं की एक प्रति प्राप्त की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को विक्री के बाद अथवा वर्ष की समाप्ति पर दी गई छूट की राशि और दर के बारे में पता चल सके।

61. प्राधिकारी को मेसर्स एक्सकोन मोबिल, इटोचू और टीपीसी के लिखित निवेदनों को खारिज कर देना चाहिए क्योंकि वे दिनांक 9 जनवरी, 2012 की व्यापार सूचना संख्या 01/2012 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर हितबद्ध पक्षकारों को लिखित निवेदनों के अगोपनीय वृत्तान्त देने में विफल रहे हैं। इस संबंध में ए आर डब्ल्यू जांच के मामले में जारी दिनांक 10.4.2013 के पत्र संख्या 14/ 7/ 2012-डी जी ए डी का अवलोकन करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया गया था।

62. निर्यातक विभेदीकरण के संबंध में संबद्ध प्रावधानों को समझने और उनका अनुसरण करने में विफल रहे हैं। ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि सऊदी अरब और ओमान को बाहर निकाले जाने से भारतीय पाटन-रोधी नियमावली के नियम 19 और पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 9.2 का उल्लंघन हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अपील निकाय द्वारा इस मुद्दे का पहले से समाधान कर दिया गया है कि अनुच्छेद (नियम 19) के अंतर्गत भेदभाव की अवधारणा केवल एक देश (अर्थात् अंतरा-देशीय) के निर्यातकों पर ही लागू होती है और न कि विभिन्न देशों (अंतर-देश) के बीच। इस दावे के समर्थन में ई सी- ईस्टर्नर्स मामले में डब्ल्यू टी ओ अपील निकाय के निर्णय का भी उल्लेख किया गया था।

63. यह तथ्य मात्र कि मूल जांच में ऐसे कुछ देश जो कि संबद्ध देशों के भाग थे, निर्णायक समीक्षा जांच में एक भाग नहीं हैं, डीजीएडी की सुसंगत पद्धति की संपुष्टि करते हैं। इस प्रसंग में यूरोपीय संघ, जापान, सिंगापुर और यू एस ए से फ्लैक्सिबल स्लेबस्टाक पोलियोले के मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था जिसमें प्राधिकारी ने केवल जापान और यू एस ए के खिलाफ दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ की थी क्योंकि यूरोपीय संघ और सिंगापुर के खिलाफ शुल्क समाप्त कर दिए गए थे। इसी प्रकार फुली ड्रान यार्न के मामले में प्राधिकारी ने वियतनाम के खिलाफ इस तथ्य के बावजूद निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ नहीं की कि यह मूल जांच में सम्बद्ध देशों का एक भाग था।

64. प्राधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के इंडियन मेटल और फेरो एल्यूमीनियम लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, रिट याचिका (सिविल संख्या 2006 की 16893) में लिए गए निर्णय को कानूनी रूप से मानने के लिए बाध्य हैं। चूंकि घरेलू उद्योग ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करते हुए दिनांक 06.06.2011 की व्यापार सूचना संख्या 2/2011 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुच्छेद 9 क (5) के अनुसार विधिवत् पर्याप्त रूप से अधिप्रमाणित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और जांच की शुरुआत वैध है तथा इसलिए प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये जांच में अडचने पैदा करने के प्रयोजनार्थ उठाए गए हैं।

65. जीएटीटी का अनुच्छेद 1 (एमएफएन का दर्जा), प्राधिकारी के लिए विशिष्ट देशों के खिलाफ पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने अथवा उसको बढ़ाने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए ऐसे तर्कों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जी ए टी टी के अनुच्छेद-1 को उसी करार में दिए गए अपवादों के साथ पठित किया जाना है। जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद VI विशेष तौर पर ऐसी स्थितियों से संबंधित है जहां पर कोई सदस्य किसी घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुंचाता है अथवा क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है अथवा पाया जाता है अथवा किसी घरेलू उद्योग की संस्थापना को वास्तव में अवरोध पहुंचाता है। पाटनरोधी करार के साथ पठित उक्त अनुच्छेद -VI सदस्य देशों को यह अनुमत्य करता है कि उस करार के अनुच्छेद-1 के तहत अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित किए बिना किसी सदस्य विशेष के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाए जा सकते हैं।

66. जी ए टी टी 1994 में “सबसे तरजीही राष्ट्र” के सिद्धांत सहित डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों के बीच व्यापार में लागू अनेक बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। डब्ल्यू टी ए भी प्रतिबद्ध शुल्क दर सूची के प्रति सहमत है। जी ए टी टी 194 का अनुच्छेद-VI ऐसे मामले में जहां किसी घरेलू उद्योग को पाटन अथवा क्षति के मामले में अथवा घरेलू उद्योग की संस्थापना की क्षति के मामले में प्रतिबद्ध दरों से अधिक दर पर किसी विशेष स्रोत से आयातों पर विशिष्ट पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अधिकृत करता है। पाटनरोधी करार में पाटनरोधी शुल्कों की जांच, निर्धारण तथा लागू करने के संबंध में अनुच्छेद-VI में ही निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का आगे विस्तार से उल्लेख किया गया है।

67. घरेलू उद्योग ने जामनगर एसईजेड संयंत्र सहित अपने सभी संयंत्रों के बारे में पूरी सूचना प्रदान की है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह आरोप निराधार है और उसे खारिज कर दिए जाने की आवश्यकता है।

68. जांच प्रक्रिया की समयबद्धता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के महत्व के संबंध में संयुक्त राज्य-अर्जेन्टाइना से आयल कंट्री ट्यूबलर वस्तुओं पर पाटनरोधी उपायों की निर्णायक समीक्षा (डब्ल्यू टी/डी एस 268/ए बी/ आर 29 नवम्बर, 2004) मामले और महावीर मिरर इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2003 (155) ई एल टी 226 (मेड.)] मामले का उल्लेख किया गया है।

69. घरेलू उद्योग ने दिनांक 6.8.2014 को कोरिया, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से पोलिप्रोपाइलेन के आयात के खिलाफ पाटनरोधी याचिका दाखिल की थी जिसे वापस ले लिया गया क्योंकि विचाराणीय समय समाप्त हो चुका था और आवेदन को अद्यतन किए जाने की जरूरत थी। घरेलू उद्योग अन्य देशों से भी आयातों की स्थिति का विश्लेषण कर रहा है और वह पुनः याचिका दाखिल करने के लिए सूचना का अद्यतन कर रहा है।

70. किसी भी प्रतिवादी ने निर्णायक समीक्षा जांच के भाग-II की प्रश्नावली में समुचित और सार्थक सूचना प्रदान करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया।

71. सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के पास निपटान के लिए 140% से अधिक उत्पादन है। अतः सिंगापुर से शुल्कों को हटा लिए जाने की अवस्था में यह अधिक उत्पादन निश्चय ही भारत के माध्यम से जाएगा जिसमें मालभाड़े और अन्य लाभ उन्हें अन्य आपूर्ति कर्ताओं से दिए गए हैं।

• **प्राधिकारी द्वारा जांच**

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब ओमान अथवा सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क (एडीडी) हटाने की अधिसूचना जारी की गई थी तो उनके हटाने के समय सिंगापुर से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किसी भी न्यायिक निकाय के समक्ष कोई प्रतिवेदन नहीं किया गया था/चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त यह तथ्य है कि मूल जांच में कुछेक देश, संबद्ध देशों के भाग थे और वे निर्णायक समीक्षा जांच के सदैव भाग नहीं होते हैं, जो कि डीजीएडी द्वारा अपनाई गई सुसंगत पद्धति की संपुष्टि करता है। हाल ही की जांच में इसी प्रकार का दृष्टिकोण, यूरोपीय यूनियन, जापान, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका से फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलियोले से संबंधित मामले और साथ ही पूरी तरह से बुने गए यार्न (एफडीवाई) के मामले में भी अपनाया गया है। प्राधिकारी ने एफडीवाई के मामले में इस तथ्य के बावजूद कि मूल जांच में एफडीवाई संबद्ध देशों का एक भाग था, विएतनाम के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच शुरू नहीं की थी। पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 को ध्यान में रखते हुए जिसमें यह प्रावधान है कि – “निर्दिष्ट प्राधिकारी समय-समय पर पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे, यदि वे प्राप्त हुई सूचना से संतुष्ट होते हैं कि ऐसे शुल्क को निरंतर जारी रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वे केन्द्रीय सरकार को उसे समाप्त करने की सिफारिश कर सकते हैं”, प्राधिकारी ने केवल सिंगापुर के आयातों के खिलाफ मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा शुरू की है, जो कि मौजूदा समीक्षा शुरू करने के समय लागू था।

73. इस प्रकार मूल जांच में शामिल देशों की तुलना में संबद्ध देशों में से कुछेक देशों के खिलाफ निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करना, निर्दिष्ट प्राधिकारी की एक संपुष्टि और सुसंगत पद्धति है। इसलिए प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि डीजीएडी की सुसंगत पद्धति के अनुसार सिंगापुर के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) शुरू की गई है।

74. घरेलू उद्योग के कुछ संयंत्रों को शामिल किए जाने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जामनगर एसईजेड संयंत्र सहित अपने सभी संयंत्रों के बारे में पूरी सूचना प्रदान की है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए रिकार्ड की जांच की गई थी और उसका उपयोग विश्लेषण में किया गया है। जैसे ही यह मुद्दा उठाया गया था, इसके बारे में निर्यातकों के पास भी ऐसी सूचना उपलब्ध थी।

75. प्राधिकारी अपने मत को दोहराते हुए इस पर बल देते हैं कि प्राधिकारी, मूल जांच के सभी पहलुओं की समीक्षा कर सकते हैं, जिनमें घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र, पाटन (पाटन मार्जिन सहित), घरेलू उद्योग की क्षति की विद्यमानता, क्षति मार्जिन आदि शामिल हैं। इनके अतिरिक्त प्राधिकारी, इसकी भी जांच करते हैं कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी विशेष रूप से निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) की जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन करते हैं, जो कि पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने का आधार होगा।

76. **मेसर्स एक्सकोन मोबिल केमिकल एशिया** पेरिसिफिक (इएमसीएपी) ने निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) की निर्यातक की प्रश्नावली के भाग-1 और भाग-2 के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि दिनांक 23.08.2010 की मूल जांच के अंतिम परिणाम में एक उत्पादक-सह-निर्यातक होने के नाते उस पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया था। मेसर्स एक्सकोन मोबिल केमिकल एशिया पेरिसिफिक (इएमसीएपी), मेसर्स **एक्सकोन मोबिल एशिया** पेरिसिफिक (इएमएपीपीएल) के सिंगापुर रसायन संयंत्र में निर्मित वस्तुओं का प्रभाग और एक व्यापारिक निर्यातक है और साथ ही यह सिंगापुर बिजिनेस रजिस्ट्रेशन एक्ट (केप. 32) के अंतर्गत एक पूर्णस्वामित्वाधीन कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इएमसीएपी, इएमएपीपीएल के छः व्यापारिक प्रभागों में से एक प्रभाग है। इएमएपीपीएल और इएमसीएपी सहित उसके व्यापारिक प्रभागों की जीएसटी संख्या भी एक समान है। निर्यात बीजकों में भी ऐसा उल्लेख है कि इएमसीएपी, इएमएपीपीएल का केवल एक प्रभाग है। निर्यात बीजकों सहित किसी भी दस्तावेज में ऐसा पता नहीं चलता है कि इएमसीएपी ने अपने नाम के साथ "प्राईवेट लिमिटेड" निर्दिष्ट किया है। मूल जांच में भी इएमसीएपी ने इएमएपीपीएल की ओर से उत्तर प्रस्तुत किए थे जिसमें उसने यह उल्लेख किया था कि वह इएमएपीपीएल से कानूनी रूप से पृथक सत्व नहीं है। जहां तक कि वह एक पंजीकृत स्वामित्वाधीन कंपनी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इएमसीएपी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर पर विचार किया गया है तथा उत्पादक/निर्यातक की मौके पर स्थल पर जांच करने के समय उनके संशोधित परिशिष्टों की जांच की गई थी।

77. टीपीसी के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि टीपीसी के सिंगापुर में अनेक ऐसे संबंधित पक्षकार हैं, जो कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। घरेलू उद्योग ने ऐसी सूचना प्रदान की है जिसमें टीपीसी और मेसर्स सुमिटोमो केमिकल्स कंपनी, जापान के बीच स्थापित संबंध का पता चलता है। यह भी तर्क दिया गया था कि मेसर्स सुमिटोमो केमिकल्स कंपनी, जापान ने भी इस तथ्य के बावजूद कि वह टीपीसी में अत्यधिक शेयर धारक है, प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, मौके पर जांच करने के दौरान यह नोट किया गया था कि मेसर्स सुमिटोमो केमिकल्स कंपनी, मेसर्स टीपीसी की अधिकतर शेयर धारक है। मेसर्स टीपीसी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के निर्यात भारत को किए गए थे और न कि मेसर्स सुमिटोमो केमिकल्स कंपनी को। मेसर्स टीपीसी द्वारा मेसर्स मारुबेनी के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात भारत को किए गए थे। मेसर्स टीपीसी द्वारा मेसर्स मारुबेनी के माध्यम से किए गए निर्यातों के आंकड़े प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मेसर्स सुमिटोमो कोर्पोरेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड एक पृथक सत्व है और वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मेसर्स टीपीसी से संबंधित नहीं है। इसलिए केवल जिन बिक्रियों की जांच दूरस्थ मापदंड के लिए की गई है, वे मेसर्स इनाबाटा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा की गई हैं।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में मेसर्स टीपीसी ने अपने पांच निर्यातकों के साथ संबद्ध वस्तुओं के केवल उत्पादक के रूप में भाग लिया था। प्राधिकारी ने उपरोक्त उत्पादक-सह-निर्यातक संयोजन के लिए पांच विभिन्न पाटन मार्जिन का मूल्यांकन किया था। निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) में केवल मेसर्स इटोचु ने एक निर्यातक के रूप में सहयोग दिया है। इसलिए प्राधिकारी ने पृथक पाटन मार्जिन के लिए सहयोगी उत्पादक-निर्यातक के एक संयोजन का मूल्यांकन किया है। इसलिए केवल एक निर्यातक के लिए उत्पादक-वार शुल्क पर विचार किया जा सकता है तथा बाकी

निर्यातक और यदि कोई अन्य है, वे अवशेष श्रेणी में आयेंगे। ऐसे असहयोगी निर्यातकों का एक जैसा पाटन मार्जिन स्वीकार करना न तो उपयुक्त होगा और न ही एकल उत्पादक आधारित पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए सहयोगी और असहयोगी निर्यातकों की श्रेणी को एक ही श्रेणी में संयोजित करना उपयुक्त होगा, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि दिनांक 23.08.2010 के अंतिम परिणाम में निर्यातक माध्यमों के संबंध में विशिष्ट निर्धारण पृथक रूप से किया गया था।

79. इसलिए प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि चूंकि मौजूदा जांच, निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) है तथा ऐसे उत्पादक-निर्यातक संयोजन, जिसने सहयोग दिया है और जिनके लिए मूल जांच में पृथक रूप से मूल्यांकन किया गया था, इसलिए निर्णायक समीक्षा जांच में भी उनके आंकड़ों के आधार पर उनका पृथक रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

80. बिक्रियों के बाद डिस्काउंट और छूट देने के बारे में घरेलू उद्योग के निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों और उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से ऐसा पता नहीं चलता है कि बिक्री के बाद ऐसा डिस्काउंट और छूट दी गई है और चूंकि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने स्थल पर निर्यातकों के आंकड़ों की जांच करने के बाद अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार निर्यात कीमत पर स्वीकार्य समायोजन पर विचार किया है।

81. जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य सभी मुद्दों का निदान, जितनी सीमा तक प्रासंगिक था, इस विवरण में उनसे संबंधित भागों में कर दिया गया है।

• सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमतों और पाटन मार्जिन का निर्धारण

82. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत सामान्य मूल्य को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

“(ग) किसी वस्तु के संबंध में “सामान्य मूल्य” का तात्पर्य है :

(1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।”

83. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (5) के अंतर्गत की गई व्यवस्था निम्नानुसार है :

“धारा के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष इकी समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा,

परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

इसके अतिरिक्त परंतु यदि उपरोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले समीक्षा जांच की शुरुआत की जाती है, तो पाटन-रोधी शुल्क निरंतर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऐसी पुनरीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर दिया जाता है, लेकिन इसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

84. तदनुसार निर्णायक समीक्षा जांच में इसकी जांच की जानी अपेक्षित है कि :-

- (1) क्या पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के बाद भी पाटन जारी रहता है और यदि हां, तो क्या उसके निरंतर जारी रहने की संभावना है।
- (2) ऐसे मामलों में जिनमें पाटन निरंतर बना नहीं रहता है, क्या पाटनरोधी शुल्कों को पुनः लागू करने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होगी।
- (3) क्या घरेलू उद्योग को निरंतर आर्थिक क्षति होती रहेगी और यदि हां, तो क्या यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो, क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति निरंतर जारी रहेगी।
- (4) ऐसे मामलों में जिनमें घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है, क्या पाटन-रोधी शुल्कों को पुनः लागू करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

85. सबसे पहले पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने की जांच की गई है और उसके बाद यह जांच की गई है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर देने पर पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

च. सामान्य मूल्य

(1) पोलियोलेफिन कंपनी (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड ("टीपीसी") (उत्पादक) माध्यम) मेसर्ज इटोचु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड ("इटोचु") (निर्यातक) :

86. मेसर्ज टीपीसीने एसएसआर में निर्यातक की प्रश्नावली के भाग-1 और भाग-2 के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। कंपनी ने निम्नलिखित निर्यातक कंपनियों के माध्यम से जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं :-

(क) मेसर्ज इटोचु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर

(ख) मेसर्ज मरुबेनी केमिकल एशिया पसिफिक प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर

87. जबकि मेसर्ज इटोचु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन मेसर्ज मरुबेनी केमिकल एशिया पसिफिक प्राईवेट लिमिटेड ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसलिए उपरोक्त उत्तर नहीं देने वाले निर्यातक के साथ सहयोजित उत्पादक के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया गया है।

88. मैसर्स टी पी सी ने मैसर्स इटोचू के माध्यम से भारत को प्रोपाइलेन के होमो - पोलिमेर और को-पोलीमेर का निर्यात किया है। को - पोलिमेर का सामान्य मूल्य सामान्य व्यापार जांच (80 : 20) और महत्वपूर्ण घरेलू बिक्री जांच को उपयोग में लाकर सिंगापुर में घरेलू बिक्रियों के आधार पर निर्धारित किया गया है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बेचे गए को - पोलिमेर की कुल मात्रा *** मीट्रिक टन थी जिसमें से *** मीट्रिक टन (***) सामान्य व्यापार के दौरान बेचा गया। बैंक प्रभारों, बीमा, स्टोरेज, हैंडलिंग और अन्य के लिए समायोजन क्रमशः *** डॉलर/ मीट्रिक टन, ***

डॉलर/ मीट्रिक टन, *** डॉलर/ मीट्रिक टन, *** डॉलर/ मीट्रिक टन और *** डॉलर/ मीट्रिक टन तक अनुमत्य किया गया है। इस प्रकार प्रोपाइलेन के को - पोलिमेर का सामान्य मूल्य *** डॉलर मीट्रिक टन स्वीकार किया गया है।

89. मैसर्स टी पी सी के लिए प्रोपाइलेन के होमो - पोलिमेर के सामान्य मूल्य का सन्दर्भ पाटन रोधी नियमों के तहत और निर्दिष्ट प्राधिकारी की संगत प्रथा के अनुसार उचित लाभ को शामिल करने के बाद उत्पादन की लागत के आधार पर किया जाता है क्योंकि सिंगापुर में होमो - पोलिमेर की कोई घरेलू बिक्री नहीं होती। प्रोपाइलेन के होमो - पोलिमेर का सामान्य मूल्य *** डॉलर / मीट्रिक टन के रूप में माना गया है।

90. दो ग्रेड अर्थात् को - पोलिमेर और होमो - पोलिमेर का भारित औसत सामान्य मूल्य *** डॉलर/ मीट्रिक टन के रूप में माना गया है।

(ii) *एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक ("एक्सोनमोबिल") :*

91. मैसर्स एक्सोनमोबिल ने सिंगापुर में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक - सह- निर्यातक के रूप में निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) के संबंध में निर्यातक प्रश्नावली उत्तर भाग I और II दाखिल किया है। उत्पादक - सह- निर्यातक मैसर्स एक्सोनमोबिल एशिया पैसिफिक प्रा. लि. का एक प्रभाग और एक व्यापारिक शाखा है और सिंगापुर व्यापार पंजीकरण अधिनियम (कैप. 32) के तहत एक एकल स्वामित्व के रूप में पंजीकृत है।

92. उल्लेखनीय है कि मैसर्स एक्सोनमोबिल ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का सीधे निर्यात किया था। सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी नियमों के तात्पर्य से महत्वपूर्ण नहीं थी। अतः मैसर्स एक्सोनमोबिल के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की भारित औसत लागत के साथ साथ पाटन रोधी नियमों के तहत और डी जी ए डी की संगत प्रथा के अनुसार उचित लाभ के आधार पर किया जाता है। तदनुसार उत्पादक - सह- निर्यातक के लिए संबद्ध वस्तुओं के सभी ग्रेड का भारित औसतन सामान्य मूल्य *** डॉलर/ मीट्रिक टन के रूप में माना गया है।

ख. *असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक :*

93. सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के बीच निर्धारित किया गया संबद्ध वस्तुओं का उच्चतम सामान्य मूल्य, अर्थात् *** मीट्रिक टन, सिंगापुर से असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य माना गया है।

छ. **निर्यात कीमत**

(i) *मैसर्स इटोचू प्लास्टिक्स प्रा. लि. ("इटोचू") (निर्यातक) के माध्यम से द पोलियोलेफिन कंपनी (सिंगापुर) प्रा. लि. ("टी पी सी") (उत्पादक) :*

94. मैसर्स टी पी सी और मैसर्स इटोचू, दोनों ने भारत को निर्यातों के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैसर्स इटोचू के मैसर्स टी पी सी के साथ सह संबद्ध आंकड़े समायोजनों के बाद निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए अपनाए गए हैं। मैसर्स इटोचू ने जांच की अवधि के दौरान भारत को क्रमशः *** मीट्रिक टन और *** मीट्रिक टन को - पोलिमेर और होमो - पोलिमेर का निर्यात किया था। दो ग्रेड अर्थात् को - पोलिमेर और होमो - पोलिमेर का भारित औसत सी आई एफ मूल्य हमारे रिकार्ड के अनुसार और स्थल पर किए गए सत्यापन के अनुसार *** डॉलर / मीट्रिक टन है। कमीशन, अंतर्देशीय माल भाड़ा, बीमा, स्टोरेज, हैंडलिंग, अन्य और देश से बाहर माल भाड़ा, देश से बाहर बीमा और भेजने की लागत का समायोजन क्रमशः *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन, *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन, *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन, *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन, *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन, *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन, *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन और *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन तक अनुमत्य किया गया है। उक्त धनराशियों का समायोजन कुल *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक

टन है। विचाराधीन उत्पाद की भारित औसतन फैक्ट्री बाह्य निर्यात कीमत *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन मानी गई है। अतः भारित औसतन पाटन मार्जिन *** डॉलर/ मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

(iii) *एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक ("एक्सोनमोबिल") :*

95. मैसर्स एक्सोनमोबिल ने भारत को अपने निर्यातों के ब्यौरे प्रदान किए हैं। विचारित समायोजनों में भारित औसतन कमीशन (*** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन), अंतर्देशीय माल भाड़ा (*** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन), बैंक प्रभार (*** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन), समुद्री माल भाड़ा (*** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन), देश से बाहर बीमा (*** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन), ऋण लागत (*** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन) है, जो कुल *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन होता है। अतः भारित औसतन पाटन मार्जिन *** डॉलर/ मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

(iii) *असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक :*

96. असहयोगी/ शेष उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए फैक्ट्री बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए सहयोगी निर्यातकों की न्यूनतम निर्यात कीमत के सौदों पर सहयोगी निर्यातकों के लिए किए गए समायोजनों के साथ विचार किया गया है। अतः असहयोगी निर्यातकों के लिए **फैक्ट्री बाह्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन** क्रमशः *** डॉलर/ मीट्रिक टन और *** यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

ज. पाटन मार्जिन

97. उपरोक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और फैक्ट्री बाह्य निर्यात मूल्य की तुलना करने पर सिंगापुर से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :

क्र. सं.	उत्पादक/ निर्यातक	पाटन मार्जिन (यू एस डॉलर/ मीट्रिक टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % सीमा
1.	मैसर्स इटोचू प्लास्टिक्स प्रा. लि. के माध्यम से मैसर्स टी पी सी	***	***	5-15
2.	मैसर्स एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक	***	***	10-20
3.	असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	20-30

क्षति का आकलन कारणात्मक संबंध और क्षति के जारी रहने की संभावना

98. एक निर्णायक समीक्षा जांच में क्षति की जांच के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है :

- क्या घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहा और यदि हां तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है।
- यदि घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी नहीं रहा तो क्या पाटन रोधी शुल्कों को निरस्त किए जाने पर घरेलू उद्योग को क्षति रहने की संभावना है।

99. घरेलू उद्योग ने अन्य के साथ साथ यह प्रस्तुत अवगत कराया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहा है, यद्यपि पाटित आयातों की मात्रा मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों के कारण कम रही और यदि मौजूदा पाटन रोधी शुल्क निरस्त कर दिया जाता है तो पाटन में तेजी आने की संभावना है।

100. अतः प्राधिकारी ने संबद्ध देश से शुल्कों को निरस्त किए जाने पर घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की संभावना अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने से पूर्व पहले इस बात की जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण निरंतर भारी क्षति का सामना करना पड़ा। घरेलू उद्योग को हुई भारी क्षति की जांच पाटन रोधी करार के अनुच्छेद 3 और पाटन रोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के अनुसार है।

झ. घरेलू उद्योग को मौजूदा क्षति और कारणात्मक संबंध

101. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध II के साथ पठित पाटन रोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाते हों, “..... सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का प्रभाव शामिल है।” कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए इस बात कि जांच करना आवश्यक समझा गया कि भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से क्या कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में काफी मात्रा में कोई अन्यथा गिरावट आई है अथवा कीमतों में वृद्धि पर रोक लगी है, जो अन्यथा काफी मात्रा में हो गई होती।

102. यह उल्लेख किया जाता है कि पाटन रोधी शुल्क जारी रखने के लिए आवेदन मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है जिसके पास भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार याचिकाकर्ता को इस जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग माना गया है। अतः इस निर्धारण के प्रयोजन से याचिकाकर्ता जो कि नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है, की लागत व क्षति की सूचना की जांच की गई है।

• निर्यातकों और आयातकों (हितबद्ध पक्षकार) द्वारा अनुरोध :

103. हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- i. यह कि सिंगापुर से संबद्ध आयातों के संबंध में कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि अन्य देशों की तुलना में मात्रा काफी कम है। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया था कि सिंगापुर से हुए आयातों में भारत में कुल मांग का प्रतिशत बहुत ही कम है।
- ii. यह कि क्षति मापदंडों से घरेलू उद्योग को किसी क्षति के होने का पता नहीं चलता। इसके अलावा आवेदन में प्रदान की गई बहुत ही सीमित और गोपनीय सीमा से स्पष्ट रूप से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि संबद्ध देश से आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- iii. यह कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन न हो और इसलिए सिंगापुर से उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में पाटन रोधी शुल्क को लगाए रखना जारी रखने के लिए कोई औचित्य नहीं है।
- iv. यह कि घरेलू उद्योग ने शामिल किए गए घटकों को यहां तक कि प्रकट किए बिना ही किसी गोपनीयता पर विचार करते हुए गैर - क्षति कीमत और परिणामस्वरूप कीमत कटौती का निर्धारण किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वह शामिल पूंजी पर 22% प्रतिफल पर विचार न करे।
- v. यह कि सिंगापुर की आयात कीमतें जांच की अवधि के दौरान अन्य देशों की तुलना में अधिक का पहुंच मूल्य भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। अतः सिंगापुर से आयातों के लिए किसी भी रूप में घरेलू उद्योग की कोई भी क्षति जिम्मेदार नहीं है।
- vi. यह कि सिंगापुर से आयातों का पहुंच मूल्य भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। इसके अलावा जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है कोई भी नकारात्मक कीमत संबंधी अवरोध नहीं है। यह भी अनुरोध है कि यहां तक कि यदि सिंगापुर से आयातों पर शुल्क जारी रहता है तो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अन्य स्रोतों से होने वाले कम कीमत के आयातों और अन्य घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा के कारण भी बाधित होगी।

vii. यह कि घरेलू उद्योग को हुई कोई भी क्षति सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के कारण से नहीं हो सकती और वह अन्य ज्ञात कारकों जैसे अन्य घरेलू उत्पादकों से आंतरिक प्रतिस्पर्धा और अन्य देशों से कम आयातों के कारण से होगी।

viii. यह कि मूल जांच में प्रमाणित कारणात्मक संबंध में ओमान, सऊदी अरब और सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के संबंधित आयातों को एक साथ लिया गया था। सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच संभावित कारणात्मक संबंध के बारे में कोई भी विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया था। चूंकि वर्तमान समीक्षा ही सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के खिलाफ है इसलिए मूल जांच में प्रमाणित कारणात्मक संबंध अब आगे वैध नहीं है और इस प्रकार से सिंगापुर से कारणात्मक संबंध का पुनः निर्धारण अपेक्षित है।

ix. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को हुई यह क्षति अन्य कारकों के कारण से है और इसका सिंगापुर से आयातों से कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि आयातों की मात्रा बहुत ही कम है।

• घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध :

104. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

i क्षति की संभावना के निष्कर्ष पर पहुंचते समय भारत में वर्तमान आयातों का महत्व पृष्ठभूमि में जाना है। तदनुसार वर्तमान जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का कम अथवा नगण्य आयात कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अपने दावे के समर्थन में घरेलू उद्योग ने डी.जी.ए.डी. और अन्य प्राधिकरणों की सतत प्रथा पर भरोसा किया है जिसमें कि निर्णायक समीक्षा जांच में वर्तमान आयातों के स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

ii प्राधिकारी द्वारा जब भी कोई सूचना मांगी गई, कानून की अपेक्षा के अनुसार समस्त सूचना प्रदान की गई है। घरेलू उद्योगों ने केवल सभी साक्ष्यों से संतुष्ट होने के बाद ही प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ की है। घरेलू उद्योग पुनः यह दोहराता है कि याचिका में नियम 23 के साथ पठित धारा 9 क (5) के प्रावधानों के अनुसार कानून की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। चूंकि प्रस्तुत समस्त सूचना की विधिवत पुष्टि की गई है, अतः हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का कोई औचित्य नहीं है।

iii घरेलू उद्योग ने कुछेक देशों से पोलिप्रोपाईलेन के आयात के खिलाफ पाटनरोधी याचिका दायर की थी, जिसे वापस ले लिया गया था, क्योंकि पर्याप्त समय बीत चुका था और आवेदन को अद्यतन किए जाने की जरूरत थी। घरेलू उद्योग अन्य देशों से आयातों की स्थिति का भी विश्लेषण कर रहा है और पुनः आवेदन दाखिल करने के लिए सूचना का अद्यतन करने की प्रक्रिया में भी है।

iv संबद्ध देश से निर्यातकों ने घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए आरोपों को अस्वीकार नहीं किया है कि निर्यातक संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रखे हुए हैं। यह एक सुस्पष्ट सिद्धांत है कि निरंतर पाटन होते रहना इस तथ्य का बहुत ही अच्छा संकेतक है कि शुल्कों को बढ़ाए न जाने पर निरंतर पाटन होने की पूरी संभावना है।

v हितबद्ध पक्षकारों से कोई भी नई सूचना/ साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि सत्यापन दौरे के उपरांत उन्हें केवल सहायक अथवा समर्थनकारी सूचना देने की ही अनुमति दी जाए। इनमें से किसी भी मामले में स्वीकार करने से पूर्व उसे घरेलू उद्योग को टिप्पणियों के लिए भेजा जाए।

vi सिंगापुर से निरंतर पाटित और क्षतिकारक आयातों की मौजूदगी के कारण संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतें काफी कम हुई हैं और कुल लागत से भी कम रही हैं। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने सिंगापुर से कभी भी नकारात्मक कीमत कटौती और गिरावट को स्वीकार नहीं किया था।

vii संबद्ध देश से आयातों ने कोई मात्रा संबंधी सूचना प्रदान नहीं की थी और इसलिए घरेलू उद्योग कोई अनुरोध करने अथवा अपने दावे और अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी की सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं।

viii घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा जांच को आरंभ करने के प्रयोजन के लिए आवेदन में गैर - क्षतिकारी कीमतें निर्मित और प्रदान करते समय प्राधिकारी द्वारा जारी और अपनाए गए दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी ने यहां तक कि जांच प्रारंभ करते समय घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना की

पूर्ण रूप से जांच की है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग ने अनुबंध 3 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, गलत है और दर्ज तथ्यों के प्रतिकूल है।

ix क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन तथा कीमत में कटौती सकारात्मक है जो कि इस बात का एक स्पष्ट संकेतक भी है कि यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को वापिस लेने के निष्कर्ष पर पहुंचता है तो संबद्ध वस्तुओं के निरंतर पाटन और क्षतिकारी आयातों की संभावना मौजूद है।

x. सिंगापुर से निर्यातकों/उत्पादों के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संबद्ध उत्पादक अथवा उनकी पूरी मूल्य श्रृंखला के बारे में पूरी सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं। अतः उनके उत्तर पूर्ण नहीं कहे जा सकते और उन्हें अस्वीकार किए जाने की जरूरत है।

xi सिंगापुर से आयातों के साथ कारणात्मक संबंधी तर्क न होने के बारे में घरेलू उद्योग का यह कहना है कि यह एक स्पष्ट न्यायिक सिद्धांत है कि “कारणात्मक संबंध” भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 (5) और डब्ल्यू. टी. ओ. के अनुच्छेद 11.3, दोनों के संदर्भ में किसी निर्णायक समीक्षा जांच में अनिवार्य अथवा आवश्यक कारण नहीं होता।

xii प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण डाटा, सूचना अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिनसे यह सुझाव दिया जा सके कि पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध नहीं रहे हैं। उपरोक्त को देखते हुए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है।

xiii गैर-क्षतिकारी कीमत निकालते समय, शामिल पूंजी पर 33 % प्रतिफल की उपयुक्ता के बारे में हितबद्ध पक्षकारों का दावा भी बिना किसी सबूत के है। क्योंकि यह मामला अलकाली मेन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2006 (194) ई. एल. टी. 161 (ट्राई. - डेल.) मामले में अपील न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे पक्षकारों के खिलाफ समाप्त हो चुका है।

xiv. “क्षति के लिए एक मात्र कारण पाटन नहीं है” के बारे में घरेलू उद्योग ने जिपस्म के आयातों के खिलाफ 15 जनवरी, 2013 की अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/ 45/ 2010-डी जी ए डी, ईसी पाटनरोधी कानून –ए कामेंट्री ऑन रेगुलेशन 384/96, डॉ. वोल्फ - गेंग मूलर्स, निकोलस खान और डा. हंस – अडोलफ न्यूमेन; ब्राजील से मेलीएबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग (डब्ल्यू टी/डी एस 219 /ए बी/आर) मामला; और सिरामिक टेबल वेयर और किचन वेयर का मामला उल्लिखित किया गया।

xv. “हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पूर्ण सहयोग के महत्व” के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि उसने निरंतर यह पाया है कि विश्लेषण की संभावना इसके लिए अनिवार्य है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने कोरोशन –रजिस्टेंट स्टील निर्णायक समीक्षा मामले और आयल कंटी ट्यूबलर वस्तुओं की निर्णायक समीक्षा मामले का विश्लेषण की संभावना के लिए अपेक्षित समीक्षा के क्षेत्र और साक्ष्य की प्रकृति मामले के संबंध में उल्लेख किया।

xvi. वर्तमान जांच में जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं के नगण्य अथवा कम आयातों का कोई उपयोग नहीं होगा। इस दावे के समर्थन में (क) चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डकटाइल आयरन पाइप” के आयातों के संबंध में निर्णायक पाटनरोधी समीक्षा [फाईल सं. 15/ 1006/2012-डी जी ए डी दिनांक 4.9.2013] ; (ख) राष्ट्रीय प्रशुल्क आयोग (पाकिस्तान सरकार)- भारत के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पाकिस्तान में पथेलिक एनहाईड्राइड के पाटित आयातों पर लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करना; (ग) यूएस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग – अंतिम जांच परिणाम- जांच संख्या 731- टी ए- 929- 931 (समीक्षा)- भारत, कजाकिस्तान और वेंजुएला से सिलिकोमिंगनीज का उल्लेख किया गया।

xvii. यह सुझाव देने के लिए कानून में अथवा न्याय शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है कि कोई निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ करने के प्रयोजन से कोई पक्का और निर्णायक साक्ष्य होना चाहिए। इस के विपरित भारतीय कानून के संदर्भ में इंडिया मेटल मामले के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच अनिवार्य है।

• प्राधिकारी द्वारा जांच

105. घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में दर्ज सूचना के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग के विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई है। तथ्यों और आंकड़ों के संबंध में सभी संगत मामलों का क्षति विश्लेषण में समाधान कर लिया गया है।

106. संबद्ध देश से आयातों की कम मात्रा के मामले के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में आयातों की मात्रा पाटन रोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण कम हो सकती है।

107. प्राधिकारी ने जांच के दौरान पुष्टि किए गए आंकड़ों और सूचना का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया है।

108. इसके अलावा निम्नलिखित प्रावधानों का हवाला देना संगत होगा :

(i) धारा 9 क (5) :

“इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे पहले ही समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा;

बशर्ते यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी ;

बशर्ते यह भी कि पाँच वर्षों की पूर्ववर्ती अवधि की समाप्ति से पूर्व शुरू की गई किसी समीक्षा का निष्कर्ष ऐसी समाप्ति से पूर्व नहीं निकलता है तो ऐसी समीक्षा का परिणाम लंबित रहने तक पाटनरोधी शुल्क एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए लागू रहेगा।”

109. “पाटन” की संभावना के संबंध में उपरोक्त प्रावधान से तात्पर्य है कि पाटन रोधी शुल्क को बढ़ाया जा सकता है चाहे समीक्षा की अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुआ हो अर्थात् जांच की अवधि के दौरान कोई भी पाटन न हुआ हो। ऐसे मामले में कारणात्मकता की जांच करने का प्रश्न इस कारण से उत्पन्न नहीं होगा कि कारणात्मक संबंध की जांच व्यावहारिक नहीं है और इस प्रकार से नगण्य है। तथापि, क्योंकि “पाटन” और “क्षति” शब्द की एक साथ जांच की जानी आवश्यक है इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि पाटन के अलावा अन्य कारकों से क्षति पर विचार नहीं किया जा सकता अथवा नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्राधिकारी को क्षति के जारी रहने के कारण और उसके प्रभाव अथवा क्षति होने की संभावना के बारे में स्वयं संतुष्ट होना है।

110. प्राधिकारी जांच अवधि में पाटन न हुए आयातों की स्थिति के संबंध में विभिन्न प्रकरण कानूनों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को नोट भी करते हैं कि पाटन यहां तक कि प्रमुख कारक न होते हुए भी पूरा कारक होने की बात को अलग करता है, पाटन की संभावना का मूल्यांकन और भावी संभावित तरीके में निर्णायक समीक्षा में क्षति तथा आकस्मिक कारक निर्णायक समीक्षा जांच में मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं? प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा में “पाटन एवं क्षति के जारी रहने और पुनः होने” की जांच के संबंध में सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 क(5) के प्रावधानों को भी नोट करते हैं।

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में, चूंकि संबद्ध वस्तुओं का आयात जांच अवधि में सिंगापुर से हुआ है अतः पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का परिकलन सत्यापित/उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों तथा असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भी किया गया है।

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा में भावी विश्लेषण के संबंध में उल्लेख करते समय संगत प्रकरण कानूनों में वास्तविक आधार के रूप में वर्तमान एवं विगत के आंकड़ों की संगति का उल्लेख भी है। यह तथ्य कि निर्णायक समीक्षा में क्षति के लिए प्रकरण कानून में यह उल्लेख है कि पाटन प्रमुख कारक होना जरूरी नहीं है, का अभिप्राय यह नहीं है कि पाटन का समग्रता में एक कारक के रूप में महत्व समाप्त हो जाता है।

113. निस्संदेह निर्णायक समीक्षा में आकस्मिक संपर्क मूल जांच में अत्यधिक संगत होंगे परंतु यदि मूल जांच में स्थिति और निर्णायक समीक्षा में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनसे आकस्मिक कारक पुनः स्थापित करना आवश्यक हो जाए (जैसा कि

व्यापार उपाय पाटन के प्रतिकारी क्षति कारक पहलुओं के लिए किए जाने का इरादा है), तो उन्हें पुनः स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्राधिकारी ने उन अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की कीमतों की जांच की है जो मूल जांच में थे परंतु जिन पर अर्थात् ओमान और सउदी अरब पर पाटनरोधी शुल्क हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने एक ओर सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों और दूसरी ओर असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सिंगापुर से भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों और संभावित पद्धति में भावी विश्लेषण के लिए अपनी सतत परिपाटी के अनुसार तीसरे देशों को सिंगापुर के निर्यातों, दोनों के संबंध में जांच अवधि तथा जांच अवधि के पश्चात (केवल 6 माह) के लिए आंकड़ों का मूल्यांकन किया।

114. इस जांच के लिए पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और उनकी पुनरावृत्ति नहीं की गई।

115. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव ; तथा (ख) इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव की वास्तविक जांच , दोनों की एक उद्देश्यपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है कि क्या पाटित आयातों में, पूर्ण रूप से अथवा उत्पादन के संबंध में अथवा भारत में खपत के संबंध में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के मूल्य संबंधी प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती होती रही है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में कीमत में अन्यथा कोई कमी हुई है अथवा कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में होती।

116. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, जिनका उद्योग की स्थिति से संबंध है, जिनमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट ; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक ; पाटन मार्जिन की मात्रा ; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, पूंजी या निवेश बढ़ाने की योग्यता शामिल है , नियमावली के अनुबंध – II के अनुसार विचार किया गया है। घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले उपरोक्त सभी आर्थिक मापदंडों की जांच की गई है जो इस प्रकार है :

1. मात्रात्मक प्रभाव

(क) पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

117. प्राधिकारी ने देश में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत सभी स्रोतों से भारतीय उत्पादकों और आयातों की कुल घरेलू बिक्रियों के रूप में निर्धारित की है। इस प्रकार से आकलित कुल मांग नीचे दी गई सारणी में देखी जा सकती है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

आयात सारांश और मांग विश्लेषण

वर्ष	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
संबद्ध देश से आयात (मी. टन)	मी. टन	54676	54159	46912	63773
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	86	117
अन्य देशों से आयात (मी. टन)	मी. टन	210954	191553	296076	482903
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	140	229
कुल आयात (मी. टन)	मी. टन	265631	245712	342988	546677

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	129	206
घरेलू बिक्रियां – आवेदक	मी. टन	169268	191252	1977649	1943684
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	117	115
बिक्रियां – अन्य घरेलू उत्पादक	मी. टन	370000	525000	700000	910000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	189	246
कुल मांग (मी. टन)	मी. टन	232829	268325	3020637	3400361
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	130	146
मांग में संबद्ध देश के हिस्से का %	%	2.35	2.02	1.55	1.88
मांग में अन्य देशों के हिस्से का %	%	9.06	7.14	9.80	14.20
मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से का %	%	72.70	71.28	65.47	57.16
मांग में अन्य घरेलू उत्पादकों के हिस्से का %	%	15.89	19.57	23.17	26.76

118. उपरोक्त सारणी से यह नोट किया गया है कि सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं का आयात आधार वर्ष अर्थात् 2010-11 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान समग्र रूप से बढ़ा है। सिंगापुर से आयात आधार वर्ष 2010-11 में 54676 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 63773 मीट्रिक टन हो गया है। यह भी नोट किया गया है कि जांच की अवधि में उससे तत्काल अगले वर्ष अर्थात् 2012-13 की तुलना में 35.94% की वृद्धि हुई है। सिंगापुर से आयात में पाटन रोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद क्षति जांच अवधि में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। अन्य देशों से आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्री के संबंध में ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई है।

(ख) आयात की मात्रा और बाजार का अंश

119. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में पाटन रोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद पिछली किसी क्षति अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में सिंगापुर से आयातों के हिस्से में गिरावट आई है। निम्नलिखित सारणी में आयातों की मात्रा और भारत में कुल आयात में सिंगापुर और अन्य देशों के हिस्से का ब्यौरा दिया गया है।

आयात का हिस्सा

वर्ष	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
संबद्ध देश से आयात	मी. टन	54676	54159	46912	63773
अन्य देश से आयात	मी. टन	210954	191553	296076	482903
कुल आयात	मी. टन	265631	245712	342988	546677
आयातों में संबद्ध देश के हिस्से का %	%	20.58	22.04	13.68	11.67
आयातों में अन्य देश के हिस्से का %	%	79.42	77.96	86.32	88.33

कीमत संबंधी प्रभाव

120. सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों के प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत में कमी और कीमत ह्रास के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और गैर - क्षति कीमत (एन आई पी) की सिंगापुर से आयातों के लदान मूल्य के साथ तुलना की गई है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की एक तुलना, पाटित आयातों के लदान मूल्य तथा घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच की गई थी। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री को दर्शाते समय करों, छूटों, रियायतों और घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कमीशन को समायोजित किया गया है। कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, अतः प्राधिकारी ने एक गैर - क्षति कीमत का आकलन किया है और उसकी लदान मूल्य के साथ तुलना की है ताकि कम कीमत पर बिक्री का पता लग सके। गैर - क्षति कीमत का मूल्यांकन, जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पाद की लागत पर समुचित विचार करके अनुबंध- III में उल्लिखित सिद्धांतों के संदर्भ में किया गया है।

• कीमत कटौती

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना पाटित आयातों के कारण कई महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से महत्वपूर्ण मात्रा में कीमत में अन्यथा कोई गिरावट हुई है अथवा कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में होती।

122. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि में और अगले 3 वर्षों में सिंगापुर से नकारात्मक कीमत कटौती हुई है। कीमत कटौती की गणना नीचे सारणी से देखी जा सकती है। दो सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों अर्थात् मैसर्स एक्सोनमोबिल (प्रत्यक्ष) और मैसर्स टी पी सी (मैसर्स इटोचू के माध्यम से) के लिए भी कीमत कटौती नकारात्मक है।

सिंगापुर	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांचकी अवधि
मात्रा	मी. टन	54676	54159	46912	63773
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	86	117
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	131	147
लदान मूल्य	रु/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	122	142
कीमत कटौती	रु/ मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	सीमा	(10) - 0	(10) - 0	(10) - 0	(10) - 0

• कम कीमत पर बिक्री

123. आयातों पर लदान मूल्य भी घरेलू उद्योग की अपेक्षित बिक्री कीमत से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप एक नकारात्मक कम कीमत की बिक्री हुई है जिसे नीचे सारणी से देखा जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मैसर्स मोबिन, उत्पादक सह निर्यातक और मैसर्स इटोचू के माध्यम से मैसर्स टीपीसी, दोनों के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन नकारात्मक है, **जैसाकि पहले पहले में दर्शाया गया है कि इन उत्पादक/निर्यातकों के बारे में-**

कम कीमत पर बिक्री - समेकित

कारक	इकाई	सिंगापुर
मात्रा	मी. टन	63773
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100
गैर-क्षति कीमत	रु/ मी. टन	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100
लदान मूल्य	रु/ मी. टन	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100
कम कीमत पर बिक्री	रु/ मी. टन	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	सीमा	-(0-10)

ख. कीमत में कमी

124. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की प्रवृत्ति की बिक्रियों की लागत के साथ तुलना की गई है। नीचे दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि **POI** के दौरान घरेलू उद्योग की विक्रय मूल्य को सामान्यतः विक्रय की कीमत में बढ़ोतरी के बराबर करने के लिए बढ़ा दिया गया है।

कीमत में कमी

	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति - सूचीबद्ध		100	116	127	144
बिक्री कीमत	रु/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति - सूचीबद्ध		100	117	131	147

1. अन्य आर्थिक मापदंड

125. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पाद पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिनका उद्योग की स्थिति से संबंध है, जिनमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट ; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक ; पाटन मार्जिन की मात्रा ; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, पूंजी या निवेश बढ़ाने की योग्यता शामिल है। घरेलू उद्योग के निष्पादन की एक जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। प्राधिकारी ने इस पैरा में ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार पाटित आयातों के प्रभाव के प्रसंग में इसकी भी जांच की है। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

• उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग

126. प्राधिकारी ने नीचे दी गई सारणी से यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता आधार वर्ष की तुलना में क्षति जांच अवधि के दौरान उतनी ही रही है। तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग में कमी आई है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। इसी प्रकार विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन में भी आधार वर्ष से वृद्धि हुई है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि इसी अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात् 2012-13 की तुलना में इसमें कमी आई है।

क्षमता उपयोग

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	मी. टन	26,85,200	26,85,200	26,85,200	26,85,200
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	24,94,413	27,39,976	28,10,245	28,04,699
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	113	112
क्षमता उपयोग	%	93	102	105	104
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	113	112

- घरेलू उद्योग की बिक्री**

127. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है क्योंकि जांच की अवधि में उस आधार वर्ष के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में मांग में घरेलू उद्योग की बिक्रियों के हिस्से में वृद्धि हुई है। उसी समय जबकि सम्बद्ध देश के हिस्से में कमी आई है, अन्य देशों के हिस्से में वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	POI
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	1692668	1912502	1977649	1943684
प्रवृत्तियां	सूचीबद्ध	100	113	117	115

- लाभ निवेश पर प्रतिबंध और नकद प्रवाह**

128. निवेश पर व्याज से पूर्व और व्याज के बाद लाभ/ हानि तथा नकद लाभ नीचे सारणी में दिया गया है :

लाभप्रदता

	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	POI
बिक्री कीमत	रु/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	131	147
लागत	रु/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	127	144
लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	69	110
लाभ / हानि	रु/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	59	96
व्याज से पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	62	91
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	153	66	151
आर ओ सी ई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	59	114

129. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह सच है कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति खराब है और वे क्षति जांच अवधि के दौरान नकदी हानि उठा रहे हैं। यह भी पाया गया है कि बिक्री कीमत में बढ़ोतरी मूल्य के स्तर के बराबर करने के लिए की जाती है और यह जांच की अवधि में पर्याप्त नकारात्मक स्तर तक पहुंच गया है। यह भी नोट किया गया है कि शामिल पूंजी पर प्रतिफल में भी लाभ/(हानि) के समान वही प्रगति रही है और जांच की अवधि में नकारात्मक रही है।

- **वस्तु सूची**

130. नीचे दी गई सारणी में दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के साथ वस्तु सूची का स्तर 135 % तक कम हुआ है अर्थात् मांग में वृद्धि में बावजूद जांच की अवधि में *** मीट्रिक टन से आधार वर्ष में *** मीट्रिक टन तक की वृद्धि हुई है।

	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	151	235

- **रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी**

131. नीचे दी गई सारणी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में वृद्धि की संभावना के बावजूद क्षति जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। इसके अलावा यह नोट करते हैं कि प्रति कर्मचारी मजदूरी समूची क्षति जांच अवधि के दौरान स्थिर रही है। इसी प्रकार प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

उत्पादकता				
वर्ष	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13
उत्पादन	मी टन	24,94,413	27,39,976	28,10,245
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	113
कर्मचारी	संख्या	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	94
उत्पादन / कर्मचारी	मी टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	120
प्रतिदिन उत्पादकता	मी टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	113
मजदूरी/कर्मचारी	रुपए	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	96

- **पाटन की मात्रा**

132. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि में और जांच अवधि के पश्चात पोस्ट संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

उत्पादक / निर्यातक	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन सीमा
	यू एस डॉलर / मी. टन	%	%
इटोचू के माध्यम से टी पी सी	***	***	5-15
एक्सोनमोबिल	***	***	10-20
अन्य	***	***	20-30

- **वृद्धि**

133. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में पर्याप्त वृद्धि के बाद भी आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ तथा आर ओ ई के संदर्भ में घरेलू उद्योग में नकारात्मक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि अधिक क्षमता उपयोग तथा बढ़ती मांग के साथ ही घरेलू उद्योग को लाभ, सुविधापूर्ण नकद प्रवाह में सकारात्मक वृद्धि और निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि की संभावना थी।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
क्षमता उपयोग	सूचीबद्ध		10	13	12
लाभ	सूचीबद्ध		4	-41	-4
नकद लाभ	सूचीबद्ध		53	-34	51
आर ओ सी ई	सूचीबद्ध		-2	-41	14
वस्तु सूची	सूचीबद्ध		-6	51	135

- **घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

134. उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यद्यपि सिंगापुर से पाटित आयात भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार की गैर-क्षति कीमतों से कम कीमत पर नहीं हैं। अधिकारी ने संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से सम्बद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों को देखते हुए यह पाया है कि घरेलू कीमतें सम्बद्ध देश के अलावा अन्य देशों से आयातों से प्रभावित प्रतीत होती है जहां पर कि जांच की अवधि और उससे पूर्व के वर्ष में हिस्से में वृद्धि भी हुई है।

- **वृद्धि पर वास्तविक और संभावित प्रभाव**

135. यह नोट किया गया है कि उत्पाद की मांग में काफी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाई है और उत्पादन तथा बिक्रियों में वृद्धि की है। तथापि घरेलू उद्योग को क्षति के कारण सम्बद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से हुए आयातों का होना प्रतीत नहीं होता। लेकिन संभवतः सम्बद्ध देश के अलावा अन्य देशों से हुए कम लदान मूल्य के आयातों के कारण हो सकता है, जो पाटित हो भी सकते हैं और नहीं भी।

- **पूंजी निवेश में वृद्धि के लिए सामर्थ्यता**

136. यह नोट किया गया है कि सिंगापुर से पाटित आयातों के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण मिलने और मांग में पर्याप्त वृद्धि होने के साथ ही घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि ये सभी निवेश वित्तीय रूप से

जोखिमकारी होंगे, यदि सम्बद्ध देश से पाटित और क्षतिकारी आयातों को बिना पाटनरोधी शुल्क लगाए देश के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि क्षतिकारी आयातों के संभावित प्रभाव की जांच की अवधि में और बाद में क्षति के पहलु की संभावना का विश्लेषण करने के संबंध में जांच की गई है। साथ ही चूंकि सिंगापुर के अलावा अन्य देशों से सम्बद्ध वस्तुओं की कीमतें, गैर - क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) से कम हुई है तो घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव घरेलू उद्योग की क्षति का एक संभावित कारण रहा है।

• **पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर**

137. जैसा कि पूर्व खंड में निर्धारित किया गया है सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के पाटन का मार्जिन सकारात्मक है, यद्यपि सिंगापुर से आयातों की मात्रा अधिक पर्याप्त नहीं है।

वर्तमान क्षति और कारणात्मक संबंध का समग्र आकलन

138. विभिन्न कारकों का उपरोक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि सम्बद्ध वस्तुओं की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री के संदर्भ में घरेलू उद्योग का वास्तविक निष्पादन क्षति जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है। तथापि घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में सिंगापुर के अलावा अन्य देशों से आयातों के कीमत संबंधी दबाव के कारण गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि और शामिल पूंजी पर निरंतर भारी क्षति का सामना करना पड़ा है।

• **अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

139. नीचे दिए गए आंकड़े सम्बद्ध देश और अन्य देशों से आयातों की मात्रा और उनकी कीमत संबंधी प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि	जांच की अवधि के बाद
आयात की मात्रा						
सिंगापुर से आयात	मी. टन	54676	54159	46912	63773	106866
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	86	117	195

सर्वोच्च 6 देशों का आयात

कोरिया जन. गण.	मी. टन	36865	31689	42817	52030	42106
कुवैत	मी. टन	19842	14097	18296	31040	36756
साऊदी अरब	मी. टन	83905	73293	151870	152204	208013
थाइलैंड	मी. टन	13254	12374	7869	29498	43868
संयुक्त अरब अमीरात	मी. टन	10774	39868	48678	63192	93448
ओमान	मी. टन	10941	10473	12910	12156	16105
सर्वोच्च 6 देशों से कुल आयात	मी. टन	175581	181793	282440	340120	440296
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	161	194	251
अन्य देशों से आयात	मी. टन	35373	9760	13636	49727	42607
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	28	39	141	120
कुल आयात	मी. टन	265631	245712	342988	453620	589769
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	129	171	222
आयात कीमत (सी आई एफ मूल्य/ मी. टन)						

सिंगापुर से आयात	रु./ मी. टन	67,636	76,252	83,811	98,185	102972
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	124	145	152
कोरिया जन. गण.	रु./ मी. टन	70913	79350	84564	99942	105693
कुवैत	रु./ मी. टन	61303	70356	77687	92890	88434
साऊदी अरब	रु./ मी. टन	62646	70679	77541	90248	87772
थाइलैंड	रु./ मी. टन	70370	79365	87751	100894	97622
संयुक्त अरब अमीरात	रु./ मी. टन	62976	69345	75438	89013	86923
ओमान	रु./ मी. टन	61222	72561	76348	93548	89864
सर्वोच्च 6 देशों का योग	रु./ मी. टन	64745	72573	78482	92755	90440
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	121	143	140
अन्य देशों से आयात	रु./ मी. टन	62,680	72,422	78,171	95,530	94,476
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	125	152	151

140. उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सिंगापुर के अलावा अन्य देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों की कीमतें सिंगापुर से कम हैं। प्राधिकारी ने जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद सिंगापुर से भारत को तथा तीसरे देशों को किए गए निर्यात की कीमतों की जांच करने के बाद यह पाया है कि सिंगापुर से सहयोगी उत्पादों/ निर्यातकों की निर्यात कीमतों से क्षति नहीं हुई है और साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण भी नहीं है।

• **मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन**

141. यह नोट किया गया है कि देश में सम्बद्ध वस्तुओं की मांग आधार वर्ष से 2011-12 तक निरंतर बढ़ी है जिसमें देश में बेहतर मांग की स्थिति दर्शाई गई है। यह नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली सम्बद्ध वस्तुओं की खपत की पद्धति में परिवर्तन के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है। वास्तव में सामान्य आर्थिक निष्पादन में वृद्धि के साथ ही संबद्ध वस्तुओं की खपत में वृद्धि होने की संभावना है जो बेहतर मांग की स्थिति में दर्शाई गई है। अतः मांग में कमी अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने का एक कारक नहीं है।

• **व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह पता नहीं चला है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार हैं। बल्कि प्राधिकारी यह मानते हैं कि सिंगापुर से आयातों का पहुंच मूल्य सिंगापुर से आयातों पर अधिमानी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद अधिक था।

• **प्रौद्योगिकी में विकास**

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह पता नहीं चला है कि प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

• **घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

144. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के केवल घरेलू कार्यनिष्पादन पर विचार किया है।

• **क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन**

145. प्राधिकारी द्वारा अपनाये जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के

अनुबंध III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) और सिंगापुर से निर्यातकों के लिए पहुंच मूल्य निर्धारित किया है।

146. सिंगापुर से निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य निम्नानुसार है:

(i) मै. इटोचू प्लास्टिक्स पीटीई. लि. (इटोचू) के माध्यम से दि पॉलिओलेफिन कंपनी (सिंगापुर) पीटीई लि. (टीपीसी)

147. मै. टीपीसी-मै. इटोचू (उत्पादक-निर्यातक समूह) के लिए संबद्ध वस्तु का भारित औसत पहुंच मूल्य पीओआई में संबद्ध वस्तु की भारित औसत सीआईएफ और 1 प्रतिशत प्रहस्तन प्रभार और लागू सीमा-शुल्क को जोड़कर ज्ञात किया गया है। इस प्रकार, भारित औसत पहुंच मूल्य ***डा./एमटी के रूप में परिकलित किया गया है।

(ii) एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक (एक्सोनमोबिल)

148. मै. एक्सोनमोबिल के लिए संबद्ध वस्तु का भारित औसत पहुंच मूल्य पीओआई में संबद्ध वस्तु की भारित औसत सीआईएफ और 1 प्रतिशत प्रहस्तन प्रभार और लागू सीमा-शुल्क को जोड़कर ज्ञात किया गया है। इस प्रकार, भारित औसत पहुंच मूल्य ***डा./एमटी के रूप में परिकलित किया गया है।

(iii) असहयोगी उत्पादक/निर्यातक:

149. बचे हुए/असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पहुंच मूल्य को ज्ञात करने के लिए सिंगापुर से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के बीच न्यूनतम निर्यात कीमत (सीआईएफ) में 1 प्रतिशत प्रहस्तन प्रभार, लागू सीमा-शुल्क को जोड़ा गया है। इस प्रकार परिकलित पहुंच मूल्य *** डा./एमटी है।

150. तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी और क्षति मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

विवरण	इकाई	एक्सोनमोबिल	इटोचू के माध्यम से टीपीसी	अन्य
सिंगापुर				
एनआईपी	अम.डा./एमटी	***	***	***
पहुंच मूल्य	अम.डा./एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम.डा./एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज	ऋण (0-5)%	ऋण (0-5)%	जमा (0-10)%

• पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

151. यह नोट किया जाता है संबद्ध वस्तुओं का सिंगापुर से भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी है यद्यपि आयातों की मात्रा जो आरंभ में स्थिर थी परंतु पीओआई में बढ़ गई। नियमों में प्राधिकारी के लिए इस बात की जाँच करना अपेक्षित है कि क्या पाटन के जारी रहने की संभावना है और यदि शुल्क हटाया जाता है तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

• घरेलू उद्योग के विचार

152. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि सिंगापुर से विचाराधीन उत्पाद का पाटन होना जारी है। पाटित आयातों की मात्रा बढ़ी है और पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है। यह अनुरोध किया गया है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो विचाराधीन उत्पाद के पाटन के सिंगापुर से और तेज होने की संभावना है।

153. यह कि नियम 23(1ख) के साथ पठित धारा 9क(5) के अनुसार पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की विधिक आवश्यकता में यदि शुल्कों की अवधि को बढ़ाया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का पता लगाना है। पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने या उसके जारी रहने के निर्धारण करने के संबंध में,

यूएस-कोरोजन-रोधी स्टील निर्णायक समीक्षा संबंधी अपीलीय निकाय ने नोट किया कि चूंकि यह संभावना निर्धारण भावी निर्धारण है इसलिए 'प्राधिकारियों को आगामी संभावना विश्लेषण करना चाहिए और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए कि शुल्क को समाप्त करने पर क्या होने की संभावना है।'

154. घरेलू उद्योग पहले से ही क्षति उठा रहा है और पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को और क्षति होगी। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर भारी ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

155. संबद्ध देश के उत्पादक भारी क्षमताएं रखते हैं। इसके अलावा, एक्सोनमोबिल के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया है कि सिंगापुर में स्थानीय मांग नगण्य है और वे संबद्ध वस्तु का मुख्यतः निर्यात कर रहे हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि जैसा एक उत्पादक/निर्यातक अर्थात् मै. एक्सोन मोबिल द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनका सबसे बड़ा निर्यात बाजार चीन है और उसके बाद वियतनाम इंडोनेशिया और भारत है। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध प्रकाशित सूचना के अनुसार चीन (जो संबद्ध वस्तु का निवल आयातक है) 2015 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा क्योंकि संबद्ध वस्तु की नई क्षमताएं स्थानीय मांग को पूरा कर देगी। अतः यह सन्निकट है कि सिंगापुर से निर्यातकों के पास अतिरिक्त क्षमता होगी जिसे इस समय चीन में बाजार मिल रहा है। निम्नांकित तालिका से, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चीन में आयातों में भारी कमी आई है:

इकाई '000 एमटी	इकाई	2013	2014	2015	2016	2017	स्रोत
चीन में क्षमता	एमटी	15764	17642	20801	24332	26989	आईएचएस कैमिकल
चीन में उत्पादन	एमटी	13200	14772	17239	19785	22122	आईएचएस कैमिकल
चीन में मांग	एमटी	17880	19496	21221	22803	24389	आईएचएस कैमिकल
चीन में आयात	एमटी	5010	5019	4132	3167	2417	आईएचएस कैमिकल
में कटौती	एमटी		-9	888	1843	2593	
में कटौती	%		0%	-18%	-37%	-52%	

इकाई '000 एमटी	इकाई	2013	2014	2015	2016	2017	स्रोत
सिंगापुर में क्षमता	एमटी	1448	1485	1485	1485	1485	आईएचएस कैमिकल
सिंगापुर में उत्पादन	एमटी	1135	1363	1293	1234	1245	आईएचएस कैमिकल
सिंगापुर में मांग	एमटी	42	43	43	44	45	आईएचएस कैमिकल
सिंगापुर में आयात	एमटी	552	580	550	560	600	आईएचएस कैमिकल
आपूर्ति के लिए कुल उपलब्ध	एमटी	1687	1943	1843	1794	1845	आईएचएस कैमिकल
निर्यात के उपलब्ध निवल मात्रा	एमटी	1958	2022	1992	2001	2040	

156. यह भी स्वीकृत स्थिति है कि सिंगापुर के लिए चीन प्रमुख बाजार है। अतः, चीन में आयात में किसी कमी से सिंगापुर के निर्यातकों पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि शुल्क को हटाया जाता है तो पूरी आशंका है कि चीन को आपूर्ति की गई मात्रा भारतीय बाजार की ओर रुख करेगी। प्राधिकारी को यह भी मानना होगा कि संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों के पास उनके उपयोग के लिए 140 प्रतिशत से अधिक क्षमता है जो किसी भी मानक से काफी अधिक है। अतः यदि सिंगापुर पर से शुल्क हटाया जाता है तो यह अतिरिक्त उत्पादन निश्चित रूप से अन्य आपूर्तिकर्ताओं के मुकाबले उनकी बेहतर स्थिति को देखते हुए भारत में आएगा।

157. सिंगापुर के निर्यातकों के लिए लाभों (जैसे मालभाड़ा, मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और भारत में भारी मांग) के कारण, भारत उनका प्रमुख लक्ष्य बन जाएगा।

158. यह कि याचिका में बताई गई कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री विश्लेषण पीओआई से संबंधित है और न कि पीओआई से बाद की अवधि के लिए। जब तक पीओआई के बाद की सूचना की जाँच नहीं की जाती है तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

159. यह कि अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत संभावना निर्धारण में उपलब्ध सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर भावी घटनाओं का विश्लेषण शामिल होता है और परिणामस्वरूप केवल पाटन मार्जिन की गणना करना ही अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत अपेक्षित कार्यों का निर्वहन करना नहीं होगा। यह दलील भी दी गई है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में पीओआई के बाद का कोई आकड़ा नहीं दिया गया है।

160. यह कि हितबद्ध पक्षों ने प्राधिकारी से प्राधिकारी द्वारा संभावना के निर्धारण के लिए पीओआई के बाद के आकड़ों को प्रस्तुत करने का निर्देश घरेलू उद्योग को देने और हितबद्ध पक्षों को उन पर उनकी टिप्पणियों के लिए उनकी एक प्रति प्रदान करने का भी अनुरोध किया है।

161. उक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने पर संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में और वृद्धि होना निश्चित है, जो सिंगापुर से शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित आयातों के जारी रहने के तथ्य से भी स्पष्ट है।

162. यह कि सिंगापुर से भारत से इतर अन्य देशों की कीमतों के आधार पर परिकलित क्षति और पाटन मार्जिन भी सकारात्मक और काफी अधिक है।

163. उक्त को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की पूरी संभावना है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने से भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन करने के लिए सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के विनिर्माताओं/निर्यातकों को खुली पहुँच मिल जाएगी।

• **घरेलू उद्योग से इतर उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/हितबद्ध पक्षों के अनुरोध**

164. यह कि घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के साक्ष्य नहीं दिए हैं कि पाटन और क्षति के जारी रहने की कोई संभावना है।

165. यह कि घरेलू उद्योग ने याचिका में जॉच अवधि के बाद की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है इसलिए हितबद्ध पक्ष घरेलू उद्योग के जॉच अवधि के बाद के कार्य निष्पादन पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

166. यह कि टैरिफ नियमावली के नियम 23(1क) के साथ पठित अनुच्छेद 9क(5) में सकारात्मक साक्ष्य और इस संपुष्ट साक्ष्यांकित आधार कि उपाय को हटाये जाने पर पाटन और क्षति दोनों के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, पर आधारित निर्धारण पर किसी पाटनरोधी उपाय को जारी रखने की शर्त है। ऐसा निर्धारण नहीं करने पर, प्राधिकारी को पाटनरोधी उपाय को समाप्त कर देना चाहिए।

167. यह कि पालीप्रोपिलीन के लिए अच्छी और बढ़ती हुई मांग के चलते घरेलू उद्योग ने उच्च घरेलू कीमतों से लाभ कमाते हुए अपनी बिक्री मात्रा, उत्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, और पूंजी जुटाने की क्षमता को बढ़ाया है। इससे सिंगापुर से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी उपायों को हटाये जाने पर क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है।

168. हितबद्ध पक्षों ने घरेलू उद्योग के इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि संबद्ध देश में भारी क्षमता मौजूद है जो सिंगापुर से आयातों के कारण पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना उत्पन्न कर देगे। यह तर्क दिया गया है कि केवल भारी क्षमता की मौजूदगी ही पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का आधार नहीं हो सकता है जैसा कि अपीलीय निकाय ने माना है। याचिकाकर्ताओं को भारी क्षमताओं की मौजूदगी के लिए ठोस सबूत देने चाहिए और केवल संयोग को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

169. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश में मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं के संबंध में प्रदत्त साक्ष्य पूर्ण रूप से साक्ष्यांकित नहीं हैं और शुल्कों को केवल मौजूदा निपटान योग्य क्षमता के आधार पर जारी नहीं रखा जा सकता है।

170. यह कि घरेलू उद्योग ने पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा, पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त तर्क में कोई तथ्य नहीं है।

• **प्राधिकारी द्वारा जॉच**

171. वर्तमान जॉच सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमों के तहत, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

172. डीजीसीआईएंडएस, डीजी सिस्टम्स और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त आकड़ों के आधार पर जाँच अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा मोटे तौर पर एक-दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार व्यापक आर्थिक क्षति संबंधी मापदंडों पर क्षति का विश्लेषण डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों के आधार पर किया गया है।

173. निम्नलिखित विश्लेषण पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने की संभावना को दर्शाता है।

(i) संबद्ध देश से वर्तमान और पूर्ववर्ती पाटन मार्जिन का स्तर

174. पूर्ववर्ती खंडों की जाँच का निष्कर्ष यह है कि सिंगापुर से पाटन मार्जिन का स्तर सकारात्मक है।

(ii) संबद्ध देश में उपलब्ध क्षमताएं

175. प्राधिकारी देखते हैं कि यद्यपि सिंगापुर में आधिक्य क्षमताएं हैं और सिंगापुर में उत्पादन का केवल 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत स्थानीय खपत के लिए होता है, इसलिए सिंगापुर से उत्पादकों से पोलीप्रापीलीन के निर्यातों में होने का स्तर काफी अधिक है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि सिंगापुर के निर्यातों का एक बड़ा हिस्सा (39 प्रतिशत) चीन को जाता है। इसके अलावा, चीन द्वारा कुल आयातों में चीन के आत्मनिर्भर हो जाने के कारण गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। इससे यह संभावना प्रदर्शित होती है कि सिंगापुर की वस्तुएं जिनका निर्यात चीन को किया जा रहा है, का पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने पर भारत को निर्यात किए जाने की संभावना है। अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस दावे पर प्रश्न उठाया है और यह तर्क दिया है कि केवल क्षमताओं की मौजूदगी शुल्क की अवधि बढ़ाये जाने का आधार नहीं हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किए जाने की सन्निकट संभावना हो सकती है तथापि डब्ल्यूटीए के आकड़ों से की गई जाँच के अनुसार जाँच अवधि के बाद में सिंगापुर के उत्पादकों/निर्यातकों का चीन को तथा भारत को कीमत संबंधी व्यवहार दर्शाता है कि भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों का गंतव्य बनाये जाने से क्षति की संभावना नहीं है।

(iii) संबद्ध देश से अन्य देशों को निर्यात कीमत पर आधारित क्षति का स्तर

176.

क्र. सं.	देश	पंहच मूल्य (डा./एमटी) (जाँच अवधि के दौरान)	पंहच मूल्य (डा./एमटी) (जाँच अवधि के बाद - 6 महीने)
1.	ओमान	1562	1480
2.	कुवैत	1551	1517
3.	सऊदी अरब	1507	1516
4.	यूएई	1486	1431
5.	सिंगापुर	1656	1671

177. उक्त तालिका से जाँच अवधि और जाँच अवधि के बाद दोनों के समग्र डीजीसीआईएंडएस आकड़ों से सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति सिंगापुर से इतर देशों से आयातों के कारण अधिक हुई प्रतीत होती है क्योंकि ओमान, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई से जाँच अवधि और उसके बाद दोनों अवधि के लिए निर्यातों का पंहच मूल्य न केवल सिंगापुर से कम है बल्कि पीओआई और पीओआई के बाद दोनों के लिए एनआईपी से भी कम है। पीओआई में सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के आयातों के हिस्से में गिरावट आई है जबकि अन्य देशों के हिस्से में वृद्धि हुई है और उक्त तालिका में दर्शाए गए कीमत के रुझानों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बिक्री कीमतों की सीमा को सिंगापुर से इतर देशों द्वारा बढ़ाया जा रहा है।

(iv) भारतीय बाजार की आकर्षक कीमत और मांग संबंधी परिदृश्य

178. संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में उत्पाद की मांग में वृद्धि होना जारी है जो सामान्य आर्थिक वृद्धि के अनुक्रम में है। इस प्रकार बाजार अधिक क्षमता वाले वैश्विक भागीदारों, जो भारत को निर्यात करना चाहते हैं, के लिए आकर्षक बना हुआ है। अतः यदि शुल्क हटाया जाता है तो भारतीय बाजार और अधिक आकर्षक बन जाएगा क्योंकि निर्यातकों द्वारा वर्तमान शुल्क के स्तर की सीमा तक बेहतर कीमतें प्राप्त की जा सकेंगी। प्राधिकारी ने इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, निरंतर क्षति

का विश्लेषण करने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के कीमत संबंधी रूझानों का मूल्यांकन किया है। भारत में और भारत से इतर अन्य देशों को पीओआई और पीओआई के बाद की कीमतें एक गैर-क्षतिकारी प्रभाव दर्शाती हैं। संबद्ध देश से आयातों पर अधिमानी शुल्क की उपलब्धता के कारण भी पहुंच मूल्य में कमी नहीं हुई है, जो अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के कम पहुंच मूल्य के प्रत्युत्तर का संभावित परिणाम हो सकता है। अतः, इसका अर्थ है कि क्षति की संभावना प्रतीत नहीं होती है यद्यपि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हो सकती है।

(v) जॉच अवधि के बाद की अवधि में आयातों का रूझान

179. जॉच अवधि के बाद की अवधि में आयातों और कीमतों के रूझान की जॉच से पता चलता है कि पीओआई और पीओआई के बाद तीसरे देशों को मै. एक्सोन द्वारा निर्यातित वस्तु की भारित औसत निर्यात कीमत क्रमशः ***डा./ एमटी और ***डा./एमटी है जिसे यदि भारत को निर्यात किया जाता है तो वह क्षतिरहित होगी। मै. टीपीसी द्वारा पीओआई और पीओआई के बाद तीसरे देशों को निर्यातित वस्तु की भारित औसत निर्यात कीमत क्रमशः ***डा./ एमटी और ***डा./एमटी है जिसे यदि भारत को निर्यात किया जाता है तो वह भी क्षतिरहित होगी। मै. टीपीसी द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए इटोचू की भारत को पीओआई के बाद की निर्यात कीमत ***डा./एमटी है और वह भी क्षतिरहित है। जॉच अवधि के बाद की कीमत की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:

जॉच अवधि के बाद की प्रवृत्तियां:

I. स्रोत : वर्ल्ड ट्रेड एटलस

	सामान्य मूल्य (अम.डा./एमटी)	एनआईपी (अम.डा./एमटी)	पाटित सौदे (%)	यदि भारत को मार्ग परिवर्तित किए जाए तो क्षतिकारी सौदे (%)
सिंगापुर से तीसरे देशों को निर्यात	***	***	95.96	कोई नहीं

	सामान्य मूल्य (अम.डा./एमटी)	एनआईपी (अम.डा./एमटी)	पाटित मार्जिन (%)	पाटित मार्जिन रेंज	क्षति मार्जिन (%)
सिंगापुर से भारत को निर्यात	***	***	***	5-10	नकारात्मक

II. स्रोत : निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर

सिंगापुर से तीसरे देशों को निर्यात

	पाटन मार्जिन रेंज	पहुंच कीमत (अम.डा./एमटी)	क्षति मार्जिन (अम.डा./एमटी)
टीपीसी	0-10	***	नकारात्मक
एक्सोन	0-10	***	नकारात्मक

सिंगापुर से भारत को निर्यात

	पाटन मार्जिन रेंज	पहुंच कीमत (अम.डा./एमटी)	क्षति मार्जिन (अम.डा./एमटी)
टीपीसी	0-5	***	नकारात्मक
एक्सोन	5-10	***	नकारात्मक

180. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने की अवधि के दौरान सिंगापुर से आयातों में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के अलावा आयात मात्रा में वृद्धि के लिए सिंगापुर में उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता और उनके तीसरे देशों को निर्यातों को भारत को मार्ग परिवर्तित

किए जाने की संभावना जैसे कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। तथापि, सहयोगी निर्यातकों द्वारा जॉच अवधि और उसके बाद सिंगापुर से निर्यातों में वृद्धि घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित पाई गई है। भारत और अन्य देशों को संबद्ध देश से जॉच अवधि के बाद में संचयी निर्यातों को भी क्षतिरहित पाया गया है। अतः यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया भी जाता है तो सिंगापुर से निर्यातकों द्वारा यद्यपि पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा सकता है, परंतु वह घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी नहीं होगा।

181. यद्यपि सिंगापुर से आयातों में वृद्धि हुई है, तथापि उनकी कीमतें जॉच अवधि में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित संबद्ध वस्तुओं की एन आई पी से अधिक है और सऊदी अरब, ओमान, यू.ए.ई. और कुवैत जैसे अन्य देशों से भारत में निर्यात कीमतों से भी अधिक है। अतः यह असंबद्ध देश ही बेंचमार्क कीमतें तय करते हैं जिससे कीमत ह्रास होता है और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होती है।

182. शेष माने गये असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में, प्राधिकारी जॉच अवधि और उसके बाद भारत और अन्य देशों को संबद्ध वस्तु के निर्यातों के संबंध में उनके विशिष्ट कीमत व्यवहार का मूल्यांकन करने और विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा में यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि क्षति असंबद्ध देशों द्वारा की जा रही है। अतः प्राधिकारी वर्तमान जॉच में ऐसे सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों पर कमतर शुल्क नियम के अनुसार यथा निर्धारित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने पर विचार करते हैं।

प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

घरेलू उद्योग की टिप्पणिया

183. जन सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे, लिखित अनुरोध, प्रत्युत्तर विवरण तथा अन्य अनुरोधों, जो प्रकटीकरण विवरण में समुचित रूप से उल्लेख अथवा कार्रवाई नहीं की गई है को भी प्रकटीकरण विवरण पर हमारी टिप्पणियों का एक भाग माना जाएगा और उसे गोपनीयता की दृष्टि से यहां पर पुनः उल्लेख नहीं किया गया है।

184. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 15% से अधिक इथाइलेन के अंश वाले पोलिप्रोपाइलेन को शामिल न करने का अनुरोध किया है क्योंकि भारत में कोई भी उत्पादक इस उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहा है।

185. प्रोपाइलेन आधारित इलास्टोमर (विस्टामेक्स) एक विशिष्ट उत्पाद है जिसका एक विशेष पोलिमर के रूप में बहुत ही विशिष्ट गुण और विशिष्ट उपयोग होता है। इसकी विशिष्टता के गुण का एक तुलनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	गुण	को-पोलिमर प्रभाव	प्रोपाइलेन आधारित इलास्टोमर (विस्टामेक्स)
1.	% को - मोनोमर इथाइलेन	5-15%	15-25%
2.	% इथाइलेन प्रोपाइलेन रबड़ (ईपीआर)	10-30%	40-55%
3.	सघनता	0.887-0.905g/Cm3	0.863 0.878g/Cm3
4.	प्रेरक	नियमित डाईइस्टर अथवा डाईईथर आधारित प्रेरक	मैटलोसिन प्रेरक
5.	उत्पादन प्रौद्योगिकी	यूनिपोल/स्फे	एक्सपोल मेटथलोसीन प्रौद्योगिकी
6	मेल्ट फ्लो इंडेक्स (230°C) g/10मि.	1.5 -50	80-300
7	सख्ती 15 से.	84-98	72-77
8	वाइकाट सॉफ्टनिंग प्वाइंट 200g (°C)	140-150	46-50
9	निष्पादन गुण	अधिक तनाव , लोअर ब्रेकिंग एलोगनेशन, हाई स्टिफनेस हाई हीट डिस्टोर्शन टेम्परेचर (एचडीटी) हाई मेल्टिंग टेम्परेचर हायर क्रेस्टेनलिटी हायर डेन्सिटी	कम तनाव, बेहतर ब्रेकिंग एलोगनेशन, लोअर स्टिफनेस लोअर हीट डिस्टोर्शन टेम्परेचर (एचडीटी) लो मेल्टिंग टेम्परेचर लोअर क्रेस्टेनलिटी लोअर डेन्सिटी
	अंतिम उपयोक्ता	उपकरण को बनाने में संघटक,	प्रमुख अनुप्रयोगों के साथ स्टैंड

		आटोमोबाइल संघटक, स्टेडएलोन पोलिमर के रूप में फर्नीचर	अलोन पॉलीमर के रूप में कभी कभार प्रयुक्त (बिना बुनाई, इलास्टिक बंडेड, जिसका आई सी पी द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता) 85-90% का उपयोग विभिन्न प्रकार के पोलिप्रोपाइलीन और उत्पादों के उत्पादन के लिए संशोधक के रूप में किया जाता है।
--	--	---	--

186. प्रोपाइलेन आधारित इलास्टोमर जैसे विस्टामेक्स जिनमें 15.25% की बीच उच्च इथोइलेन के अंश हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रोपाइलेन और इथाइलेन के को-पोलिमर (आईसीपी) की तुलना में काफी अधिक है, जहां पर कि कोमोनामर पोलिमर इथाइलेन कुल सम्मिश्रण का केवल 5-15% है। इसके परिणामस्वरूप ईपीआर में काफी अंतर आया है जो कि विस्टामेक्स में केवल 40-55% और आईसीपी में केवल 10-30% है। आपके ध्यान यह बात भी लाई गई थी कि विश्व में केवल 2-3 विनिर्माता के पास ही ऐसे इलास्टोमरिक पोलिप्रोपाइलेंट के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक उत्पादन सुविधा है।

187. प्रारंभिक जांच के समय आरआईएल ने उच्च इथाइलेन अंश वाले कोपोलिमर का उत्पादन करने का प्रयास किया था लेकिन वे व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं कर सके क्योंकि प्रौद्योगिकीय समस्याएं थीं। यह पुष्टि की जाती है कि घरेलू उद्योग के पास प्रौद्योगिकीय समस्याओं के कारण ऐसे ग्रेड का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि घरेलू उद्योग ने अपने निर्णायक समीक्षा अनुरोध में स्वयं ही आयात डाटा से विस्टामेक्स जैसे उच्च इथाइलेन अंश वाले उत्पादों को हटा दिया था।

188. 15% से अधिक के उच्च इथाइलेन अंश वाले कोपोलिमर के विभिन्न अनुप्रयोग हैं और इसलिए इनकी कीमत घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कोपोलिमर से काफी अधिक है। इन कोपोलिमर के लिए बिलकुल ही अलग बाजार है और यह उत्पाद न तो तकनीकी रूप से और न ही वाणिज्यिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों का विकल्प हो सकते हैं।

189. घरेलू उद्योग से अनुरोध है कि जांच के क्षेत्र से विस्टामेक्स जैसे 15% से अधिक के इथाइलेन अंश वाले प्रोपाइलेन और इथाइलेन के सभी पोलिमर को अलग किया जाए। घरेलू उद्योग के उपरोक्त अनुरोध के समर्थन में इसने डीजीएडी के निम्नलिखित जांच निष्कर्षों का उल्लेख किया जिनमें प्राधिकारी ने शुल्कों को हटा लिया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने उस जांच में शामिल सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन बंद कर दिया था :

(क) चीन जन. गण. यूरोपीय संघ, यूएसए और ब्राजील [15/2/2009 डीजीएडी दिनांक 6.8.2009] से इथाइलेन – प्रोपाइलेन – नॉनकंजुगेटिड – डाइने- मोनोमर (इपीडीएम) रबड़ :

“24. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पाटनरोधी उपायों से घरेलू उद्योग को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में देश में कोई भी सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा है; प्राधिकारी की यह राय है कि यूरोपीय संघ, यूएसए, चीन जन. गण. और ब्राजील से आयातों के संबंध में इस उपाय को हटाए जाने की जरूरत है”

(ख) चीन जन. गण. [15/18/2011 डीजीएडी दिनांक 10.2.2012] से सोडियम ट्राईपोली फोस्फेट (एसटीपीपी):

“21. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पाटनरोधी उपायों से घरेलू उद्योग को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में देश में कोई भी सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा है; प्राधिकारी की यह राय है कि चीन जन. गण. से आयातों के संबंध में इस उपाय को हटाए जाने की जरूरत है”

190. टीपीसी के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने की जरूरत है क्योंकि इसने मैसर्स इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लि. और मैसर्स मारुबेनी कैमिकल एशिया पेसीफिक प्राइवेट लि. के माध्यम से भारत को सम्बद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था। लेकिन चूंकि मारुबेनी ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है इसलिए टीपीसी की मूल्य श्रृंखला को पूरा नहीं माना जा सकता और इसे प्राधिकारी के निम्नलिखित जांच निष्कर्षों से उत्पन्न हाल ही के फैसले के आलोक में अस्वीकार किया जाए :

• **एआरडब्ल्यू मामला**

“142 (ix.) जहां तक साइटिक डाईकास्टल द्वारा इस अनुरोध का संबंध है कि उसका वर्तमान जांच में सहयोग के लिए उन पर दबाव डालने के लिए असम्बद्ध उत्पादकों पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसकी निर्यात कीमतें इस आधार पर अस्वीकार न की जाए, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि इस मामले का अंतिम जांच परिणाम के संगत पैरा में समुचित और पर्याप्त रूप से समाधान कर लिया गया है। इसके बावजूद प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि कम्पनी द्वारा किया गया काफी मात्रा में आयात (75%) साइटिक डाईकास्टल द्वारा अन्य उत्पादकों से जिन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है, से प्राप्त किया जाता है। चूंकि कम्पनी द्वारा किए गए अधिकांश निर्यातों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला प्राधिकारी के समक्ष मौजूद नहीं है इसलिए प्राधिकारी ने साइटिक डाईकास्टल को व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान नहीं किया है। ”

• **प्लेन मिडियम डेंसिटी फाईबर बोर्ड (एमडीएफ) निर्णायक समीक्षा :**

“37. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स डोंगवाह एमडीएफ (एम) एसडीएन. बीएचडी. (डीएमएम) (उत्पादक) डोंगवाह ग्लोबल सेल्स एसडीएन. बीएचडी. (निर्यातक) , मलेशिया, 2 सम्बद्ध संस्थाओं ने भी प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं। डोंगवाह ग्लोबल सेल्स एसडीएन. बीएचडी. (निर्यातक) , जो डोंगवाह एमडीएफ (एम) एसडीएन. बीएचडी. का व्यापारी/निर्यातक है , के प्रश्नावली उत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने 1,18,326 सीबीएम सम्बद्ध वस्तुओं की खरीद मैसर्स डोंगवाह एमडीएफ (एम) एसडीएन. बीएचडी. से की है। निर्यातक डोंगवाह ग्लोबल सेल्स एसडीएन. बीएचडी. ने जांच की अवधि में सम्बद्ध वस्तुओं का भारत और अन्य देशों को निर्यात किया है। आयात की कुल मात्रा 2,63,699 सीबीएम है। जिसमें से भारत को 1,266 सीबीएम का निर्यात किया गया है। निर्यातक डोंगवाह ग्लोबल सेल्स एसडीएन. बीएचडी. ने अपने प्रश्नावली उत्तर में शेष मात्रा की खरीद के बारे में पूरी सूचना प्रदान नहीं की है। इसके अलावा अपने प्रश्नावली उत्तर में मैसर्स डोंगवाह एमडीएफ (एम) एसडीएन. बीएचडी. ने यह उल्लेख किया है कि मैसर्स डोंगवाह फाइबर बोर्ड एसडीएम. डीएचडी.(डीएफडी) भी घरेलू बिक्री में संलिप्त है। डीएमएम की एक सम्बद्ध कंपनी डीएफवी ने कोई भी प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं की है। चूंकि डीएमएम घरेलू बाजार में दो सम्बद्ध कम्पनियों को वस्तुओं की बिक्री कर रहा है और उत्पादित वस्तुओं की मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं है, इसलिए मैसर्स डोंगवाह एमडीएफ (एम) एसडीएन. बीएचडी. , मलेशिया और मैसर्स डोंगवाह ग्लोबल सेल्स एसडीएन. बीएचडी. , मलेशिया के संबंध में प्राधिकारी ने अपनी प्रथा के अनुसार व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। ”

• **फ्लैक्सिबल स्लेबस्टोक पोलिओल (एसएफपी):**

“90 अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए एनईपीएल/एसईटीएल के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सम्बद्ध वस्तुओं के निर्माण प्रचालनों का प्रबंधन एसईपीएल की 100% स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी एससीएसएल द्वारा किया जाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री एसईटीएल के स्वामित्व वाले एक पंजीकृत कारोबार, शैल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस) द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री की गई है। यह नोट किया जाता है कि बिक्री की गई वस्तुओं के लिए भुगतान शैल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस) द्वारा प्राप्त किया गया है। जबकि एसईपीएल और एसईटीएल में निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और एससीएसएल तथा शैल ईस्टर्न कैमिकल्स (एस) ने दिनांक 12.9.2014 को हुई जन सुनवाई के दौरान प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विशेष निर्देशों के बावजूद निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री की पूरी मूल्य श्रृंखला में होने के कारण प्राधिकारी ने एसईपीएल और एसईटीएल द्वारा दाखिल निर्यातक प्रश्नावली उत्तर को अस्वीकार किया है। ”

• सोलर सैल :

“ 55. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि फर्स्ट सोलर एसडीएन.बीएचडी., मलेशिया ने अपनी सम्बद्ध पार्टी फर्स्ट सोलर जीएमबीएच, मैज, जर्मनी के माध्यम से अपने निर्यातों के अलावा कई अन्य पक्षकारों से, जिन्होंने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है, जांच की अवधि के दौरान भारत को सम्बद्ध वस्तुओं का काफी मात्रा में निर्यात किया है। परिणाम स्वरूप फर्स्ट सोलर एसडीएन.बीएचडी., मलेशिया द्वारा जांच की अवधि के दौरान भारत को किए गए सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यातों की पूरी मूल्य शृंखला प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकारी फर्स्ट सोलर मलेशिया को व्यक्तिगत मार्जिन का निर्धारण करके प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। ”

• यूएसबी मामला: प्राधिकारी ने एटीपी इलैक्ट्रानिक्स, ताइवान के उत्तर को अस्वीकार किया है क्योंकि वे ऐसे सम्बद्ध पक्षकार के प्रश्नावली उत्तर को दाखिल करने में असफल रहे हैं, जो सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल है। हम इस मामले में भी उसी मापदंड का अनुसरण करने के लिए अपना अनुरोध दोहराते हैं।

• सच्चारिन मामला : प्राधिकारी ने मैसर्स तियांजिन चांगी कैमिकल्स कंपनी लि. के उत्तर को ही इस आधार पर अस्वीकार किया है कि प्रारंभ में प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया गया था और जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यात और घरेलू बिक्री में शामिल सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा जांच की बाद की अवस्था में दाखिल किया गया था। तथापि यह स्पष्ट किया गया था कि सम्बद्ध कम्पनियां केवल विशेष प्रयोजन माध्यम हैं और वे सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल नहीं हैं, केवल इनवाइस में उनका नाम दिया गया था।

191. एक्सोनमोबिल का उत्तर भी इस आधार पर अस्वीकार किया जाए कि ईएमसीएपी अथवा ईएमएपीपीएल ने ऐसा कोई कानून नहीं दिखाया है जो यह बताता हो कि दो विभिन्न संस्थाएं पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन से एक ही संस्था मानी जा सकती है।

192. एफएसपी के मामलों में प्राधिकारी का हाल ही का निर्णय, जिसमें शैल ईस्टर्न कैमिकल्स का उत्तर इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि वे ऐसी ही परिस्थितियों के अंतर्गत एक संगत संस्था की ओर से उत्तर दाखिल करने में विफल रहे हैं जबकि मूल जांच में भी वही तथ्य दर्ज थे।

193. घरेलू उद्योग को क्षति होने की पूरी संभावना है। जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद (अप्रैल, 2014 से सितम्बर, 2014 तक) टीपीसी और ईएमसीएपी, दोनों के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक पाया गया था। अक्टूबर, 2014 से मार्च 2015 तक के आयात के आंकड़े स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध करते हैं कि सिंगापुर से लदान मूल्य में अप्रैल, 2014 से सितम्बर, 2014 और अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए 6% से भी अधिक अर्थात् क्रमशः 103939 रुपये/मी.टन से 97432 रुपये मी.टन की गिरावट आई है। लदान मूल्य की गणना नीचे सारणी में दी गई है :-

लेबल क्रम	मात्रा मी.ट.	आकलित मूल्य रू.	आकलित मूल्य (रू./मीट.)	सीआई मूल्य (रू./मीट.)	लगान मूल्य (रू./मीट.)
जांच की अवधि I के उपरांत					
अप्रैल 14 – सितं 14	58204	5987283491	102867	101848	103939
जांच की अवधि II के उपरांत					
अक्टू-14 मार्च 15	46427	4476831278	96426	95472	97432

194. उपरोक्त विश्लेषण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 2014-15 के दूसरे अर्द्धवर्ष से सिंगापुर से लदान मूल्य में गिरावट आई है। यह इस बात को सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

195. अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2015 तक के आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सिंगापुर से लदान मूल्य में अप्रैल, 2014 से सितम्बर, 2014 और अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए 6% से भी अधिक अर्थात् क्रमशः 103939 रुपये/मी.टन से 97432 रुपये/मी.टन की गिरावट आई है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि सभी निर्यातकों पर शुल्क लगाया जाए ताकि घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिल सके।

196. सुनवाई के बाद दस्तावेजों/सूचना को स्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा सीआर कॉयल [अंतिम जांच परिणाम फाईल सं. 18/11/2010-डीजीएडी दिनांक 5.12.2011] मामले को भी पढ़ा गया था जिसमें कि घरेलू उद्योग की तकनीकी क्षमता के बारे में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा एक औपचारिक विस्तृत रिपोर्ट केवल इसी आधार पर अस्वीकार कर दी गई थी कि यह जन सुनवाई के बाद दाखिल की गई थी। इस अंतिम जांच परिणाम का संगत भाग प्राधिकारी के सुलभ संदर्भ के लिए नीचे दिया जा रहा है :

*“.....हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई और उसके बाद लिखित अनुरोध तथा प्रत्युत्तरों के पश्चात याचिकाकर्ता कम्पनी ने दिनांक 14 जुलाई, 2011 के पत्र के तहत मैसर्स मिक्कोन लि. रांची की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की है जो दिनांक 14.3.2011 को हुई मौखिक सुनवाई के उपरांत लिखित अनुरोध प्रत्युत्तर के लिए निर्धारित समय सीमा से अधिक है।
.....”*

197. उपरोक्त अनुरोधों को देखते हुए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को सम्बद्ध देशों से निर्यातकों को व्यक्तिगत पाटन और क्षति मार्जिन प्रदान न करने तथा शेष शुल्क दर प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा शुल्कों के किसी भी निरसन से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश को नुकसान पहुंचेगा और भारतीय उद्योग के समग्र हित के लिए हानिकारक होगा।

आयातकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां:

198. सिंगापुर से सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी उपाय जारी रखना इस आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए कि यह पक्षपात पूर्ण आधार पर लगाया गया था।

199. जीएटीटी 1994 डब्ल्यूटीओ सदस्यों पर और उनके बीच एक ठोस गैर पक्षपात पूर्ण बाध्यता लगाता है और जिसे सामान्यतः सबसे तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) व्यवहार बाध्यता कहा जाता है।

200. जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद 1:1 एमएफएन व्यवहार बाध्यता को स्पष्ट करता है कि “ आयात अथवा निर्यात के संबंध में किसी भी तरह से लगाए गए सीमा शुल्क और प्रभारों के संबंध में [...], और आयात अथवा निर्यात के संबंध में सभी नियमों और औपचारिकताओं के संबंध में, किसी भी संपर्ककर्ता पक्षकार द्वारा किसी अन्य देश के मूल के अथवा भेजे गए किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किए गए कोई भी लाभ, तरजीही, विशिष्टता अथवा सहायता [...], सभी अन्य संपर्क कर्ता पक्षकारों के क्षेत्रों के मूल के अथवा वहां भेजे गए समान उत्पाद के लिए तत्काल और बिना शर्त प्रदान किए जाएं। ”

201. ओमान और सऊदी अरब से सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी उपाय निरस्त करने का आधार वह जांच परिणाम नहीं था कि उक्त आयात आगे पाटित नहीं किए गए थे अथवा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे और न ही वे प्रशुल्क अधिनियम और प्रशुल्क नियमों के अनुसार औपचारिक समीक्षाओं का परिणाम था। वास्तव में दिनांक 9 अगस्त 2012 को प्राधिकारी ने स्पष्ट तौर पर यह माना कि सऊदी अरब की सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी उपाय को निरस्त करना अंतिम जांच परिणाम के पुनः आकलन का परिणाम नहीं था और स्पष्ट तौर पर ओमान से सम्बद्ध वस्तुओं के संबंध में अंतिम जांच परिणाम की वैधता की पुष्टि की।

202. कुल मिलाकर केन्द्र सरकार पाटित और क्षति पहुंचाने वाले आयातों के सभी स्रोतों के आधार पर गैर पक्षपात पूर्ण आधार पर मौजूदा पाटनरोधी उपाय करने में विफल रही। ऐसा करने में केन्द्र सरकार ने पाटनरोधी करार की धारा 9.2 तथा प्रशुल्क नियमावली के नियम 19 का उल्लंघन किया और जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद 1:1 के तहत एमएफएन व्यवहार बाध्यता को उस सीमा तक पूरा करने में विफल रही कि इसने ओमान और सऊदी अरब की सम्बद्ध वस्तुओं को लाभ पहुंचाया जिसे इसने सिंगापुर की सम्बद्ध वस्तुओं को प्रदान नहीं किया। वर्तमान समीक्षा प्रारंभ करने पर अतिरिक्त 12 माह के लिए सिंगापुर से सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी उपाय लगाने के लिए और वर्तमान समीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे उपायों को जारी रखने की किसी संभावना पर वही कारण और निष्कर्ष लागू होते हैं।

203. प्रकटीकरण विवरण में पैरा 65 में यह नोट किया गया है कि निर्यातकों द्वारा किसी भी न्यायिक निकाय के समक्ष ओमान अथवा सऊदी अरब पर पाटनरोधी शुल्क वापस लेने के लिए कोई भी प्रतिवेदन अथवा चुनौती नहीं की गई। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि एकसोनमोबिल ने शुल्क अधिसूचना के खिलाफ सीईएसटीएटी के समक्ष एक अपील दायर की थी और साथ ही इस मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष जांच की कार्यवाही में रखा गया।

204. प्राधिकारी चूंकि विधान का निर्माता है इसलिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (अधिनियम) और उसके तहत बने नियमों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और उसे विधान के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे पक्षकारों द्वारा कोई आपत्ति की गई हो या नहीं। अतः सिंगापुर पर शुल्क पक्षपात पूर्ण है और मामले पर पूर्व अनुरोधों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

205. चाहे भारतीय न्यायालयों में ओमान और सऊदी अरब से आयातों पर पाटनरोधी उपाय निरस्त करने के खिलाफ चुनौती दी गई हो, पक्षपात पूर्ण प्रकृति का आकलन करने में उससे कोई संबंध नहीं है और इसी प्रकार सिंगापुर से आयातों पर पाटनरोधी उपाय की वैधता है।

206. प्रशुल्क नियमावली के नियम 18 में यह प्रावधान है कि “कोई भी अनंतिम शुल्क [...] अथवा पाटनरोधी शुल्क [...] गैर पक्षपात पूर्ण आधार पर होगा और किसी भी झोत से पाटित पाए जाने पर लागू होगा [...] जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हैं।” परिणामस्वरूप प्रशुल्क नियमावली के नियम 18 और डब्ल्यूटीए कानून के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करके केवल सिंगापुर से हुए आयातों पर ही पाटनरोधी उपाय किए गए (और बाद में आगे बढ़ाए गए)। इसलिए केवल उसी आधार पर सिंगापुर से आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को हटाया जाए।

207. सिंगापुर से सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी उपाय समाप्त करने की अनुमति प्रदान की जाए क्योंकि पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होनेकी कोई संभावना नहीं है।

208. प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 क (5) में यह प्रावधान है कि पाटनरोधी उपाय लगाने के पांच वर्षों के भीतर समाप्त हो जाएंगे जब तक कि ये निर्णायक समीक्षा ढांचे में न पाए जाएं कि “ऐसे [उपाय] समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।” पाटनरोधी उपाय लगाने के लिए प्राधिकारी को यह पता लगाना चाहिए कि पाटनरोधी उपाय समाप्त होने से क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

209. प्राधिकारी को एक तरफ पाटनरोधी उपाय को समाप्त करने और दूसरी ओर क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए। कारणात्मक संबंध अनिवार्य रूप से सकारात्मक साक्ष्य और एक ठोस साक्ष्यात्मक आधार पर आधारित होने चाहिए और अनुमानों के आधार पर बनाई गई याचिका से उत्पन्न न होने चाहिए। घरेलू उद्योग को हुई कोई भी क्षति सिंगापुर से हुए आयातों के कारण नहीं हुई और इसलिए पाटनरोधी समाप्त किए जाने चाहिए।

210. प्रकटीकरण विवरण का रिकार्ड के अनुसार स्वागत है कि यदि लगाए गए शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है। सिंगापुर से सम्बद्ध वस्तुओं की कीमत और अपर्याप्त मात्रा में विक्री और बाजार अंश में महत्वपूर्ण वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा और सिंगापुर से सम्बद्ध वस्तुओं द्वारा हुई क्षति अथवा क्षति की संभावना के बीच किसी भी संभावित कारणात्मक संबंध को अलग करता है।

211. घरेलू उद्योग को हुई क्षति अथवा इसकी संभावना किसी अन्य कारण से हो सकती है जैसे (i) अन्य देशों से कम कीमत के आयात (ii) प्रोपाइलेन घरेलू उत्पादकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा (iii) घरेलू पोलिप्रोपाइलेन बाजार को गुणवत्तापरक आपूर्ति जारी रखने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता है न कि सिंगापुर से सम्बद्ध वस्तुओं के कारण।

212. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि विस्टामेक्स के पास 15% से 25% के बीच असमान्य रूप से उच्च इथाइलेन अंश है और न की एक पोलिप्रोपाइलेन है। विस्टामेक्स प्रोपाइलेन और इथाइलेन का एक को-पोलीमर है। विस्टामेक्स में इथाइलेन का अंश 16% से कम है। विस्टामेक्स और पालिप्रोपाइलेन समान्यतः अंतिम अनुप्रयोगों के लिए एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं जिसमें वर्धित इलास्टिसिटी अपेक्षित है। विस्टामेक्स एक विशिष्ट प्रोपाइलेन है जो अंतिम उत्पाद को सख्ती प्रदान करता है। अतः इसके लिए विस्टामेक्स विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है।

213. मूल कार्यवाही में घरेलू उद्योग में विशेष तौर पर यह तर्क दिया था कि इस्टामेक्स पोलिप्रोपाइलेन के लिए लागू सभी तकनीकी और वाणिज्यिक मापदंडों को पूरा करता है और इसलिए उसे सम्बद्ध वस्तु माना जाए। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया था कि उनमें भारत में विस्टामेक्स को तैयार करने की क्षमता मौजूद है। इस आधार पर विस्टामेक्स पर शुल्क लगाए गए थे और 6 वर्षों में आयातों के लिए विस्टामेक्स आयात पर शुल्क अदा किया है। घरेलू उद्योग का अब यह तर्क कि विस्टामेक्स सम्बद्ध वस्तु नहीं है, बिल्कुल अनुचित है।

214. प्राधिकारी द्वारा मांगी गई समस्त सूचना प्रदान कर दी गई है कि विस्टामेक्स को 24-25 नवम्बर, 2015 के बीच किए गए स्थल सत्यापन के दौरान पोलिप्रोपाइलेन के रूप में विचार किया जाना है। प्राधिकारी का मूल्यांकन यह पुष्टि करता है कि विचाराधीन उत्पाद और इसका क्षेत्र वर्तमान निर्णायक समीक्षा में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

215. पाटनरोधी करार की धारा 11.3, प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 क (5) और प्रशुल्क नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में प्राधिकारी केवल यह पता लगने पर ही पाटनरोधी उपाय कर सकता है कि इन उपायों के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यहां साक्ष्य स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि सिंगापुर से निर्यातकों से सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की अनुमति देने से क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जो यह बता सके कि सिंगापुर से सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी उपाय लागू किया जाए और वह उपाय इसके पूरा होने पर समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

216. टीपीसी का यह अनुरोध है कि यह भारत में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बिक्री करता है और कोई पाटन नहीं होता है। याचिकाकर्ता को हुई कोई भी क्षति (जिसका भारत में एक प्रभावी, गैर प्रतिस्पर्धी बाजार अंश है) सिंगापुर के अलावा किसी अन्य देश से कम कीमत के आयातों अथवा नए घरेलू आयातकों के तीव्र विकास के कारण होने की संभावना है।

217. अतः यह अनुरोध है कि अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए शुल्कों का विस्तार करने का कोई मामला नहीं है क्योंकि सिंगापुर से आयातों पर शुल्क को हटाने से घरेलू उद्योग पर क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।

218. अतः आगामी चर्चा यह दर्शाती है कि पाटनरोधी करार की धारा 11.3, प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 क (5) और प्रशुल्क नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में प्राधिकारी केवल यह पता लगने पर ही पाटनरोधी उपाय कर सकता है कि इन उपायों के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है। ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जो यह बता सके कि सिंगापुर से सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी उपाय लागू किया जाए और वह उपाय इसके पूरा होने पर समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

219. प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत संगत केस विधियों का पूर्व पैराओं में समुचित रूप से समाधान कर लिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित को पोलिमर से विभिन्न तकनीकी गुणों वाले विस्टामेक्स के आधार पर और अंतिम उपयोग में संशोधक के रूप में जांच के क्षेत्र से विस्टामेक्स को अलग करने के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध को प्राधिकारी नोट करते हैं।

220. इस संबंध में प्राधिकारी का पुनः यह कहना है कि निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद को दिनांक 23.10.2010 के मूल अंतिम जांच परिणाम (इसके बाद से इसे मूल जांच परिणाम कहा गया है) के अनुसार विचार किया जा रहा है। विशिष्ट ग्रेड को निकालने के मामले पर मूल जांच के पैरा 33 से 39 में पूरी तरह से चर्चा की गई थी। प्राधिकारी ने यह पाया है कि प्रोपाइलेन के विभिन्न ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के रूप में संकलित किया गया था और समान वस्तु की जांच संकलित विचाराधीन उत्पाद के आधार पर की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रेड मिश्रित विचाराधीन उत्पाद में उत्पादन, परिवर्तनीय क्षमता, समय-समय पर मांग/आपूर्ति के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। तथापि इसमें ग्रेड मिश्रित विचाराधीन उत्पाद को परिवर्तित करना अपेक्षित नहीं है जिसे समान वस्तु की जांच के साथ विभिन्न ग्रेड को शामिल करने और शामिल न करने संबंधी जांच करने के बाद मूल जांच में रोका और स्वीकार किया गया है।

221. इसके अलावा डीजीएडी के दो मामलो/जांच परिणाम अर्थात् चीन से ईपीडीएम रबड़ मामला और चीन से एसटीपीपी का घरेलू उद्योग द्वारा उल्लेख किया गया था वे वर्तमान जांच में लागू नहीं हैं। चूंकि उपरोक्त प्रत्येक मामले में विचाराधीन उत्पाद का उसके समग्र रूप में उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा बंद कर दिया गया /रोक दिया गया था, अतः पाटनरोधी शुल्क को सम्बद्ध वस्तुओं के घरेलू उपयोग कर्ताओं के व्यापक हित में विचार करते हुए बंद कर वापस ले लिया गया था। दूसरी ओर, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच विशेष रूप से केवल ग्रेड मिश्रित उत्पाद को बदलने से संबंधित है जोकि समान वस्तु की जांच में उपयुक्त पायी गयी है। मूल जांच में पैरा 29 में घरेलू उद्योग में लागत और कीमत संबंधी पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। पैरा 31 में घरेलू उद्योग ने यह कहा था कि “सम्मिश्रण की प्रक्रिया ग्रेड के गुण में परिवर्तन को शामिल करने के लिए है जिसमें रंग, मजबूती, प्रभाव इत्यादि शामिल हैं जो केवल प्रोपाइलेन के मामले में परिवर्तित नहीं होता तथा मूल आकार और उत्पाद में परिवर्तन नहीं होता जो केवल प्रोपाइलेन में ही होता है अतः सम्मिश्रण को अलग नहीं किया जाए क्योंकि उत्पाद में अनिवार्यतः प्रोपाइलाईन का रहना आवश्यक है”।

222. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मूल जांच परिणाम नोटिंग अनुरोध के पैरा 33 में प्राधिकारी का मत है कि यह कहना सही नहीं होगा कि कंपाउंड संदर्भित उत्पाद का भाग नहीं है। ये मूल निष्कर्षों के पैरा 17 में निर्यातक द्वारा उल्लिखित विस्टामैक्स के कतिपय ग्रेड पीयूसी के कार्यक्षेत्र में भी शामिल किए गए थे और इस प्रकार जारी हैं और बाद में एडी शुल्क के अध्याधीन भी थे।

223. विस्टामैक्स और आईसीपी के बीच अंतर करने के लिए प्रकटीकरण विवरणी के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा किए अनुरोध के अनुसार, विस्टामैक्स के गुणस्वभाव की तुलना में को-पॉलीमर का प्रभाव (इसके पश्चात आईसीपी कहा गया है), मूल निष्कर्षों के पैरा 31 में घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित गुणस्वभाव संबंधी अनुरोधों के साथ अतिव्यापी है। विभिन्न ग्रेडों को शामिल करने के लिए विचाराधीन उत्पाद को रोकने के साथ-साथ मूल निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया था। इसलिए लगभग उन्हीं गुणस्वभाव के समान सेट में कतिपय ग्रेडों को शामिल करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध में विरोधाभास प्रतीत होता है जिसके आधार पर मूल निष्कर्षों में पीयूसी को अंतिम रूप दिया गया था। विशिष्ट ग्रेड अर्थात् विस्टामैक्स संबद्ध उत्पाद और इसी प्रकार की वस्तुओं की परिभाषा से संतुष्ट हैं।

224. इसलिए प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोधों से सहमत नहीं है और विचाराधीन उत्पाद को मूल अंतिम जांच परिणामों में परिभाषितानुसार और वर्तमान एसएसआर की शुरुआत अधिसूचना में भी वही कार्यक्षेत्र होने का मत रखता है।

225. यह भी नोट किया गया है कि पांच वर्ष की अवधि, जिस समय संबद्ध वस्तुओं पर एडी शुल्क लागू था, के दौरान घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने और परिणामी-निर्धारण हेतु मध्यकालिक समीक्षा के लिए अनुमति लेने के लिए प्राधिकारी के पास सम्पर्क नहीं किया। जहां तक जांच की अवधि से पूर्व के वर्षों के लिए प्रस्तुत आयात संबंधी आंकड़ों पर घरेलू उद्योग के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी का यह मानना है कि यह आंकड़ा अनिवार्य रूप से एक कब्जा करने की व्यापक प्रवृत्ति है जबकि पाटन और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन जांच की अवधि के लिए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

226. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को इस आधार पर मैसर्स टीपीसी का प्रत्युत्तर अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है कि भारत के लिए संबद्ध वस्तुओं के एक निर्यातक माध्यम अर्थात् मैसर्स मारुबेनी ने कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। उपरोक्त दावे के समर्थन में घरेलू उद्योग ने डीजीएडी के विभिन्न निष्कर्षों को भी उद्धृत किया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में मैसर्स टीपीसी का अधिकांश निर्यात (लगभग 80%) मैसर्स इटोचू के जरिए है जिसने वर्तमान एसएसआर में उत्तर दिया है और जिसके आंकड़ों की स्थल जांच के जरिए मैसर्स टीपीसी सहित जांच भी की गई है।

227. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के साथ पीओआई के दौरान मैसर्स मारुबेनी के जरिए भारत को मैसर्स टीपीसी के निर्यात आंकड़ों को सह-संबद्ध भी किया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल अंतिम जांच परिणामों में मैसर्स टीपीसी ने उन सभी पांचों चैनलों के जरिए निर्यात किया है जिन्हें उत्पादक-निर्यातक संयोजन के अनुसार वैयक्तिक पाटन-मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क अवार्ड किया गया था। वर्तमान एसएसआर में चूंकि अकेले मैसर्स इटोचू ने उत्पादक के रूप में मैसर्स टीपीसी के साथ सहयोगी निर्यातक के रूप में प्रत्युत्तर दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने मैसर्स टीपीसी-मैसर्स इटोचू संयोजन के लिए ही वैयक्तिक पाटन-मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क निर्धारित किया है और मैसर्स टीपीसी के शेष चैनलों को गैर-सहयोगी माना है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के उच्चतम सामान्य मूल्य और सबसे कम निर्यात कीमत को अपनाकर प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश हेतु इन गैर-सहयोगी निर्यातकों का मूल्यांकन किया है।

228. इस प्रकार प्राधिकारी का मत है कि जांच अवधि में मैसर्स इटोचू के जरिए टीपीसी द्वारा किए जा रहे अधिकांश निर्यात को ध्यान में रखते हुए मै0 टी पी सी के अनुरोध को रद्द करने के लिए अपूर्ण मूल्य श्रृंखला के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाए गए मामले वर्तमान मामले में संगत नहीं हैं। इसलिए प्राधिकारी ने केवल जांच अवधि में मैसर्स इटोचू के जरिए मैसर्स टीपीसी के निर्यात के लिए वैयक्तिक पाटन-मार्जिन और क्षति-मार्जिन निर्धारित किया है।

229. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक-सह-निर्यातक परिसरों में स्थल पर रिकार्ड के साथ-साथ की गई जांच में निम्नलिखित साक्ष्य हैं:

- क. ईएमसीएपी एक प्रभाग है और ईएमएपीपीएल की व्यापार शाखा है।
- ख. ईएमसीएपी सिंगापुर बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक्ट (कैप 32) के अंतर्गत एक पंजीकृत स्वामित्व है।
- ग. ईएमसीएपी, ईएमएपीपीएल जिसका सभी के लिए एक ही जीएसटी नंबर है, के छः व्यापार प्रभागों में से एक है।
- घ. कोई भी दस्तावेज यह सिद्ध नहीं करता कि ईएमसीएपी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।

ड. मूल निष्कर्षों में भी ईएमसीएपी ने यह कहते हुए ईएमएपीपीएल की ओर से प्रत्युत्तर दायर किया था कि यह ईएमएपीपीएल से पृथक् कानूनी कंपनी नहीं थी। यह एक पंजीकृत स्वामित्व की कंपनी थी।

230. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट करते हैं और दोहराते हैं कि ईएमसीएपी केवल एक प्रभाग है और एक पृथक् प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के बिना विचाराधीन उत्पाद के कारोबार में लगी ईएमएपीपीएल की एक व्यापार शाखा है। इस पहलू की स्थल पर अधिकारियों के दल द्वारा जांच की गई थी। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने न तो विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने के मुद्दे का और न ही सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और क्षति-मार्जिन के निर्धारण के लिए उपयुक्त कंपनी माने जाने के लिए डीजीएडी अथवा किसी अन्य उपयुक्त मंच के समक्ष विरोध किया है। इसलिए प्राधिकारी ने उपयुक्त निष्कर्षों के लिए सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और उतराई तक मूल्य के निर्धारण के लिए ईएमसीएपी द्वारा दायर प्रत्युत्तर पर विचार किया है।

231. नई सूचना के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की जांच जन सुनवाई के पश्चात की गई थी। जांच की प्रक्रिया वैधीकरण, संभव अस्वीकृति, आंशिक वैधीकरण/अस्वीकृति, प्रपत्र/विषय-वस्तु/बैंक-अप के उपयुक्त आशोधन वास्तविक जांच के आधार पर अपरिहार्य है। इस प्रकार के सभी आंकड़े मूलभूत तरीके से जांच की प्रक्रिया में हासिल की गई प्रश्नावली से संबंधित हैं जो उचित निर्धारण का आधार है, से बचा नहीं जा सकता अथवा छोड़ा नहीं जा सकता। किसी बाह्य जांच के लिए यह प्राधिकारी की एक सतत प्रक्रिया रही है जो कभी-कभी प्रशासनिक अथवा प्रक्रियात्मक आवश्यकता पर निर्भर करते हुए सुनवाई के पश्चात हो सकती है।

232. प्राधिकारी, जिस समय ओमान और सऊदी अरब से निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क वापिस ले लिया गया था, उस समय सिंगापुर से निर्यात संबंधी पाटनरोधी शुल्कों के निरंतर भेद-भाव पूर्ण अनुप्रयोग के बारे में सिंगापुर से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दिनांक 14.05.2012 के माननीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) विविध आदेश संख्या एडी/एम/2-4/2012-सीयू(डीबी) के अनुसरण में पञ्च: निर्णायक मौखिक सुनवाई संख्या 14/5/2009-डीजीएडी दिनांक 09.08.2012 के अपने निष्कर्षों में इसका मत था कि दिनांक 30 दिसंबर, 2011 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 130/2011-सीमाशुल्क के तहत केंद्र सरकार सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क) की उप-धारा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सऊदी अरब से आयात पर शुल्क को प्रतिसंहरण करती है। परंतु प्राधिकारी के दिनांक 23 अगस्त, 2010 के अंतिम जांच परिणामों की किसी निष्कर्ष चूक के बिना। प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि शुल्कों को प्रतिसंहरण करने वाली अधिसूचना भावी स्वरूप की थी और इसलिए एक्सोनमोबिल द्वारा किया गया प्रतिविरोध भेद-भाव पूर्ण है और यह गुण-दोष विहीन था। इस प्रकार के अधिनिर्णयों के पश्चात सिंगापुर से उत्पादक/निर्यातक यदि इच्छुक हैं, तो राहत के लिए उपयुक्त निकाय के समक्ष आगे अभ्यावेदन कर सकते हैं।

233. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जांच अवधि-11 के पश्चात की प्रवृत्तियों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोली प्रोपीलीन के उत्पादन के लिए स्टॉक पेट्रो आधारित है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अपरिष्कृत कीमतों में गिरावट के कारण सतत रूप में कमी आयी है। अतः पहुंच मूल्य में गिरावट को इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने वस्तुतः पहुंच मूल्य की उपयुक्त तुलना करके छह माह की जांच पश्चात् अवधि में उपर्युक्त प्रवृत्ति ली है और अपनी सतत परिपाटी के अनुसार जांच अवधि के पश्चात् (6 माह) के लिए व्यापक रूप से एन आई पी का निर्धारण किया है।

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

234. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके जो देश के आम हित में है। पाटनरोधी उपायों के आरोपण से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश/प्रक्षेत्र से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्कों के लगातार आरोपण से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करने वाले विनिर्मित उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके फलस्वरूप इसका इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों से विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क के आरोपण से घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित हो जाता है, कम नहीं किया जाएगा। इसके प्रतिकूल पाटनरोधी उपायों के आरोपण से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुचित लाभ को दूर किया जाएगा, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सिफारिशें

235. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि संबद्ध वस्तुएं सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों अर्थात् मैसर्स एक्सोनमोबिल सीधे तथा मैसर्स टीपीसी, मैसर्स इटोचू के जरिए निर्यात की गई थीं, पाटित की हुई पाई गई थी। इसलिए ये जांच अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है। जांच अवधि में और जांच अवधि के पश्चात् पोस्ट (6 महीने) भारत के अलावा अन्य देशों के लिए उपरोक्त उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात कीमतें भारत के लिए उनके निर्यातों के परिवर्तन की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के कारण नहीं पाए गए थे। इसके अतिरिक्त जैसा कि पिछले पैराग्राफों में कहा गया है, घरेलू उद्योग को क्षति ओमान, सउदी अरब, कुवैत और यू.ए.ई. से भारत में संबद्ध वस्तुओं के कम पहुंच मूल्य के कारण होने की संभावना है।

236. तथापि, प्राधिकारी का मत है कि भारत के लिए और भारत के अलावा अन्य देशों को पीओआई में और पीओआई के पश्चात् गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का उनसे प्रत्युत्तर उपलब्ध नहीं होने के कारण विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया जा सका। इसलिए, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के उच्चतम सामान्य मूल्य और सबसे कम निर्यात कीमत के संदर्भ में प्राधिकारी की निरंतर प्रक्रिया के आधार पर प्राधिकारी का मत है कि उपरोक्त गैर-सहयोगी उत्पादक/निर्यातक भारत को संबद्ध वस्तुओं के उनके निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचायेंगे।

237. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जा रहे अपेक्षाकृत कम शुल्क के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से जो भी कम हो, के बराबर पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 8 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटन रोधी शुल्क संबद्ध देशों में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्षक/उप-शीर्षक*	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	39021000 और 39023000	'पॉलीप्रोपेलीन (अर्थात् प्रोपोलीन का होमो-पॉलीमर्स तथा प्रोपोलीन और एथिलीन का कोपोलाइमर्स)'	सिंगापुर	सिंगापुर	द पॉलीलिफिन कंपनी (सिंगापुर) पीटीई. लि.	इटोचू प्लास्टिक्स पीटीई. लि.	शून्य	एमटी	अम.डॉ.
2.	39021000 और 39023000	'पॉलीप्रोपेलीन (अर्थात् प्रोपोलीन का होमो-पॉलीमर्स तथा प्रोपोलीन और एथिलीन का कोपोलाइमर्स)'	सिंगापुर	सिंगापुर	द पॉलीलिफिन कंपनी (सिंगापुर) पीटीई. लि.	अन्य कोई	145.2	एमटी	अम.डॉ.
3.	39021000 और 39023000	'पॉलीप्रोपेलीन (अर्थात् प्रोपोलीन का होमो-पॉलीमर्स तथा प्रोपोलीन और एथिलीन का कोपोलाइमर्स)'	सिंगापुर	सिंगापुर	एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक (एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक प्रा.लि. का एक प्रभाग)	एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक (एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक प्रा.लि. का एक प्रभाग)	शून्य	एमटी	अम.डॉ.
4.	39021000 और 39023000	'पॉलीप्रोपेलीन (अर्थात् प्रोपोलीन का होमो-पॉलीमर्स तथा प्रोपोलीन और एथिलीन का कोपोलाइमर्स)'	सिंगापुर	सिंगापुर	एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक (एक्सोनमोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक प्रा.लि. का एक प्रभाग)	अन्य कोई	145.2	एमटी	अम.डॉ.

5.	39021000 और 39023000	'पॉलीप्रोपेलीन (अर्थात् प्रोपोलीन का होमो-पॉलीमर्स तथा प्रोपोलीन और एथिलीन का कोपोलाइमर्स)'	सिंगापुर	सिंगापुर	क्रम सं. 1-4 पर निर्दिष्ट को छोड़कर कोई अन्य संयोजन		145.2	एमटी	अम.डॉ.
6.	39021000 और 39023000	'पॉलीप्रोपेलीन (अर्थात् प्रोपोलीन का होमो-पॉलीमर्स तथा प्रोपोलीन और एथिलीन का कोपोलाइमर्स)'	सिंगापुर	सिंगापुर को छोड़कर अन्य देश	कोई	कोई	145.2	एमटी	अम.डॉ.
7.	39021000 और 39023000	'पॉलीप्रोपेलीन (अर्थात् प्रोपोलीन का होमो-पॉलीमर्स तथा प्रोपोलीन और एथिलीन का कोपोलाइमर्स)'	सिंगापुर को छोड़कर अन्य देश	सिंगापुर	कोई	कोई	145.2	एमटी	अम.डॉ.

*** सीमा-शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र हैं और यह इस जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।**

238. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का अवतरित मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा-शुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य है और इसमें उक्त अधिनियम की धाराओं 3, क3, ख8, क के 9 तथा 9 अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

आगे की प्रक्रिया

239. केंद्र सरकार द्वारा इस पर अपनी स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् इस आदेश के विरुद्ध एक अपील सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष जाएगी।

240. प्राधिकारी इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अधिनियम, नियमों और सार्वजनिक सूचनाओं के संबंधित प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर इनमें की गई सिफारिशों के अनुसार उपायों को जारी रखने, संशोधित करने अथवा समाप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार जब तक किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध दायर नहीं किया जाता तब तक प्राधिकारी द्वारा समीक्षा हेतु इस प्रकार के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ए के भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2016

FINAL FINDINGS (SUNSET REVIEW)

Subject: Sunset Review (SSR) investigation of Anti-Dumping duty on imports of 'Polypropylene originating in or exported from Singapore.

No. 15/14/2014- DGAD:- Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Rules") thereof;

Background of the Case

1. Whereas, having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Rules") the Designated Authority, in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Govt. of India, appointed under the Rules supra, (hereinafter referred to as "the Authority"), vide Notification No. 14/05/2009-DGAD dated 24th February, 2009, initiated an anti-dumping investigation concerning import of Polypropylene (i.e., homopolymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)" (hereinafter referred to as "the subject goods") from Singapore, Saudi Arabia and Oman.
2. The Preliminary Findings were issued by the Authority, vide Notification No. 14/05/2009-DGAD dated 15th June, 2009 and provisional duty was imposed by the Central Government, vide Notifications No. 82/2009-Customs, dated 30th August, 2009. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 14/05/2009-DGAD dated 23rd August, 2010 (hereinafter referred to as "original Findings"). On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government, vide Notifications No. 119/2010- Customs dated 19th November, 2010 effective from the date of the imposition of the provisional anti-dumping duty i.e., 30th August, 2009 on the imports of the above goods, originating in or exported from Singapore, Saudi Arabia and Oman.
3. Pursuant to the order of Hon'ble Tribunal (CESTAT) Misc. Oder AD/M/2-4/-2012-CU (DB) dated 14.5.2012, the Hon'ble Authority gave post-decisional hearing to all the interested parties and issued findings dated 9.8.2012 confirming the conclusions of the final findings dated 23.8.2010.
4. Duties against Saudi Arabia and Oman were revoked vide custom notification no.130/2011 dated 30.12.2011 and Notification No. 32/2013-Customs, dated the 2.12.2013 respectively.
5. On the basis of duly substantiated application filed by the domestic industry, Authority vide Notification No. 15/14/2014-DGAD, dated 28th July 2014, initiated a sunset review of the antidumping duty in force on import of subject goods, originating in or exported from Singapore (hereinafter referred to as "the subject country") to examine whether the expiry of the duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to and inclusive of 29th day of July, 2015, vide Notification No. 38/2014-Customs (ADD) dated 13th August, 2014.
6. On the request of the Authority, the Central Government extended the time for completion of the Investigation up to 27th January, 2016, in terms of Rule 17 of the AD Rules.
7. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject country.
8. Producer/ exporter's on spot verification of data filed in respect of M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific (hereinafter referred to as "ExxonMobil"), M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (hereinafter referred to as "TPC") and M/s Itochu Plastics Pte. Ltd. (hereinafter referred to as "Itochu") was carried out during 23rd- 25th November, 2015 in Singapore.

A. Procedure

9. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The High Commission of the Republic of Singapore in New Delhi was informed about the initiation of the

investigations in accordance with Rule 6(2).

ii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the High Commission of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known manufacturers/exporters in the subject country (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):

Singapore

1. M/s ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore
2. M/s Itochu Plastics Pte. Ltd.
3. M/s Marubeni Chemical Asia Pacific PTE Ltd., Singapore
4. M/s Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd., Singapore
5. M/s Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd., Singapore
6. M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd.
7. M/s Toyota Tsusho (Singapore) Pte Ltd., Singapore
10. In response to the initiation notifications following exporters / producers from subject country has responded:

1. M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Singapore
2. M/s Itochu Plastics Pte. Ltd.
3. M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd (TPC)

11. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known importers/consumers/associations of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority) and advised them to make their views known in writing within forty (40) days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

- (i) Organization of Plastics Processors Of India, Mumbai
- (ii) All India Plastics Manufacturers Association, Mumbai
- (iii) All India Flat Tape Mfrs. Association, New Delhi
- (iv) P.P. Products Pvt. Ltd., Kolkata
- (v) Tarajyot Polymers Ltd., Kolkata
- (vi) ITC Ltd., Kolkata
- (vii) Paharpur Cooling Towers Ltd., Kolkata
- (viii) Time Packaging Ltd., Mumbai
- (ix) Petro Plast Industries Limited, Chennai
- (x) The Supreme Group, Mumbai
- (xi) Big Bags (India) Private Ltd., Bangalore
- (xii) Paramount Communications Ltd., New Delhi
- (xiii) Packaging India Pvt Ltd., Chennai
- (xiv) Flex Industries Limited, Noida
- (xv) Bishan Saroop Ramkishan Agro, delhi
- (xvi) Blow Packaging (India) Ltd. , Chennai
- (xvii) Chennai Polypack Private Ltd., Chennai
- (xviii) Hydro S & S Industries Ltd., Chennai
- (xix) Exide Industries Ltd., Kolkata
- (xx) Pentadaewha Auto Parts Ltd., Chennai

- (xxi) Veekay Polycoats Ltd., New Delhi
- (xxii) Machino Plastics Ltd., Gurgaon
- (xxiii) Dow Chemical International Ltd., Mumbai
- (xxiv) Hitech Plast Ltd., Mumbai
- (xxv) General Commodities Pvt. Ltd., Bangalore
- (xxvi) Balmer Lawrie-Van Leer Ltd., Mumbai
- (xxvii) Baxter India Pvt. Ltd., Gurgaon

12. No response to the prescribed questionnaire has been submitted by any of the importers/users/other interested parties. Moreover, there was no participation from any of the above importers or users.

13. Transaction-wise imports data procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) has also been relied upon for the analysis in present SSR investigation. Further, the Authority has also examined the Post-POI import data DGCI&S, DG Systems, World Trade Atlas and also that of the producers/exporters from the subject country to analyze the trends for the purpose of likelihood assessment.

14. Exporters, producers, importers and other interested parties, who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.

15. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to reasonableness of the claim of confidentiality. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

16. Non-confidential versions of the evidence presented by interested parties were made available in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

17. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to work out the cost of production and determined the non-injurious price of the subject goods in India as per its consistent practices so as to ascertain whether anti-dumping duty, lower than the dumping margin, would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

18. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 20.02.2015. The interested parties were requested to file written submissions of their views expressed orally. However, after the oral hearing, because of the sudden administrative necessity, a new officer was appointed as the Designated Authority. This development necessitated that a new public hearing be held by the new DA as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) vs Designated Authority, delivered by a Division Bench in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 7-1-2011. The new oral hearing was, therefore, conducted by the new Designated Authority on 20.08.2015. All the interested parties attending the hearing were again requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally.

19. The submissions made by the interested parties during the course of the investigations have been addressed in this finding to the extent they are relevant and backed by evidence.

20. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producer was carried out to the extent deemed necessary.

21. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has used "best information available" and has treated such parties as non-cooperative.

22. In accordance with Rule 16 of the 1995 Rules, *supra*, the essential facts under consideration, which form the basis for DA's decision, were disclosed to the known interested parties on 13th January, 2016. The comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, have been taken into consideration in this Final Findings.

23. In this Final Findings, "****" represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

24. For the purpose of this investigation, the period of investigation was taken as from 1st April, 2013 to 31st March, 2014 (12 months) and for the purpose of injury investigation data for the period 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI has been considered.

25. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.60.86 = 1 US\$ wherever the actual rate of conversion was not available.

B. Scope of Product under Consideration (“PUC”) and Like Article

• **Submissions made by the Domestic Industry**

26. The PUC in the present application, as defined in the original investigation is “Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene) excluding Expanded Polypropylene Beads (EPP)” conforming to the tariff description of Customs Heading 3902 (hereinafter referred to as “subject goods”). The subject goods are used as woven sacks for cement, food-grains, sugar, fertilizer, bags for fruits & vegetables, TQ & BOPP films, containers etc. The subject goods are classified under the category “Plastics and articles thereof” in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 39021000 and 39023000 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

27. Since the current investigation is a sunset review, the scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as in the original investigation as per the consistent practice of the Authority.

28. The domestic industry has, however through letter dated 13.10.2015, submitted that the propylene based elastomers like Vistamax is to be excluded from the scope of PUC on the ground that elastomers like Vistamax have high ethylene content in the range of 15-25% which is very high as compared to the co- polymer of propylene and ethylene produced by the domestic industry. The domestic industry, at the time of initial investigations, had attempted to produce co- polymers with high ethylene content but could not do so on sustainable basis because of technology constraints. Thereafter at the time of the initiation of the present SSR, the domestic industry had removed such grades from the scope of input data and preview of investigation.

• **Submissions made by the Producers/Exporters/Importers and Associations**

29. No submission has been made by the producers/exporters with regard to the scope of the PUC and like article during the public hearing.

• **Examination by the Authority**

30. The PUC in the present investigation is considered the same as that defined in the original investigation, i.e. Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and co-polymers of propylene and ethylene) excluding Expanded Polypropylene Beads (EPP) and ter- polymer as stated in paras 33 and 36 of the original Final Findings no. 14/5/2009 dated 23.08.2010. The subject goods are classified under Custom Headings 39021000 and 39023000. However, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

31. The Authority notes that Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.

32. The subject goods, which are being imported into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable with each other. As a result, the Authority, reiterating its findings in paras 38 and 39 of the original Final Findings, holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to those imported from Singapore.

33. The Authority also notes that in the original Findings though submissions regarding exclusion of various grades were made, only a few exclusions were accepted as stated in para 33 and 36 of the Findings, keeping in view the cost, price and interchangeability of the subject goods produced by the domestic industry and the PUC exported from the subject country. The Authority in the present SSR also does not alter the PUC and its scope.

C. Domestic Industry and Standing

34. The current application for the sunset review has been filed by M/s Reliance Industries Limited which commands 74% share in Indian production of the subject goods during the Period of investigation. As per the information available with the Authority, there are three other known producers of the product under consideration in the country i.e., M/s Haldia Petrochemicals Ltd, M/s Indian Oil Corporation Ltd and HPCL-Mittal Energy Limited. There is no opposition to the domestic industry's application from any other producer in the country in the present investigation. Therefore, the petitioners command the standing to file the application and also constitute the domestic industry within the meaning of the term as per the AD Rules for the purpose of injury examination. None of the producers/exporters/other interested parties has made any submissions with regard to scope and standing of the domestic industry.

D. Confidentiality

• **Submission by the producers/ exporters from Singapore:**

35. Domestic Industry has claimed excess confidentiality and also refrained from providing any meaningful summary of information provided by it on confidential basis. In addition, Petitioner has failed to provide a statement of reasons why information provided on confidential basis is not susceptible to summarization. This has restrained the Respondent from making complete analysis of their claims in the petition.

36. Domestic Industry has kept confidential the information relating to grades manufactured by them. Even technical, functional and grade specific specification information has been kept confidential.

37. The Petitioner has claimed confidentiality on the costing information at Section VI of the Petition. Even though the claim of the Petitioner that the disclosure of information may give a significant advantage to the competitors may be correct and not be disputed, yet in such cases, the Petitioner is required to furnish non-confidential summary of such costing information. The petitioner is not at liberty to respond to each question with respect to costing with same brush. Wherever it is possible to provide an indexed version of a submission, the petitioner is bound to provide the same.

38. Petitioner has also failed to provide Production Process, Purchase Policy, Sales Policy, Inventory and Quality Control Procedure etc.

• **Views of the Domestic Industry**

39. The domestic industry has submitted that they have claimed confidentiality on their business sensitive information with adequate reasons in accordance with the legal provisions and the guidelines prescribed by the Authority. The reasons and grounds for claiming confidentiality have been given in the non-confidential version of the application. Hence, the claim of certain interested parties alleging excessive confidentiality is without any substance.

40. The exporters by putting “[]” or “****” at various places in their response have kept the vital information confidential without providing any reasons. The exporters have also not given any summary of the information on which confidentiality has been claimed due to which the Domestic Industry is not in a position to offer its comments and defend its interests.

41. With regard to the information in the various Appendices, it is submitted that the volume related figures in all the Appendices have been kept as confidential whereas the domestic industry has disclosed all volume related information in the non-confidential version.

42. The allocation of costs among different cost centers has been kept confidential by the exporters. Further, whether the inputs consumed for production are purchased or captively produced by the company itself, has also not been disclosed in the non-confidential version.

43. The exporter has not provided their complete sales and distribution channel. In this context, domestic industry expresses its apprehension that this information was specifically withheld to hide the complete supply chain. It is submitted by the Domestic Industry that had the complete supply chain been placed in the non-confidential version, it would have been able to make effective submissions and provide additional information to the Authority which could have led to the rejection of their entire response.

• **Examination by the Designated Authority**

44. Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

45. Information provided by various interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority as per its consistent practice, has accepted the confidentiality claims,

wherever warranted, of the domestic industry and opposing interested parties and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

E. Other issues raised by the interested parties

• **Submissions of Exporters/Importers and other interested parties**

a. Principle of Non-discrimination and Termination of anti-dumping measures:

46. The interested parties submitted that the most favoured nation (MFN) treatment obligation in terms of Article I:1 of the GATT 1994, which imposes that any advantage granted to a product originating in a WTO Member be granted equally to like products originating in any other WTO members, applies to the imposition of anti-dumping measures by virtue of Article 9.2 of the AD agreement and Rule 19 of the Tariff rules, and requires that anti-dumping measures be imposed on a non-discriminatory basis on all sources of import found to be dumped and causing injury.

47. That even the Central Government violated Article 9.2 of the AD Agreement and Rule 19 of the Tariff Rules, and failed to comply with its MFN obligations under Article I:1 of the GATT 1994 by maintaining and extending the current anti-dumping measures only on the subject goods from Singapore although the subject goods from Oman and Saudi Arabia were also found to be dumped and causing injury. It is therefore, requested by the interested parties that the continued imposition of anti-dumping measures on the subject goods from Singapore must be terminated.

b. Other Issues:

48. That the sunset review is required to be terminated because review proceedings cannot be carried on beyond one year period. Section 9A(5) read with Rule 23(2) empowers the Central Government to extend the levy of the anti-dumping duty for a period of one year only and the sunset review is to be concluded before the expiry of that period.

49. That the Domestic Industry has 3 manufacturing units for the subject goods, viz. Jamnagar (DTA), Jamnagar (SEZ) and Hazira. However, in the petition this fact has not been disclosed. Even the exporters shown ignorance about inclusion of SEZ unit while considering standing and other injury parameters.

50. That the Petition did not provide sufficient evidence to justify the initiation of the investigation. It is also submitted by the exporters that most of the injury indicators suggested that the Domestic industry is not suffering material injury.

51. That the current investigations should be terminated against the producers exporters who had awarded zero duty in the original investigation. Since there was no duty against those producers / exporters question of their extension does not arise.

52. That the extension of the duties will be detrimental to interest of Indian plastics goods manufacturers. Even, the Indian user industry would be severely affected by the imposition of anti-dumping measures. According to the exporter Itochu, the downstream industry is much more important in terms of value added and number of jobs.

• **Submissions made by the Domestic Industry**

53. That the responding producers from Singapore has not provided their complete supply chain as their linked exporters have not participated in the current sunset review investigation. It is further submitted by the domestic industry that in the sunset review investigation the Authority is required to conduct the likelihood analysis of dumping and injury and therefore, it is very important that the exporters/producers provide complete details of their all related parties, subsidiaries and linked exporters/producers related or not related. Exporters had intentionally withheld the information from the Authority only with malafide intention to impede the investigation.

54. That the exporter questionnaire response was filed by M/s Exxon Mobil Chemical Asia Limited who is an exporting (trading) arm of M/s Exxon Mobil Asia Pacific Pte. Ltd., (producer of the subject goods) for which no exporter questionnaire response has been filed by M/s Exxon Mobil Asia Pacific Pte. Ltd., who is the producer of the subject goods. In this context, Domestic Industry has referred to recent conclusions of the DGAD, wherein, the exporter questionnaire response has been rejected in the absence of complete value chain of production and sale of the subject goods claimed to have been exported to India during the POI and requested that the same approach should be taken against M/S Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Singapore for not providing complete questionnaire response of the producer of the subject goods.

55. ExxonMobil also has also failed to file the complete exporter questionnaire response of related companies from whom they are purchasing the raw material and without such crucial information the Authority will not be in the situation determine the real cost of production as it includes cost of raw material also.

56. The exporter TPC has also failed to file the exporter questionnaire response of their related parties involved in the production and sales of the subject goods directly or indirectly in the Singapore but the exporter had very conveniently skipped their responsibility of disclosing full facts to the Hon'ble Authority and fulfilling their obligation to participate in the investigation. TPC also not filed the questionnaire response M/s Sumitomo Chemicals Company,

despite the fact that they own majority of the shares of the TPC. In view of this, the Authority should reject the exporter questionnaire response of TPC in their entirety.

57. The Authority can review all the aspects of the original investigation including scope of the domestic industry, dumping (including dumping margin), existence of injury to the domestic industry, injury margin etc. Therefore, investigation against exporter having nil duty does not stand terminated automatically. On the contrary, the Authority will redetermine the dumping margins and injury margins for all the producers / exporters irrespective of the fact that they got “Nil” duty in the previous investigations. It follows that in the event any party who had “Nil” duty in the original investigations and who fails to cooperate in the sunset review investigations, would be liable to pay the residual rate of duty.

58. That if the normal value of producers / exporters is not accepted, their export price would also be rejected and they would not be entitled to any individual dumping margin. This is a significant departure from the approach taken by the Authority in previous cases.

59. Domestic Industry requested to re-determine single dumping margin and single specific duty. To support their request, the Domestic Industry referred to the words used in the Annexure I are “exporter or producer” and nowhere in the entire Indian Anti-dumping Rules, the words “exporter and producer” have been used. The expression in the WTO Agreement on Anti-dumping is also “exporter or producer” and not “exporter and producer”. This is beyond any doubt that the dumping margin is to be determined for an individual entity but not for a combination or group.

60. The exporters are giving post-sales discounts and/or rebates. However, the same information is not reflected in the non-confidential version of the response filed by them. Therefore, the Authority should seek a specific declaration and complete details about the post-sales discounts and / or rebates from each of the exporters. A copy of the contracts with the major Indian customers should be called for to ascertain the amount and rate of post sales or year-end rebates to the customers.

61. The Authority should reject the written submissions of ExxonMobil, Itochu and TPC as they have failed to serve the non-confidential version of the written submissions to the interested parties within the prescribed time limits in terms of Trade Notice No. 01/2012 dated January 9, 2012. In this context, the Authority was requested to refer to its letter F. No. 14/7/2012-DGAD dated 10.4.2013 issued in the case of ARW investigations.

62. The exporters had failed to understand or appreciate the relevant provisions relating to non-discrimination. It is apprehended that exclusion of Saudi Arabia and Oman leads to violation of Rule 19 of the Indian Anti-dumping Rules or Article 9.2 of the Anti-dumping Agreement. It is also submitted by the Domestic Industry that the issue was already settled by the Appellate Body that the concept of discrimination under Article (Rule 19) applies only to exporters from within the same country (i.e., intra-country) and not between different countries (inter-country). To support the said claim, the decision of WTO Appellate Body in the EC- Fasteners case was cited.

63. The mere fact that some of the countries, which were a part of the subject countries in the original investigations, are not a part of the sunset review, is also borne out from the consistent practice of the DGAD. In this context, attention was drawn to the case of Flexible Slabstock Polyol from EU, Japan, Singapore and USA, wherein the Authority initiated the second sunset review investigation only against Japan and USA as the duties against EU and Singapore were dropped. Similarly, in the case of Fully Drawn Yarn Authority did not initiate sunset review investigation against Vietnam despite the fact that it was a part of the subject countries in the original investigation.

64. The Authority is legally bound by the decision of the Hon'ble High Court of Delhi in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd V/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006. Since Domestic Industry had filed a duly substantiated application in terms of Section 9A(5) within the prescribed limits in terms of Trade Notice No. 2/2011 dated 6.6.2011 to fulfill its obligation in terms of Anti-Dumping Rules also the initiation is valid and Authority must reject the issues raised by the interested parties, only with the purpose to obfuscate the investigation.

65. The Article I of GATT (MFN Status) holds no restriction on the Authority to impose or to extend the anti-dumping duties against specific countries. Article 1 of GATT has to be read along with the exceptions created in the very same Agreement. Article VI of GATT 1994 specifically deals with the situation where a member is alleged or found to be causing or threatening to cause injury to a domestic industry, or materially retards the establishment of a domestic industry. The said Article VI read with the Agreement on Anti-dumping permit the member countries to impose anti-dumping and countervailing duties against specific members without affecting the rights and obligations under Article I of the same Agreement.

66. The GATT 1994 sets forth a number of basic principles applicable in trade between Members of the WTO, including the “most favoured nation” principle. Members of the WTO also agreed to the establishment of schedules of bound tariff rates. Article VI of GATT 1994, explicitly authorizes the imposition of a specific anti-dumping duty on imports from a particular source, in excess of bound rates, in cases where dumping causes or threatens injury to a domestic industry, or materially retards the establishment of a domestic industry. The Anti-Dumping Agreement provides further elaboration on the basic principles set forth in Article VI itself, to govern the investigation, determination, and application, of anti-dumping duties.

67. The Domestic Industry has provided complete information in relation to all its plants including Jamnagar SEZ plant. Therefore, the allegation of the interested parties has no basis and needs to be rejected.

68. On the issue of the timeliness of the investigation process and the importance of adherence to the prescribed procedure, the cases of *United States- Sunset Reviews of Anti- Dumping Measures on oil country tubular goods from Argentina (WT/DS268/AB/R 29 November 2004)* and *Mahavir Mirror Industries vs. Designated Authority [2003 (155) E.L.T. 226 (Mad.)]* were cited.

69. The domestic industry had filed anti- dumping petition on 06.08.2014 against imports of polypropylene from Korea, Kuwait, Saudi Arabia and United Arab Emirates which was withdrawn as considerable time was lapsed and application needed updation. The domestic industry is analyzing the situation of imports from other countries also and also in the process of updating the information for fresh filing.

70. None of the respondents have discharged their obligation by providing proper and meaningful information in sunset review investigation part II questionnaire.

71. The producers/ exporters of subject goods have more than 140% of the production at their disposal. Therefore, in the event duties are withdrawn against Singapore, this excess production will definitely be routed to India given the freight and other advantages they have over the other suppliers.

• **Examination by the Authority**

72. The Authority notes that no representation/challenge was made by the producers/ exporters from Singapore to the withdrawal of anti-dumping duty (ADD) on the imports of the subject goods from Oman or Saudi Arabia before any judicial body when the aforesaid withdrawal was notified. Further, the fact that some of the countries, which were a part of the subject countries in the original investigation, are not always a part of the sunset review, is borne out from the consistent practice followed by the DGAD. In the recent investigations similar approach has been undertaken in the matter concerning Flexible Slabstock Polyol from EU, Japan, Singapore and USA, and also Fully Drawn Yarn (FDY). The Authority did not initiate sunset review investigation against Vietnam in the FDY case despite the fact that it was a part of the subject countries in the original investigation. In view of Rule 23 of the AD Rules which states that “*the designated authority shall from time to time review the need for the continued imposition of the AD duty and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty, recommend to the Central Government for its withdrawal.*”, the Authority has accordingly undertaken the review of the existing AD duty against the imports from Singapore only which was in force at the time of initiating the present review.

73. Thus initiating a sunset review investigation against some of the subject countries as compared to those in the original investigation is an established and consistent practice of the Designated Authority. The Authority therefore holds that the SSR undertaken in respect of Singapore is as per the consistent practice of the DGAD.

74. In relation to the argument of inclusion of certain plants of the Domestic Industry, the Authority notes that Domestic Industry has provided information in relation to all its five plants including Jamnagar SEZ plant. The records provided by the Domestic Industry were verified and used in analysis. The exporters also had the information about the same as soon as the issue was raised.

75. The Authority reiterates its stand that the Authority can review all the aspects of the original investigation including scope of the domestic industry, dumping (including dumping margin), existence of injury to the domestic industry, injury margin etc. In addition to this, the Authority undertakes an examination of whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Authority evaluates the dumping margin and injury margin especially in the POI of the SSR which forms the basis of the recommendation of the quantum of AD duty.

76. M/s ExxonMobil Chemical Asia Pacific (EMCAP) has filed the Exporter's Questionnaire Response Part I & II on SSR as they were subjected to the levy of AD duty as a producer cum exporter in the original final findings dated 23.08.2010. EMCAP is a division & a trading arm exporting the goods produced in the Singapore Chemical Plant of M/s ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (EMAPPL) and registered as a sole- proprietorship under the Singapore Business Registration Act (Cap. 32). EMCAP is one of the six trading divisions of EMAPPL. The GST Number of EMAPPL and its divisions, including EMCAP is also the same. The export invoices as well mention that EMCAP is only a division of EMAPPL. None of the documents shown, including export invoices show that EMCAP had 'PVT Ltd.' in its name. In the original finding also EMCAP had filed response on behalf of EMAPPL, stating that it was not a separate legal entity from EMAPPL, even though it was a registered proprietorship concern. In view of the above, the response filed by EMCAP, has been considered and the revised appendices were verified on site during producer/exporter's verification.

77. As regards TPC, the Domestic Industry has pointed out that TPC has a host of related parties within Singapore who are engaged in activities related to the Product under Consideration. The Domestic Industry has supplied information indicating the relationship between TPC and M/s Sumitomo Chemicals Company, Japan. It was also contended that M/s Sumitomo Chemicals Company, Japan, has also not filed the questionnaire response despite the fact that they own majority of the shares of the TPC.

However, during the on- spot verification, it was noted that M/s Sumitomo Chemical Company holds shares in M/s TPC. Exports of the subject goods were made by M/s TPC to India to M/s Sumitomo Corporation India Pvt. Ltd. and not to M/s Sumitomo Chemical Company. M/s TPC exported the subject goods to India only through M/s Itochu and M/s Marubeni. The data on exports through M/s Marubeni has also been provided by M/s TPC. Further M/s Sumitomo Corporation India Private Ltd. is a separate entity and is not related to M/s TPC directly or indirectly. Therefore the only export sales which have been examined for arms length criterion are those made to M/s Inabata India Pvt. Ltd.

78. The Authority notes that in the original investigation, M/s TPC had participated as a producer of the subject goods along with its five exporters. The authority had evaluated five different dumping margins for the said producer-exporter combinations. In the SSR, as only one exporter, i.e. M/s Itochu has cooperated. Therefore, the Authority has evaluated only one combination of the cooperative producer- exporter for individual dumping margin. The producer wise duty could therefore be considered only for one exporter and the rest four exporters and others, if any, would fall in residual category. Neither it will be appropriate to award the same dumping margin to such non- cooperative exporters nor would it be appropriate to combine cooperative and non- cooperative category of exporters into a single category to evaluate a single producer based dumping margin, especially when in the earlier Final Findings dated 23.08.2010, individual determinations with regard to exporting channels were taken separately.

79. The Authority therefore holds that the present investigation being an SSR and since the producer-exporter combinations who have cooperated and were separately evaluated in the original investigations, would need to be assessed separately on their data in SSR as well.

80. In relation to the submissions of the Domestic Industry regarding post sales discounts and rebates the Authority notes that the data submitted by the producers and exporters does not indicate such post sales discounts and rebates and since no substantive evidence has been provided by the domestic industry, the Authority has considered the admissible adjustments on the export price as per its consistent practice after verification of exporters data on site.

81. All other issues raised by the parties to the investigation have been dealt in the respective sections in this statement to the extent they are relevant.

DETERMINATION OF NORMAL VALUES, EXPORT PRICES AND DUMPING MARGINS FOR SINGAPORE

82. Normal Value has been defined under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975 as follows:

“(c) “normal value”, in relation to an article, means-

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under subsection(6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

83. Section 9A (5) of the 1975 Act, supra provides that:-

“The anti dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.”

84. Accordingly, a sunset review investigation is to examine:

- i. Whether the dumping continues after imposition of the antidumping duty and if so, whether it is likely to continue;
- ii. In cases where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties;
- iii. Whether the domestic industry continued to suffer material injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are removed;
- iv. In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

85. Thus, continuation of dumping and injury has been examined first and thereafter it has been examined that whether dumping and injury is likely to continue or recur if the anti dumping duty is revoked.

F. Normal Value

(i) *The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd (“TPC”) (producer) through M/s Itochu Plastics Pte. Ltd. (“Itochu”) (exporter):*

86. M/s TPC has filed the Exporter’s Questionnaire Response Part I & Part II on SSR. The company has exported the subject goods to India during the POI through the following exporting companies:

- a. M/s Itochu Plastics Pte. Ltd., Singapore
- b. M/s Marubeni Chemical Asia Pacific PTE Ltd., Singapore

87. While M/s Itochu has filed the exporter’s questionnaire response, M/s Marubeni Chemical has not filed the same. Therefore, individual dumping margin has not been determined for the combination of the producer with the aforesaid non- responding exporter.

88. M/s TPC has exported homo- polymers and co-polymers of propylene to India through M/s Itochu. The normal value of co- polymers has been determined on the basis of domestic sales in Singapore after applying the ordinary course of trade test (80:20 test) and the significant domestic sales test. The total quantity of co-polymers sold in the domestic market in POI was *** MT out of which *** MT (***) were sold in the ordinary course of trade. Adjustments of bank charges, insurance, storage, handling and others have been allowed to an extent of *** \$/MT, *** \$/MT, *** \$/MT, *** \$/MT and *** \$/MT respectively. The normal value of co- polymers of propylene is thus adopted as *** \$/MT.

89. The normal value of homo- polymers of propylene for M/s TPC is referenced on the basis of the cost of production after adding appropriate profit as per the AD Rules and in accordance with the Designated Authority’s (“DA”) consistent practice as there are no domestic sales of homo- polymers in Singapore. The normal value of homo- polymers of propylene is considered as *** \$/MT.

90. The weighted average Normal Value of the two grades i.e. copolymer and homo-polymer is considered as *** \$/MT.

(ii) *ExxonMobil Chemical Asia Pacific (“ExxonMobil”):*

91. M/s ExxonMobil has filed the Exporter’s Questionnaire Response Part I & II on SSR as a producer- cum- exporter of the subject goods in Singapore. The producer- cum- exporter is a division & a trading arm of M/s Exxon Mobil Asia Pacific Pte. Ltd. and registered as a sole- proprietorship under the Singapore Business Registration Act (Cap. 32).

92. It is noted that M/s ExxonMobil directly exported the PUC to India during the POI. Its domestic sales of the PUC in Singapore were not significant under the meaning of the AD Rules during the POI. Therefore the normal value for M/s ExxonMobil is determined on the basis of the weighted average cost of production of the subject goods along with reasonable profits as per the AD Rules and as per the consistent practice of the DGAD. Accordingly, the weighted average normal value of all grades of the subject goods for the producer- cum- exporter is considered as *** \$/MT.

b. *Non- cooperative producers/exporters:*

93. The highest normal value of the subject goods determined from amongst the cooperative producers/ exporters, i.e. *** \$/MT is considered as the normal value for non-cooperative producers/exporters from Singapore.

G. Export Price

(i) *The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd ("TPC") (producer) through M/s Itochu Plastics Pte. Ltd. ("Itochu") (exporter):*

94. Both M/s TPC and M/s Itochu have submitted data of exports to India. The data of M/s Itochu correlated with that of M/s TPC is adopted for the determination of the export price after adjustments. M/s Itochu exported *** MT and *** MT co- polymers and homo- polymers respectively to India during POI. The weighted average CIF price of the two grades i.e. co- polymers and homo- polymers as per records and as verified on spot is *** \$/MT. Adjustments of Commission, Inland Freight, Insurance, Storage, Handling, Others, Overseas Freight, Overseas Insurance and Shipping Charges are considered to an extent of *** US\$/MT, *** US\$/MT, *** US\$/MT, *** US\$/MT, *** US\$/MT, *** US\$/MT, *** US\$/MT, *** US\$/MT and *** US\$/MT respectively. The said set of adjustments amounts to a total of *** US\$/MT. The weighted average ex- factory export price of the PUC is considered as *** US\$/MT. The weighted average dumping margin is thus determined as *** US\$/MT.

(ii) *ExxonMobil Chemical Asia Pacific ("ExxonMobil"):*

95. M/s ExxonMobil has provided details of its exports to India during POI. The adjustments considered are weighted average commission (*** \$/MT), inland freight (*** \$/MT), bank charges (*** \$/MT), ocean freight (*** \$/MT), overseas insurance (*** \$/MT) and credit cost (*** US\$/MT), coming to a total of *** \$/MT. The **ex- factory Export price and dumping margin** are thus determined as *** US\$/MT and *** US\$/MT respectively.

(iii) *Non- cooperative producers/exporters:*

96. For the determination of the ex- factory export price for non- cooperative/ residual producers/exporters, the lowest export price transaction of the cooperative exporters, has been considered with the adjustments as considered for the cooperative exporters. The **ex- factory export price and dumping margin** for non- cooperative exporters are thus determined as ***US \$/MT and *** US\$/MT respectively.

H. Dumping Margins

97. Comparing the Normal Value and the ex- factory Export price as determined above, the Dumping Margin for the producers/exporters from Singapore are as follows:

Sr. No.	Producer/ Exporter	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
4.	M/s TPC through M/s Itochu Plastics Pte. Ltd.	***	***	5-15
5.	M/s ExxonMobil Chemical Asia Pacific	***	***	10-20
6.	Non cooperative producers/ exporters	***	***	20-30

ASSESSMENT OF INJURY, CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF INJURY

98. In a sunset review investigation, with regard to injury examination, the Authority is required to examine:

- Whether the domestic industry continues to suffer injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

99. The domestic industry has *inter alia* submitted that there is continued dumping of the product under consideration from the subject country though the volume of dumped imports has remained low as a result of current anti-dumping duties and dumping is likely to intensify should the current anti-dumping duty be revoked.

100. Therefore, the Authority has first examined whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject country before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties from the subject country. Examination of material injury to the domestic industry is in accordance with the Article 3 of the AD Agreement and Annexure II to the AD Rules, 1995.

I. Current Injury to the Domestic Industry and Causal Link

101. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... Taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to

a significant degree.

102. It is noted that the application for continuation of anti-dumping duty has been filed by M/s Reliance Industries Limited, who has a major proportion of total production of the subject goods in India. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the petitioner has been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the petitioner, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), has been examined.

• **Submission by the Exporters and Importers (Interested Parties):**

103. The interested parties made the following submissions:

- i. That there is no injury on account of the subject imports from Singapore as the volume is very low compared to other countries. Further, the interested parties had submitted that imports from Singapore constitute a very low percentage of the total demand in India.
- ii. That the injury parameters do not show any injury to the domestic industry. Moreover, from the very limited and confidential information provided in the application, it can be clearly inferred that there is no causal link between the imports from subject country and performance of the domestic industry.
- iii. That the subject goods are not dumped and, therefore, there is no justification for continued imposition of anti-dumping duties on producers and exporters from Singapore.
- iv. That the domestic industry has determined non-injurious price and resultant price underselling based on some confidential consideration, without even disclosing the components included. The interested parties further requested the Authority not to consider 22% return on capital employed.
- v. That the import prices of Singapore are more than that of other countries during the period of investigation. Therefore, no injury to the Domestic Industry can be attributed to imports from Singapore in any manner whatsoever.
- vi. That the landed value of imports from Singapore is higher than the selling price of the Domestic Industry in India. Further, as admitted by the domestic industry, there is negative price suppression. It is also submitted that even if the duties are continued on imports from Singapore, the selling price of the Domestic Industry will still be constrained by lower priced imports coming from other sources and the competition from the other domestic producers.
- vii. That any injury suffered by the Domestic Industry cannot be attributed to the subject goods from Singapore and must be attributed to other known factors like internal competition from other domestic producers and low imports from other countries.
- viii. That the causal link established in the original investigation concerned imports of subject goods from Oman, Saudi Arabia, and Singapore taken cumulatively. No specific assessment was made regarding the potential causal link between the subject goods from Singapore and the injury suffered by the Domestic Industry. Since the present review is only against the subject goods from Singapore, the causal link established in the original investigation is no longer valid and thus fresh determination of the causal link from Singapore is required.
- ix. The interested parties have argued that this injury to the domestic industry is on account of other factors and has nothing to do with the imports from Singapore as the volume of imports are very low.

• **Submissions by the Domestic Industry:**

104. The submissions made by the domestic industry with respect to injury and causal link are as follows:

- i. The importance of current imports in the India recedes into background while reaching the conclusion of likelihood. Accordingly, low or negligible imports of the subject goods during POI in the current investigation would be of no consequence. In support of their claim, the Domestic Industry has relied on the consistent practice of the DGAD and of other Authorities wherein little or no weight is given to the current level of imports in the sunset review investigations.
- ii. The domestic industry has provided all the information as per the requirements of the law as and when required by the Authority. It is only after getting satisfied with all the evidence that the Authority has initiated the sunset review investigation. The domestic industry reiterates that the petition fulfills all the requirements of law in terms of Section 9A(5) read with Rule 23. As all the information submitted is duly verified and is as per the prescribed format of the DGAD, the submission of the interested parties is without any merit.
- iii. The domestic industry had filed the anti-dumping petition against import of Polypropylene from some of the countries, which was withdrawn as considerable time had lapsed and application needed updating. The Domestic industry is analyzing the situation of imports from other countries also and is also in the process of updating the information for fresh filing.
- iv. The exporters from the subject country have not denied the allegation made by the domestic industry that the exporters continue to dump the subject goods. It is a settled principle that continued dumping is a very good indicator of the fact that there is every likelihood of continued dumping in the event duties are not extended.
- v. That no new further information/evidence should be accepted from the interested parties. Even during the

verification visit, they should be allowed to give only the back-up or supporting information. In either case, the same should be supplied to the Domestic Industry for its comments before accepting the same.

vi. That due to presence of continuous dumped and injurious imports from Singapore, the prices of subject goods domestic is significantly suppressed and below the total cost. Moreover, Domestic Industry has submitted that they had never admitted negative price suppression and depression from Singapore.

vii. That the exporters from the subject country had not provided any volume related information and therefore, domestic industry is handicapped to make any submissions or to assist the Authority in relation to their claims and submissions.

viii. That the domestic industry has followed the guidelines issued and followed by the Authority while constructing and providing the non-injurious price in the application for the purpose of the initiation of the sunset review investigation. It may also be important to note that the Authority has examined the information supplied by the Domestic Industry thoroughly even at the time of initiation. Therefore, the arguments of the interested parties that the domestic industry has not followed principles followed laid down in Annexure 3 are wrong and contrary to the facts on record.

ix. That the injury margin, dumping margin and price underselling are positive which is also a clear indicator that the likelihood of continuation of dumped and injurious imports of the subject goods is imminent in the event the Authority reaches a conclusion to withdraw the Anti-dumping duty.

x. That the responses of exporters/ producers from Singapore cannot be accepted as they have failed to provide complete information about the linked producer or their complete value chains. Therefore, their responses cannot be said as complete and needs to be rejected.

xi. That the argument regarding absence of causal link with the imports from Singapore, the domestic industry submits that it is settled jurisprudence that "causal link" is not a mandatory or necessary factor in any sunset review investigations in terms of both section 9A(5) of Indian Anti-dumping Rules as well as under Article 11.3 of WTO.

xii. That no material, data, information or evidence has been placed on record by the Opposing Parties to even remotely suggest that the causal nexus between dumped imports and injury is broken. In view of the aforesaid, the domestic industry requested the Authority to reject the arguments raised by the opposite interested parties

xiii. That the claim of interested parties about appropriateness of 22% return on capital employed while arriving at non-injurious price is also without any substance as this issue has been concluded against the such parties by the Appellate Tribunal in the case of Alkali Manufacturers Association of India Vs Designated Authority 2006 (194) E.L.T. 161 (Tri. - Del.). In view of this, Domestic Industry humbly requests the Hon'ble Authority to kindly reject the issue raised by the interested parties in relation to 22% on ROCE.

xiv. Regarding "dumping need not be the sole cause of injury", the domestic industry cited Final Finding No. 14/45/2010-DGAD dated 15th January, 2013 against the imports of Gypsum; EC Anti-dumping law – A Commentary on Regulation 384/96 by Dr. Wolf-Gang Muller, Nicholas Khan and Dr. Hans-Adolf Neumann; the case of Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil [WT/DS219/AB/R] and the case of Ceramic Tableware and Kitchenware.

xv. Regarding "importance of full cooperation by interested parties", the domestic industry stated that it has been consistently held likelihood analysis is essentially a forward looking exercise. In this regard, the domestic industry cited the Corrosion-Resistant Steel Sunset Review case and *Oil Country Tubular Goods Sunset Review case*, with respect to the issues of scope of review and nature of evidence required for a likelihood analysis.

xvi. Low or negligible imports of the subject goods during the POI in the current investigation would be of no use. In support of the said claim, (a) *sunset review anti dumping investigation concerning imports of 'ductile iron pipes' originating in or exported from China PR, [F No. 15/1006/2012 DGAD dated 4.09.2013]*; (b) *National Tariff Commission (Govt. of Pakistan)- initiation of review of definitive anti- dumping duty levied on dumped imports of Phthalic Anhydride into Pakistan originating in and/ or exported from India*; (c) *U.S. International Trade Commission-Final Findings- investigations no. 731- TA-929-931(Review)- Silicomanganese from India, Kazakhstan and Venezuela*, were cited.

xvii. There is nothing in law or jurisprudence to suggest that there should be affirmative and conclusive evidence even for the purpose of initiating a sunset review investigation. On the contrary, in terms of the Indian jurisprudence, a sunset review investigation is mandatory in terms of the India Metals case.

• Examination by the Authority

105. The various submissions of the interested parties and the domestic industry on injury to the domestic industry have been examined as per the information available on record. All relevant issues concerning the facts and figures are addressed in the injury analysis.

106. As regards the issue of low volume of imports from the subject country, the Authority notes that the volumes of imports in case of sunset review investigations could be low due to the existence of AD duty.

107. The Authority has used data and information as verified during the course of investigations to the extent considered necessary.

108. Further, it may be relevant to refer to the following provisions:

(i) **Section 9A (5):**

“The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

*Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of **dumping** and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:*

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.”

109. The above mentioned provision regarding likelihood of “dumping” implies that anti-dumping duty can be extended even if there are no imports during the period of review, i.e. that there is no dumping during the investigation period. The question of examining causality in such a case would not arise for the reason that causal link examination is not feasible, and is thus trivial. However, as the terms “dumping” and “injury” need to be examined together, it cannot be assumed that injury due to factors other than dumping be not considered or ignored. To this extent, the Authority has to satisfy itself about the cause and effect of continuing or likely injury.

110. The Authority also notes the submissions made by the domestic industry of various case laws on the situation of no dumped imports in POI, dumping not being even a principal factor leave aside being sole factor, assessment of likelihood of dumping and injury in a sunset review in a forward looking prospective mode and on whether causal link needs to be evaluated in an SSR or not? The Authority also notes the provisions of section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 on examining “continuation and recurrence of **dumping and injury**” in a sunset review.

111. The Authority notes that in the instant case, as imports of the subject goods have been there in the POI from Singapore, the dumping margin and injury margin have been computed for cooperative producers/ exporters and also for non cooperative producers/ exporters, based on the verified/available data.

112. The Authority notes that the relevant case laws while mentioning about forward looking analysis in a sunset review also highlight the relevance of present and past data as a factual foundation. The fact that case laws state dumping need not be a principal factor for injury in a sunset review does not imply that dumping as a factor loses its importance in entirety.

113. The causal link in a sunset review would no doubt be extremely relevant in original investigation but in case the situation in the original investigation and the sunset review undergoes such changes which may warrant reestablishing the causal link (as the trade remedy is intended to be provided to counteract injurious aspects of dumping), the same needs to be reestablished. In this regard the Authority has examined the prices of imports of subject goods from other countries who were there in the original investigation but on whom the AD duty was revoked, i.e. Oman and Saudi Arabia. Further, the Authority has evaluated the data for POI and post POI (6 months only) for cooperative producers/ exporters on one hand and non-cooperative on the other, both on the imports of subject goods in India from Singapore and exports of Singapore to third countries as per its consistent practice for a forward looking analysis in a prospective mode.

114. All other issues raised by the parties to this investigation have been addressed in the appropriate places and therefore, not repeated here.

115. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

116. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments have been considered in accordance with Annexure II of the Rules. All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above have been

examined as under: -

A. VOLUME EFFECT

(a) Volume effects of dumped imports

117. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the country as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table given below. The Authority holds that the demand for the subject goods in the country has increased during POI as compared to the base year.

Import Summary and Demand Analysis

Year	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Imports from subject country (MT)	MT	54676	54159	46912	63773
Trend	Indexed	100	99	86	117
Imports from other countries (MT)	MT	210954	191553	296076	482903
Trend	Indexed	100	91	140	229
Total Imports (MT)	MT	265631	245712	342988	546677
Trend	Indexed	100	93	129	206
Domestic Sales-Applicant	MT	1692668	1912502	1977649	1943684
Trend	Indexed	100	113	117	115
Sales-Other Domestic Producers	MT	370000	525000	700000	910000
Trend	Indexed	100	142	189	246
Total demand (MT)	MT	2328299	2683215	3020637	3400361
Trend	Indexed	100	115	130	146
% Share of subject country in demand	%	2.35	2.02	1.55	1.88
% Share of other countries in demand	%	9.06	7.14	9.80	14.20
% Share of domestic industry in demand	%	72.70	71.28	65.47	57.16
% Share of other domestic producers in demand	%	15.89	19.57	23.17	26.76

118. It is noted from the above Table that the imports of the subject goods from Singapore has increased in absolute terms in POI as compared to the base year i.e., 2010-11. The imports from Singapore have gone up from 54676 MT in the base year of 2010-11 to 63773 MT during the POI. It is also noted that the imports has increased by 35.94 % in the POI when compared to the immediate preceding year i.e., 2012-13. The imports from Singapore have increased in absolute terms in the injury investigation period despite the existence of anti-dumping duty. A similar trend is seen in respect of imports from other countries and sales of domestic industry.

(b) Import Volume & Market Share

119. It is noted that the imports volume from the subject country has increased in the POI as compared to any of the previous injury period despite the existence of the anti- dumping duty in force. It is important to note that the share of imports from Singapore as a percentage of total imports has however declined. The below-mentioned table provides details of the volume of imports and share of Singapore and other countries in total imports in India.

Import Share

Year	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Imports from subject country	MT	54676	54159	46912	63773
Imports from other countries	MT	210954	191553	296076	482903
Total Imports	MT	265631	245712	342988	546677
Share of subject country in Imports	%	20.58	22.04	13.68	11.67
% Share of other countries in Imports	%	79.42	77.96	86.32	88.33

B. PRICE EFFECT

120. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the Singapore has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For

the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the Singapore. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of the principles outlined in Annexure III by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI.

- **Price Undercutting**

121. The Authority notes that it is required to consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

122. The authority notes that there is negative price undercutting from Singapore in the POI as well as in the three preceding years. The price undercutting calculation can be seen from the table below. The price undercutting is also negative for the two cooperative producers/exporters, i.e. M/s ExxonMobil (directly) and M/s TPC (through Ms Itochu).

Singapore	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Quantity	MT	54676	54159	46912	63773
Trend	Indexed	100	99	86	117
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	131	147
Landed value	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	122	142
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	(10) - 0	(10) - 0	(10) - 0	(10) - 0

- **Price Underselling**

123. The landed price of imports is also above the desirable selling price of the domestic industry, resulting in a negative price underselling as can be seen from the table below. The authority further notes that the weighted average injury margin both for M/s ExxonMobil, the producer cum exporter and for M/s TPC through M/s Itochu are negative, as mentioned in the paras ahead for these producers/ exporters.

Price Underselling – Consolidated

Factors	Unit	Singapore
Quantity	MT	63773
Trend	Indexed	100
Non-Injurious Price	Rs./MT	***
Trend	Indexed	100
Landed value	Rs./MT	***
Trend	Indexed	100
Price Underselling	Rs./MT	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling	Range	-(0-10)

b. Price Suppression

124. To examine the price effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales. The data given below shows that the domestic industry's selling price has by and large increased to commensurate with the increase in its cost of sales during the POI.

Price suppression

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend – Indexed		100	116	127	144
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend – Indexed		100	117	131	147

C. OTHER ECONOMIC PARAMETERS

125. Annexure II to the Anti- dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. **The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports** on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The Authority has also examined this in the context of the impact of dumped imports as stated above in this para. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

- **Production, capacity and capacity utilization**

126. The Authority notes from the table below that capacity of the domestic industry has remained same throughout the injury investigation period as compared to the base year. Capacity utilization has decreased as compared to the immediate preceding year. However, the same has increased as compared to the base year. Similarly, production for the product under consideration has also increased from the base year but decreased when compared to the immediate preceding year i.e., 2012-13 despite the fact that during the same period demand has increased.

Capacity Utilization

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Installed capacity	MT	26,85,200	26,85,200	26,85,200	26,85,200
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	24,94,413	27,39,976	28,10,245	28,04,699
Trend	Indexed	100	110	113	112
Capacity Utilization	%	93	102	105	104
Trend	Indexed	100	110	113	112

- **Sales of the Domestic Industry**

127. From the information given below, the Authority notes that the domestic sales of the domestic industry have increased in the POI as compared to base year as there is increase in the demand during the POI *vis-à-vis* base year. The share of sales of domestic industry in demand in the POI has increased. At the same time while share of subject country has decreased, the share of other countries has increased.

Domestic Sales

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Domestic Sales	MT	1692668	1912502	1977649	1943684
Trend	Indexed	100	113	117	115

- **Profits, Return on Investment and Cash Flow**

128. The return on investment, profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below:

Profitability

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	131	147
Cost	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	127	144
Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	69	110
Profit/ Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	59	96
Profit before interest	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	62	91
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	153	66	151
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	59	114

129. The Authority notes that it is a fact that the financial situation of the domestic industry is in bad shape and they are incurring cash losses during the injury investigation period. It is further observed that the increase in selling price is by and large in tandem with the level of costs. The profit before interest has also declined significantly in the POI as compared to the base year and has reached substantial negative levels in the POI. It has been further noted that the return on capital employed has also followed the same trend as of Profit / (Loss) and remained negative in the POI.

- Inventories**

130. The data given in the table below shows that the inventory levels with the domestic industry have increased significantly by 135% i.e., from *** MT in the base year to *** MT in the POI, despite increase in demand.

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	151	235

- Employment, Productivity and Wages**

131. From the table given below, the Authority notes that the number of employees has decreased during the injury investigation period despite the prospects of increase in demand. Further, it is noted that the wages per employee has remained constant throughout the injury investigation period. Similarly, productivity per employee has also increased in the POI as compared to the base year.

Productivity					
Year	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Production	MT	24,94,413	27,39,976	28,10,245	28,04,699
Trend	Indexed	100	110	113	112
Employees	No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	94	93
Production/employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	120	121
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	113	112
Wages/employee	Rs.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	96	101

- **Magnitude of dumping**

132. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject country is positive in POI.

Producers/ Exporters	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin Range
	USD/MT	%	%
TPC through Itochu	***	***	5-15
ExxonMobil	***	***	10-20
Others	***	***	20-30

- **Growth**

133. The Authority notes that there was negative growth of the domestic industry in terms of profits, cash profit as well as ROI in the POI as compared to the base year despite significant increase in demand. The domestic industry has contended that with high capacity utilization and increasing demand, the domestic industry had expected positive growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Capacity Utilization	Indexed		10	13	12
Profit	Indexed		4	-41	-4
Cash Profits	Indexed		53	-34	51
ROCE	Indexed		-2	-41	14
Inventory	Indexed		-6	51	135

- **Factors affecting domestic prices**

134. The data above indicates that there is an appreciable growth in demand. The dumped imports from the Singapore are though entering the Indian market but not at prices below the non-injurious price of the Subject goods of the domestic industry. The Authority, in view of import prices of the subject goods from countries other than the subject country, holds that the domestic prices appear to be affected by imports from the countries other than the subject country, whose share has also increased in the POI and year before it.

- **Actual and potential impact on Growth**

135. It is noted that there is a healthy growth in demand of the product and the domestic industry has added capacity and increased production and sales. However, the cause of the injury to the domestic industry does not appear to be the imports from the cooperative producers/exporters from the subject country but possibly due to low landed value-imports from countries other than the subject country which may or may not be dumped.

- **Ability to raise capital investments**

136. It is noted that with the antidumping duty protection against dumped imports from Singapore and with a healthy growth in demand, the domestic industry has submitted that all these investments would be financially jeopardized if the dumped and injurious imports from the subject country are allowed to enter into the country without the anti-dumping duties. The Authority holds that the likely impact of injurious imports has been examined both in the POI and later in analyzing the likelihood of injury aspect. Also since the prices of the subject goods from countries other than Singapore have been lower than the NIP, its impact on the financial health of domestic industry has been a possible factor of injury to the domestic industry.

- **Level of dumping & dumping margin**

137. The margins of dumping of imports of the subject goods from the subject country, as determined in the previous section, are positive even though the volume of imports from Singapore is not very significant.

OVERALL ASSESSMENT OF CURRENT INJURY AND CAUSAL LINK

138. The above analysis of various factors indicate that physical performance of the domestic industry in terms of capacity, production and domestic sales of the subject goods improved during the injury investigation period. However, the financial performance of the domestic industry has deteriorated because of the price pressure of imports mainly from countries other than Singapore. The domestic industry continues to suffer material injury in terms of financial losses and negative return on capital employed.

• **Volume and prices of imports from other sources**

139. The data below shows the volume of imports and their price trends from subject country and other countries:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI
Import Volume						
Imports from Singapore	MT	54676	54159	46912	63773	106866
Trend	Indexed	100	99	86	117	195
Top 6 Countries Imports						
KOREA RP	MT	36865	31689	42817	52030	42106
KUWAIT	MT	19842	14097	18296	31040	36756
SAUDI ARAB	MT	83905	73293	151870	152204	208013
THAILAND	MT	13254	12374	7869	29498	43868
U ARAB EMIRATES	MT	10774	39868	48678	63192	93448
OMAN	MT	10941	10473	12910	12156	16105
Total from Top 6 Countries	MT	175581	181793	282440	340120	440296
Trend	Indexed	100	104	161	194	251
Imports from Other Countries	MT	35373	9760	13636	49727	42607
Trend	Indexed	100	28	39	141	120
Total Imports	MT	265631	245712	342988	453620	589769
Trend	Indexed	100	93	129	171	222
Import Price (CIF Value per MT)						
Imports from Singapore	Rs/MT	67,636	76,252	83,811	98,185	102972
Trend	Indexed	100	113	124	145	152
KOREA RP	Rs/MT	70913	79350	84564	99942	105693
KUWAIT	Rs/MT	61303	70356	77687	92890	88434
SAUDI ARAB	Rs/MT	62646	70679	77541	90248	87772
THAILAND	Rs/MT	70370	79365	87751	100894	97622
U ARAB EMTS	Rs/MT	62976	69345	75438	89013	86923
Oman	Rs/MT	61222	72561	76348	93548	89864
Total Top 6 countries	Rs/MT	64745	72573	78482	92755	90440
Trend	Indexed	100	112	121	143	140
Imports from Other Countries	Rs/MT	62,680	72,422	78,171	95,530	94,476
Trend	Indexed	100	116	125	152	151

140. The above data indicates that the prices of the imports of the subject goods from countries other than Singapore, are lower than those from Singapore. The Authority after examining the export prices trends in POI and post POI from Singapore to India including those to the third countries, holds that import prices of cooperative producers/ exporters from Singapore have not caused injury and also not likely to cause injury to the domestic industry.

• **Contraction in demand and / or change in pattern of consumption**

141. It is noted that the demand of the subject goods in the country has grown consistently from base year to 2011-12 indicating a healthy demand situation in the country. It is noted that none of the interested parties has made any submission about the change in the pattern consumption of the subject goods causing injury to the domestic industry. In fact, with the growth in general economic performance the consumption of the subject goods is expected to increase which is reflected in the healthy demand position. Therefore, contraction in demand or change in consumption pattern is not a factor affecting the performance of the domestic industry.

• **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

142. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the injury to the domestic industry. The Authority rather holds that the landed value of imports from Singapore is higher despite the existence of a preferential duty on imports from Singapore.

• **Development in Technology**

143. The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.

• **Export performance of the domestic industry**

144. The export performance of the domestic industry is not relevant since the Authority has considered only the domestic performance of the Domestic Industry for injury analysis.

• **Magnitude of injury and injury margin**

145. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, margins of injury with respect to the importation of the subject goods from the subject country have also been determined. For determination of injury margin, the Authority has determined the Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry as well as the landed value for exporters from Singapore as per the procedures laid down in Annexure III of the Anti Dumping Rules.

146. The landed value of the subject goods for the exporters from Singapore is as follows:

(i) *The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd ("TPC") through M/s Itochu Plastics Pte. Ltd. ("Itochu"):*

147. The weighted average landed value of the subject goods for M/s TPC- M/s Itochu (the producer- exporter combination) has been determined by adopting weighted average CIF of the subject goods in POI and adding 1% handling charge and applicable customs duty. The weighted average landed value is thus computed as *** \$/MT.

(ii) *ExxonMobil Chemical Asia Pacific ("ExxonMobil"):*

148. The weighted average landed value of the subject goods for M/s ExxonMobil has been determined by adopting weighted average CIF of the subject goods in POI and adding 1% handling charge and applicable customs duty. The weighted average landed value is thus computed as *** \$/MT.

(iii) *Non- cooperative producers/exporters:*

149. In order to arrive at the landed value for residual/non- cooperative producers/exporters, 1% handling charge, applicable customs duty have been added to the lowest export price (CIF) from amongst the cooperative producers/ exporters from Singapore. The landed value is thus computed as *** \$/MT.

150. Accordingly, the NIP for the domestic industry and the margins of injury for the product under consideration have been determined as follows:

Particulars	Unit	ExxonMobil	TPC through Itochu	Others
Singapore				
NIP	US\$/MT	***	***	***
Landed Value	US\$/MT	***	***	***
Injury Margin	US\$/MT	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***
Injury Margin	Range	Minus (0-5)%	Minus (0-5)%	Plus (0-10)%

• **Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury**

151. It is noted that the subject goods continue to enter the Indian market from Singapore at dumped prices though volume of imports which remained constant initially but increased in the POI. Rules require the Authority to examine if the dumping is likely to continue and whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties are revoked.

• **Views of the Domestic Industry**

152. The domestic industry, in its submissions, has argued that there is continued dumping of the products under consideration from Singapore. The volume of dumped imports has increased, the dumping margin and injury margin is positive. It has been submitted that dumping of the product under consideration is likely to intensify from Singapore should the current anti dumping duty be revoked.

153. That the legal requirement for continuation of anti-dumping duties in terms of Section 9A(5) read with Rule 23(1B) is to ascertain the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event the duties are not extended. With respect to the determination of a likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury, the Appellate Body on US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review noted that, as this likelihood determination is a prospective determination, “the authorities must undertake a forward-looking analysis and seek to resolve the issue of what would be likely to occur if the duty were terminated.”

154. The domestic industry is already suffering injury and revocation of anti-dumping duty shall lead to intensified injury to the domestic industry. Cessation of anti-dumping duty is likely to have significant suppressing and depressing effect on the prices of the product under consideration in the market.

155. The producers in subject country maintain huge capacities. Further, the representative of Exxon Mobil had admitted that the local demand in Singapore is negligible and they are mainly exporting the subject goods. It is further submitted that as admitted by one of the producer / exporter namely M/s Exxon Mobil that their biggest export market is China followed by Vietnam, Indonesia and India. In this context, the domestic industry submits that as per the published information available with the domestic industry, China (who is net importer of subject goods) is going to be self-sufficient by end of 2015 as new capacities of subject goods will fulfil the local demand. It is, therefore, imminent that the exporters from Singapore would be left with additional surplus material which was hitherto finding market in China. From the Table below, it can be clearly seen that there is a significant reduction in the imports in China.

Unit '000 MT	Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Source
Capacity in China	MT	15764	17642	20801	24332	26989	IHS Chemical
Production in China	MT	13200	14772	17239	19785	22122	IHS Chemical
Demand In China	MT	17880	19496	21221	22803	24389	IHS Chemical
Imports in China	MT	5010	5019	4132	3167	2417	IHS Chemical
Reduction In Imports	MT		-9	888	1843	2593	
Reduction In Imports	%		0%	-18%	-37%	-52%	

Unit '000 MT	Unit	2013	2014	2015	2016	2017	Source
Capacity in Singapore	MT	1448	1485	1485	1485	1485	IHS Chemical
Production in Singapore	MT	1135	1363	1293	1234	1245	IHS Chemical
Demand In Singapore	MT	42	43	43	44	45	IHS Chemical
Imports in Singapore	MT	552	580	550	560	600	IHS Chemical
Total Material Available for Supply	MT	1687	1943	1843	1794	1845	IHS Chemical
Net Qty Available for Exports	MT	1958	2022	1992	2001	2040	

156. It is further admitted position that China is the major market for Singapore. Therefore, any reduction in imports in China will have direct adverse impact on the exporters from Singapore and in the event duties are not continued there is every likelihood that the quantities supplied to China will find its way to Indian market. The Authority may also like to appreciate that the producers/exporters of subject goods have more than 140% of the production at their disposal which is significant by any standards. Therefore, in the event duties are withdrawn against Singapore, this excess produced will definitely route to India given the advantage they have over the other suppliers.

157. Due to the advantages (like freight, free trade agreement (FTA) and huge demand in India) to the exporters from Singapore, India will become the prime target.

158. That the price undercutting and price underselling analysis provided in the petition pertain to POI and not for post POI period. Unless information with respect to post POI is examined, it cannot be said that there is a likelihood of injury to the domestic industry.

159. That the likelihood determination under Article 11.3 entails an analysis of future events based on positive evidence available and as a result, the mere computation of a dumping margin will not discharge the burden required under Article 11.3. It is further contented that in the petition filed by the domestic industry, there is no post-POI data given.

160. That the interested parties requested the authority to direct the domestic industry to submit the Post-POI data in order to conduct likelihood determination by the authority and also provide the interested parties a copy of the same for their comments thereon.

161. From the above, it is clear that in case the of revocation of anti-dumping duties, the volume of imports of the subject goods is bound to increase further, which is also evident from the fact of continued dumped imports in spite of imposition of duty from the Singapore.

162. That there are positive and significant injury and dumping margins even when calculated based on the prices from Singapore to countries other than India.

163. In view of the above, domestic industry has submitted that there is every likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury once the duties are withdrawn, as withdrawal of the anti-dumping duties will provide a free access to the manufacturers/exporters of the subject goods from Singapore to dump the subject goods in India.

• **Submissions by producers/exporters/importers/interested parties other than the DI**

164. That the domestic industry has not provided any evidence to prove that there is any likelihood or continuation of dumping and injury.

165. That the domestic industry has not provided post POI information in the petition, therefore, interested parties cannot comment on the post POI performance of the domestic industry.

166. That the Article 9A(5) of the Tariff Act and Rule 23(1A) of the Tariff Rules condition the maintenance of an anti-dumping measure on a determination, based on positive evidence and a firm evidentiary foundation, that the removal of that measure would likely lead to continuation or recurrence of both dumping and injury. Absent such determination, the Authority must terminate the anti-dumping measure.

167. That the strong and increasing domestic demand for polypropylene has led the Domestic Industry to increase its sales volume, output, capacity utilization, productivity, and ability to raise capital while benefitting from high domestic prices. This clearly excludes any likelihood of continuation or recurrence of injury should the anti-dumping measure on the Subject Goods from Singapore be allowed to expire.

168. Interested parties have disputed the claims of the domestic industry that there exist huge capacities in subject country which would lead to a likelihood of recurrence of dumping and injury because of imports from Singapore. It has been argued that mere existence of huge capacity is not a ground for extension of antidumping duty as has been held by the Appellate Body. The petitioners should provide concrete evidence for the existence of huge capacities and mere conjecture must not be accepted by the DGAD.

169. That the evidences provided by the domestic industry in relation to freely disposable capacities in the subject country are not fully substantiated and duties cannot be extended merely on the basis of the existing disposable capacities.

170. That the domestic industry has provided no evidence to establish the likelihood of recurrence of dumping. Moreover, there is no merit in the argument of domestic industry provided in relation to likelihood of recurrence of dumping.

• **Examination by the Authority**

171. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from Singapore. Under the Rules, the Authority is required to determine whether revocation of the anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

172. The quantity of PUC imports in the POI on the basis of the DGCI&S, DG Systems and data provided by the cooperative producers/ exporters broadly correlate to each other. The injury analysis on macroeconomic injury parameters is thus undertaken on the basis of the DGCI&S data.

173. The following is the analysis about the likelihood of dumping and further injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties:

(i) **Level of current and past dumping margins from the subject country**

174. The examination in the previous sections concludes that the level of dumping margin from Singapore is positive.

(ii) **Available capacities in the subject country**

175. The Authority observes that Singapore has although surplus capacities and only 3% to 4% of the total production in Singapore is meant for local consumption, there is a high level of export intensity of polypropylene from producers from Singapore. The Domestic Industry has submitted that a large portion of Singapore's exports (39%) goes to China. Further, the total imports by China are showing a declining trend due to China becoming self-sufficient. This indicates likelihood that Singapore goods which are being exported to China might be diverted to India if AD duty is withdrawn. Other interested parties have disputed the claim and have argued that mere availability of capacity cannot be a ground for extension of duties. The Authority, notes that while there could be an imminent likelihood of diversion of subject goods to India if the AD duties are revoked, the price behavior of producers/ exporters of Singapore to China as well as to India in Post POI (6 Months) as examined from the WTA data shows that the diversion of exports of the subject goods to India, may not lead to injury.

(iii) **Level of injury based on export prices from subject country to other countries**

176.

Sr. No.	Country	Landed Value (\$/MT) [DURING POI]	Landed Value (\$/MT) [POST POI- 6 months]
1.	Oman	1562	1480
2.	Kuwait	1551	1517
3.	Saudi Arabia	1507	1516
4.	UAE	1486	1431
5.	Singapore	1656	1671

177. The overall DGCI&S data both for POI and post POI, from the above table, evidences that injury to the domestic industry appears to be more so on account of imports from countries other than Singapore as the landed values of exports from Oman, Kuwait, Saudi Arabia and UAE for both POI and post POI are lower than not only that of Singapore but also lower than the NIP for both POI and post POI. As the share of imports of subject goods from Singapore has decreased in POI while that from other countries has increased, and with the price trends as shown in the above table, it is quite evident that the threshold of selling prices is being triggered by the countries other than Singapore.

(iv) **Price Attractiveness of the Indian Market and Demand Scenario**

178. Indian market for the subject goods continues to have an increasing demand for the product which is in line with the general economic growth. The market thus remains attractive for the global players with surplus capacity who may like to export to India. Therefore, if the duties are removed the Indian market may become much more attractive as the exporters may be able to realize better prices to the extent of the level of the current duties absorbed by them. The

Authority keeping this aspect in view, has evaluated the price trends of the subject goods from the subject country to analyse continued injury. The prices in POI and post POI to India and to countries other than India, show a non injurious impact. The availability of preferential duty on imports from the subject country has also not led to decrease in the landed values which could be a possible fall out in response to the low landed values of the subject goods from other countries. This, therefore, implies that there does not appear to be a likelihood of injury even though demand of the subject goods may increase in India.

(v) **Trend in imports in the post POI period**

179. Examination of the trend in imports and prices in the post-POI period indicates that the third Countries POI and Post POI weighted average export prices of goods exported by M/s Exxon are *** \$/MT and *** \$/MT respectively which if diverted to India would be non injurious. M/s TPC's third country weighted average export prices in POI and Post POI are *** \$/MT and *** \$/MT respectively which if diverted to India would also be non injurious. Itochu's Post POI export price to India of goods produced by M/s TPC is *** \$/MT which also is non injurious. The post POI price trends are depicted in the following table:

POST POI TRENDS:

I. Source: World Trade Atlas

	Normal Value (US\$/MT)	NIP (US\$/MT)	Dumped Transactions (%)	Injurious transactions if diverted to India (%)
Exports to third countries from Singapore	***	***	95.96	None

	Normal Value (US\$/MT)	NIP (US\$/MT)	Dumped Margin (%)	Dumped Margin Range	Injury Margin (%)
Exports to India from Singapore	***	***	***	5-10	Negative

II. Source: Exporters' Questionnaire Responses

Exports to **third countries** from Singapore

	Dumping Margin Range	Landed Price (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)
TPC	0-10	***	Negative
Exxon	0-10	***	Negative

Exports to **India** from Singapore

	Dumping Margin Range	Landed Price(US\$/MT)	Injury Margin(US\$/MT)
TPC	0-5	***	Negative
Exxon	5-10	***	Negative

180. It is noted that during the period when AD duty was in force on imports from subject country, the imports from Singapore increased by 58%. For increase in imports volume besides the increase in demand of subject goods in India, factors like available capacity with producers/exporters in Singapore and a possible diversion of their third countries exports to India could also be responsible. However, the increase in exports from Singapore in POI and post POI by the cooperating exporters is found to be non injurious to the domestic industry. The cumulative exports in post POI from the subject country to India and other countries is also found to be non- injurious. Therefore, even if AD duty is revoked, exporters from Singapore may even though be at dumped prices, they would not be causing injury to the domestic industry.

181. Although there has been an increase in the imports from Singapore, their prices are higher than the NIP of the subject goods determined for the domestic industry in POI and also higher than the export prices from other countries like Saudi Arabia, Oman, UAE and Kuwait to India. Therefore, it is the countries other than Singapore who set the benchmark prices triggering price suppression and consequent injury to the domestic industry.

182. In case of non-cooperative producers/exporters treated as residual category, the Authority is not in a position to evaluate and analyse their specific price behavior regarding exports of the subject goods in POI and Post POI period to India and other countries. In the present SSR, therefore, it cannot be held with certainty that for such exporters' injury is being caused by non-subject countries. The Authority therefore recommends the imposition of AD duty on all non-cooperative producers/exporters in the current investigation, as determined in accordance with the lesser duty rule.

COMMENTS ON DISCLOSURE

COMMENTS BY DOMESTIC INDUSTRY

183. The issues raised by the domestic industry during the public hearing, written submissions, the rejoinder statement and other submissions which do not find mention or have not been dealt with appropriately in the disclosure statement may also be treated as a part of our comments to the disclosure statement and the same are not repeated herein for the sake of brevity.

184. The Domestic Industry requested the Authority to exclude Polypropylene having ethylene content of more than 15% from the scope of product under consideration since no producer in India is producing the said product.

185. *Propylene based Elastomer (Vistamaxx)* is a specialized product with very specific properties and niche application as standalone polymer. A comparative chart of the property differentiates is provided below.

Sl No	Characteristics	Impact Co-Polymer	Propylene based Elastomer (Vistamaxx)
1	% Co-monomer Ethylene	5-15%	15-25%
2	% Ethylene Propylene Rubber (EPR)	10-30%	40-55%
3	Density	0.887-0.905 g/Cm ³	0.863-0.878 g/CM ³
4	Catalyst	Regular Diesters or Diether based catalysts	Metallocene catalysts
5	Production Technology	Unipol/ Spheripo/Adipol etc	Exxpoll Metallocene Technology
6	Melt Flow Index (230°C) g/10Min	1.5 -50	80-300
7	Hardness 15 Sec	84-98	72-77
8	Vicat Softening Point 200g (°c)	140-150	46-50
9	Performance Characteristics	Higher Tensile Strength, Lower Breaking Elongation, High Stiffness High Heat distortion Temperature (HDT) High Melting Temperature Higher Crystallinity Higher Density	Lower Tensile Strength, Better Breaking Elongation, Low Stiffness Low Heat distortion Temperature (HDT) Low Melting Temperature Lower Crystallinity Lower Density
10	End Uses	In making of Appliances Components, Automobile Components, furniture as standalone polymer	Hardly used as standalone Polymer with niche application (non woven –elastic bandage which can not be produced by ICP) 85-90% is used as Modifier in recipes for production of various types of Polypropylene end products.

186. Propylene based elastomers like Vistamaxx have high ethylene content in the range of 15-25% which is very high as compared to the co-polymer of propylene and ethylene (ICP) produced by the Domestic Industry where the co-monomer polymer ethylene is only 5-15% of total composition. This has resulted in to wide difference in EPR values which are 40-55% in Vistamaxx and only 10-30% in ICP. It was also brought to your notice that only 2-3 manufacturers in the world have the commercially viable production facilities for such elastomeric polypropylene.

187. At the time of the initial investigations, RIL had attempted to produce co-polymers with high Ethylene content but could not do so on a sustainable basis because of technology constraints. It is confirmed that the Domestic Industry has no capacity to produce such grades due to technology constraints. It is for this reason that the Domestic Industry in

its SSR application had itself removed the high Ethylene content products like Vistamax from the import data and the purview of investigations.

188. Copolymers of high Ethylene content of more than 15% have different applications and are, therefore, priced much higher than the copolymers produced by the Domestic Industry. The market for these co-polymers is totally different and these products are neither technically nor commercially substitutable to the products produced by the Domestic Industry.

189. The Authority is requested to exclude all co-polymers of Propylene and Ethylene having Ethylene content of more than 15%, such as Vistamaxx from the purview of the investigations To support the aforesaid request of the Domestic Industry, it cited the following findings of the DGAD, wherein the Authority has withdrawn the duties as the Domestic Industry had stopped producing subject goods covered by that investigation:

(a) Ethylene-Propylene-Non-Conjugated - Diene-Monomer (EPDM) Rubber from China PR European Union, USA, and Brazil [15/2/2009 DGAD dated 6.8.2009];

“24. Having concluded that the revocation of the anti dumping measures would not affect any domestic industry since presently there is none producing the subject goods in the country; the Authority is of the opinion that the measure is required to be revoked in respect of imports from European Union, USA, China PR and Brazil.”

(b) Sodium Tripoly Phosphate (STPP) from China PR [15/18/2011 DGAD dated 10.2.2012]

“21. Having concluded that the revocation of the anti dumping measures would not affect any domestic industry since presently there is none producing the subject goods in the country; the Authority is of the opinion that the measure is required to be revoked in respect of imports from China PR.”

190. Submission of TPC ought to be rejected as it had exported the subject goods to India through M/s Itochu Plastics Pte. Ltd and M/s Marubeni Chemical Asia Pacific PTE Ltd. But since Marubeni has not filed the exporter's questionnaire response, value chain of TPC cannot be considered as complete and ought to be rejected in light of the recent jurisprudence as emerging out of the Authority's following findings:

- ARW Case

“142 (ix). As regards the submission by Citic Dicastal that it has no control over unrelated producers to force them to cooperate in the present investigation and its export price should not be rejected on this ground, the Authority notes that the issue has been appropriately and adequately addressed in the relevant paras of this final finding. Nevertheless, the Authority notes once again that significant volume of exports (75%) made by the Company are out sourced by Citic Dicastal from other producers, who have not cooperated with the Authority by filing exporters questionnaire response in the present investigation. Since complete value chain of the majority of the exports made by the Company is absent before the Authority, the Authority has not granted individual margins to Citic Dicastal.” (Emphasis Added)

- Plain Medium Density Fibre Board (MDF) SSR;

“37. The Authority notes that M/s Dongwha MDF (M) Sdn. Bhd. (DMM) (producer) and Dongwha Global Sales Sdn. Bhd.(exporter) from Malaysia, two related entities, have also filed questionnaire response. From the questionnaire response of Dongwha Global Sales Sdn. Bhd., who is the trader/exporter of Dongwha MDF (M) Sdn. Bhd., the Authority notes that the exporter has procured the subject goods from M/s Dongwha MDF (M) Sdn. Bhd. amounting to 1,18,326 CBM. The exporter Dongwha Global Sales Sdn. Bhd. has exported the subject goods in the POI to India as well as other countries. The total export volume is 2,63,699 CBM, out of which the export to India is 1,266 CBM. The exporter Dongwha Global Sales Sdn. Bhd. has not provided complete information regarding the procurement of the balance quantity. Further, in its questionnaire response, M/s M/s Dongwha MDF (M) Sdn. Bhd. has mentioned that M/s Dongwha Fibreboard Sdn. Bhd. (DFB) is also indulged in domestic sales. DFB, a related company of DMM, has not filed any questionnaire response. Since DMM is selling the goods in the domestic market to two related companies and the value chain of the goods produced is not complete, the Authority, therefore, as per its practice, has not determined the individual dumping margin in respect of M/s M/s Dongwha MDF (M) Sdn. Bhd., Malaysia and M/s Dongwha Global Sales Sdn. Bhd., Malaysia.”

- Flexible Slabstock Polyol (FSP);

“90. With regard to the submission of SEPL/SETL for confirming the provisional conclusions of the Authority in the Final Findings, the Authority notes that the manufacturing operations of the subject goods are managed by SCSL a 100% owned subsidiary of SEPL. The Authority also notes that the sales of the subject goods have been made by Shell Eastern Chemicals (S), a registered business owned by SETL. It is also noted that the payments for the goods sold are received by Shell Eastern Chemicals (S). While SEPL and SETL filed EQR, SCSL and Shell Eastern Chemicals (S) have not filed EQR in spite of a specific direction issued by the Authority at the time of public hearing held on 12.9.2014. In the absence of complete value chain of production and sale of subject goods, the Authority has rejected the EQR filed by SEPL and SETL.”

- Solar Cells;

“55. The Authority notes that First Solar SDN BHD, Malaysia, in addition to their exports through their related party namely First Solar GmbH, Mainz, Germany, has made substantial volume of exports of the subject goods to India during the POI through many parties who have not cooperated in the present investigation. Consequently, the complete value chain of the exports of subject goods by First Solar SDN BHD, Malaysia to India during the POI is absent before the Authority. Consequently, the Authority is not in a position to determine and grant individual margins to First Solar Malaysia.”

- USB Case: the Authority has rejected the response of ATP Electronics, Taiwan as they failed to file the questionnaire response of related party who is involved in the production of subject goods. We humbly reiterate our request to follow the same criterion in the instant case also.

- Saccharin Case: the Authority has rejected the response of M/s Tianjin Changie Chemical Co. Ltd. only on the ground that initially questionnaire responses were not filed and then filed at very later stage of the investigation by the related companies involved in the exports and domestic sales of the subject goods during the POI. However, it was clarified that related companies are only special purpose vehicle and they are not involved in the production and sales of the subject goods, only their name was figuring in the invoices.

191. Response of ExxonMobil also should be rejected on the ground that EMCAP or EMAPPL has not shown any law which states that two different entities can be treated as one single entity for the purpose of anti-dumping investigations.

192. Recent decision of the Authority in the case of FSP, wherein response of Shell Eastern Chemicals was rejected on the ground that they have failed to file response on behalf of one of the related entity under similar circumstances even though the same facts were on record in the original investigations also.

193. There is every likelihood of injury to the Domestic Industry. Injury margin for both TPC and EMCAP was found to be negative during POI and Post POI (April 2014 to September 2014). The import data for October 2014 to March 2015 clearly proves that the landed value from Singapore declined very sharply by more than 6% i.e., from Rs. 103939 / MT to Rs. 97432 / MT for the period April 2014 to September 2014 and October 2014 to March 2015 respectively. The calculation of landed value is provided in the Table below:

Row Labels	Qty MT	Ass. Value Rs	Ass. Value (Rs/MT)	CIF Value (Rs/MT)	Landed Value (Rs/MT)
Post POI I					
Apr 14 – Sep 14	58204	5987283491	102867	101848	103939
Post POI II					
Oct-14-March 15	46427	4476831278	96426	95472	97432

194. From the above analysis it is amply clear that from the second half of the 2014-15, landed value from Singapore has declined. This proves that there is every likelihood of injury to the Domestic Industry.

195. The import data for October 2014 to March 2015 shows that the landed value from Singapore declined by more than 6% i.e., from Rs. 103939 / MT to Rs. 97432 / MT for the period April 2014 to September 2014 and October 2014 to March 2015 respectively. Therefore, the Authority is requested to extend the duties on all the exporters, so that Domestic Industry gets adequate protection.

196. Acceptance of documents/information post-hearing is against all principles of natural justice. Besides, case of CR Coils [Final Findings F. No. 18/11/2010-DGAD dated 5.12.2011] was also cited, wherein a formal detailed report by a public sector enterprise regarding the technical capability of the Domestic Industry was rejected on the sole ground that the same was filed after the public hearing. The relevant excerpt of the said final findings is reproduced below for the ready reference of the Authority:

“vii) Subsequent to the hearing of the interested parties followed by written submissions and rejoinders, the petitioner company has submitted a copy of the report of M/s. MECON Limited Ranchi vide their letter dated 14th July, 2011, which is beyond the time frame stipulated for written submissions and rejoinders subsequent to the oral hearing held on 14.3.2011.”

197. In view of the submissions advanced above, domestic industry request the Authority not to grant the individual

dumping and injury margin to the exporters from the subject countries and award residuary rate of duty. Moreover, any revocation of the duties will jeopardize the investments made by the Domestic Industry and would be detrimental to the overall interest of the Indian Industry.

COMMENTS BY IMPORTERS/ EXPORTERS/ OTHER INTERESTED PARTIES:

198. The continued imposition of anti-dumping measure on the subject goods from Singapore must be terminated on the ground that it was imposed on a discriminatory basis.

199. The GATT 1994 imposes a firm non-discrimination obligation on and between WTO Members, commonly referred to as the Most-Favoured-Nation (“MFN”) treatment obligation.

200. Article I:1 of the GATT 1994 defines the MFN treatment obligation as requiring that “[w]ith respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation [...], and with respect to all rules and formalities in connection with importation or exportation, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country [...] be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties”.

201. The revocations of the anti-dumping measures on the Subject Goods from Oman and Saudi Arabia were not based on a finding that the said imports were no longer dumped or causing injury to the Domestic Industry; nor did they result from the conduct of formal reviews pursuant to the Tariff Act and the Tariff Rules. In fact, on 9 August 2012, the Authority explicitly recognized that the revocation of the anti-dumping measure on the Subject Goods from Saudi Arabia did not derive from a reassessment of the Final Findings, and expressly confirmed the validity of the Final Findings as regards the Subject Goods from Oman.

202. In sum, the Central Government failed to impose the current anti-dumping measure on a non-discriminatory basis on all sources of imports found to be dumped and causing injury. In so doing, the Central Government violated Article 9.2 of the AD Agreement and Rule 19 of the Tariff Rules, and failed to comply with its MFN treatment obligation under Article I:1 of the GATT 1994 to the extent that it granted an advantage to the Subject Goods from Oman and Saudi Arabia which it did not grant to the Subject Goods from Singapore. The same reasoning and conclusion apply to the extension of the anti-dumping measure on the Subject Goods from Singapore for an additional twelve months upon the initiation of the present review, as well as to any potential continuation of that measure as a result of the present review.

203. In the Disclosure Statement, it has been noted in Paragraph 65, that no representation or challenge was made as to the withdrawal of ADD on Oman or Saudi Arabia before any judicial body by the exporters. This is not factually correct, as ExxonMobil had filed an appeal before the CESTAT against the duty notification, and also taken up this issue in the remand proceedings before the Designated Authority.

204. The Authority being a creature of statute, derives its powers from the Customs Tariff Act, 1975 (‘Act’) and the Rules made thereunder, and must act in accordance with the statute, whether or not an objection is made by the parties. Therefore, the duties on Singapore are discriminatory and invite attention to its earlier submissions on the issue.

205. Whether the revocations of the anti-dumping measures on imports from Oman and Saudi Arabia were challenged before the Indian courts is irrelevant in assessing the discriminatory nature, and thus legality, of the anti-dumping measure on imports from Singapore.

206. Rule 18 of the Tariff Rules provides that “any provisional duty [...] or an anti-dumping duty [...] shall be on a non-discriminatory basis and applicable to all imports [...], from whatever sources found to be dumped and [...] causing injury to the domestic industry.” As a result, the anti-dumping measure was maintained (and later extended) on imports from Singapore only, in violation of Rule 18 of the Tariff Rules and the corresponding provisions of WTO law. On that basis alone, therefore the anti-dumping measures on imports from Singapore should be terminated.

207. The anti-dumping measure on the subject goods from Singapore must be allowed to expire because there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

208. Section 9A(5) of the Tariff Act provides that anti-dumping measures shall expire within five years of their imposition unless it is found, in the framework of a sunset review, that “cessation of such [measures] is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.” To extend the anti-dumping measure, the Authority must thus find that termination of the anti-dumping measure would likely lead to continuation or recurrence of injury.

209. The Authority must establish a clear causal link between the termination of the anti-dumping measure, on the one hand, and likely continuation or recurrence of injury, on the other hand. This causal link must necessarily be based on positive evidence and a firm evidentiary foundation, and cannot derive solely from the mechanic application of presumptions. Any injury suffered by the domestic industry could not be attributed to imports from Singapore and that the anti-dumping measure should thus be terminated.

210. The Disclosure Statement is welcomed, inasmuch as it records, that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, were the duties allowed to expire. The significant increase in price and insignificant sales volume and market share of the Subject Goods from Singapore exclude any possible causal relationship between the injury (if any) suffered, or likely to be suffered, by the Domestic Industry and the Subject Goods from Singapore.

211. Any injury suffered, or likely to be suffered, by the Domestic Industry must be attributed to other factors such as: (i) lower-priced imports from other countries, (ii) increased competition from polypropylene domestic producers, (iii) the Domestic Industry's inability to sustain regular supplies of consistent quality to the domestic polypropylene market, and not to the Subject Goods from Singapore.

212. The domestic industry, argues that Vistamaxx has an unusually high ethylene content, in the range of 15% to 25%, and is not a polypropylene. Vistamaxx, is a co-polymer of propylene and ethylene. The ethylene content in Vistamaxx is below 16%. Vistamaxx and Polypropylene are generally used together for end applications, which require enhanced elasticity. Vistamaxx is a specialized polypropylene, which gives greater elongation and tenacity to the end product. For the case on hand therefore, Vistamaxx falls within scope of product under consideration.

213. In the original proceedings, the Domestic Industry had specifically argued that Vistamaxx meets all technical and commercial parameters applicable to polypropylene, and therefore should be considered as subject goods. The Domestic Industry had also claimed that they had the capability to make Vistamaxx in India. On this basis, duties were imposed on Vistamaxx, and for the last 6 years, the importers have paid duty on imports of Vistamaxx. The argument of the domestic industry, now that Vistamaxx is not subject goods, is totally without merit.

214. All information requested by the Authority has been provided on whether Vistamaxx is to be considered a polypropylene during the on-site verification conducted between 24-25 November 2015. The Authority's assessment is affirmed that the PUC and its scope would not be altered in the present sunset review.

215. Pursuant to Article 11.3 of the AD Agreement, Article 9A(5) of the Tariff Act, and Rule 23 of the Tariff Rules, the Authority can maintain an anti-dumping measure only if it finds that expiration of the said measure would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Here, the evidence plainly shows that there would be no likelihood of continuation or recurrence of injury should the anti-dumping measure on the Subject Goods from the exporters from Singapore be allowed to expire. There is no legal basis to maintain the anti-dumping measure on the Subject Goods from Singapore and the said measure must thus be allowed to expire and terminated in its entirety.

216. TPC submits that it sells at competitive prices in India, and that there has not been any dumping. Any injury suffered by the petitioner (which has a dominating, non-competitive market share in India) is much more likely to be caused by accelerated growth of new domestic producers or the low priced imports from countries other than Singapore.

217. Therefore, it is submitted that there is no case for extension of duties for a further period of 5 years, as removal of duties on imports from Singapore is not likely to cause continuance or recurrence of injury to the Domestic industry.

218. Hence, the foregoing discussion demonstrates that, pursuant to Article 11.3 of the AD Agreement, Article 9A(5) of the Tariff Act, and Rule 23 of the Tariff Rules, the Authority can maintain an anti-dumping measure only if it finds that expiration of the said measure would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. There is no legal basis to maintain the anti-dumping measure on the Subject Goods from Singapore and the said measure must thus be allowed to expire and terminated in its entirety.

EXAMINATION BY AUTHORITY

219. Relevant case laws cited by domestic industry in the rejoinder have been addressed in appropriate previous paras. The Authority notes the submissions of the domestic industry regarding exclusion of vistamaxx from the purview of investigation on the ground of vistamaxx having different technical properties from those of copolymers produced by the domestic industry, and being a modifier in terms of the end use.

220. The Authority in this regard reiterates that the PUC in the present SSR is being considered the same as that in the original Final Findings dated 23.10.2010. The issue of excluding specific grades was dealt with at length in paras 33 to 39 of the original Findings. The Authority holds that various grades of polypropylene were bundled as PUC and the like article test was based on the bundled PUC. It is no doubt appreciated that grades- mix of the composite PUC may undergo change on the basis of production, changing capability, demand/ supply from time to time. However, this does not call for dynamically altering the grade mix of the composite PUC which has been frozen and adopted in the original Findings after examining the inclusion & exclusion of various grades along with the like article test.

221. Further the two cases/findings of the DGAD, viz EPDM Rubber case from China and STPP from China, cited by the domestic industry are not applicable to the present investigation. Since in each of the said cases, the production of the PUC in its entirety was closed/stopped by the domestic industry, and therefore the AD duty was withdrawn/ revoked considering the larger interest of the domestic users of the subject goods. The present SSR, on the other hand, concerns specifically altering the grade mix which has passed the test of 'like article'. In para 29 of the original Findings, the domestic industry had submitted their views on cost and price aspects. In para 31, the domestic industry

had also submitted that, “*compounding is a process of adding additives to change the properties of the grade which include colour, tensile strength, temperature resistance, impact strength etc. before using the subject goods for the manufacture. However, the basic form and the product does not change which remains polypropylene only. Therefore, compounds are not to be excluded as the product essentially continues to remain Polypropylene.*”

222. The Authority in para 33 of the original Findings, noting the submission of the domestic industry and other interested parties, held that it would not be correct to state that compounds are not part of the product under consideration. Certain grades of vistamaxx as stated by the exporter in the para 17 of the original Findings, were also included in the scope of the PUC, and continued so and were later also subjected to AD duty.

223. The properties of vistamaxx vis-a-vis impact co- polymer (hereinafter referred to as “ICP”) as submitted by the domestic industry, in response to the Disclosure Statement, to differentiate between vistamaxx and ICP, are quite overlapping with the submissions on properties mentioned by the domestic industry in para 31 of the original Findings. These properties were broadly considered by the Authority in the original Findings as well, to freeze the PUC for inclusion of various grades. Therefore, there appears to be a contradiction in domestic industry’s advocacy for exclusion of certain grades without any substantial merits for further segregation and differentiation in grades on almost the same set of properties, on the basis of which the PUC was finalized in the original findings. The specific grade i.e. vistamaxx satisfies the definition of PUC and like article.

224. The authority therefore does not agree to the submissions of the domestic industry and holds the PUC and its scope to be the same as defined in the original Final Findings and also in the initiation notification of the present SSR.

225. It is also noted that during the 5- year period when the AD duty was in force on the subject goods, the domestic industry did not approach the Authority for seeking a mid- term review for a change in the scope of the PUC and consequential determinations. As regards domestic industry’s contention on the import data of years prior to POI submitted by them, the Authority holds that this data is essentially to capture a broad trend only, while the dumping and injury margin are evaluated for POI where the verified data is adopted.

226. The domestic industry has urged the Authority to reject M/s TPC’s response on the ground that one of its exporting channels of the subject goods to India, i.e. M/s Marubeni has not filed any response. The domestic industry has also cited various findings of DGAD to support the aforesaid claim. In this regard, the Authority notes that in the instant case, the majority exports (almost 80%) of M/s TPC are through M/s Itochu who have responded in the present SSR and whose data has also been verified along with M/s TPC through an on- site verification.

227. The Authority has also correlated the exports data of M/s TPC to India through M/s Marubeni during the POI with the data provided by the DG Systems. In this regard, the Authority notes that in the original Final Findings, M/s TPC has exported through five channels all of whom were awarded an individual dumping margin and AD duty as per the producer- exporter combination. In the present SSR, as only M/s Itochu has responded as a cooperative exporter with M/s TPC as the producer, the Authority has determined individual dumping margin and AD duty only for the M/s TPC- M/s Itochu combination, and rendering the remaining channels of M/s TPC as non- cooperative. These non-cooperative exporters have been evaluated for recommendation of AD duty as per the consistent practice of the Authority by adopting the highest Normal Value and the lowest export price of cooperative producer/exporter.

228. Thus the Authority holds that in view of majority exports being made by TPC through M/s Itochu in POI, the cases cited by the domestic industry on incomplete value chain due to non reporting of majority exports to reject M/s TPC’s response, are not relevant in the instant case. The Authority has therefore determined individual dumping margin and injury margin for M/s TPC’s exports through M/s Itochu in the POI.

229. The Authority notes that the records, as also verified on site at the producer- cum- exporter’s premises, evidence that:

- a. EMCAP is a division and trading arm of EMAPPL.
- b. EMCAP is registered as a proprietorship under the Singapore Business Registration Act (Cap. 32).
- c. EMCAP is one of the six trading divisions of EMAPPL having same GST number for all.
- d. None of the documents proves that EMCAP is a private limited company.
- e. In the original finding also EMCAP had filed response on behalf of EMAPPL stating that it was not a separate legal entity from EMAPPL even though it was a registered proprietorship concern.

230. The Authority notes the submissions of the domestic industry and reiterates that EMCAP is only a division and a trading arm of EMAPPL engaged in the business of PUC without being a separate private limited company. This aspect was verified by the team of officers on site. The Authority further notes that the domestic industry did not contest the issue of change of the scope of the PUC nor the issue of EMCAP being treated as an appropriate entity for determination of normal value, export price & injury margin, before DGAD or any other appropriate forum. Therefore, the Authority has considered the response filed by EMCAP for determination of normal value, export price and landed value for appropriate conclusions.

231. As regards new information the Authority notes that the Cooperative producers/exporters verification was undertaken post Public hearing. The process of verification entails validation, possible rejection, partial validation/rejection, appropriate modification of format/content/backup is based on the actual verification. All such data is intrinsically related to the questionnaire acquired in the process of verification which forms basis of a fair determination cannot be avoided or discarded. This has been a consistent practice of the Authority for any onsite verification which at times may happen post hearing depending on an administrative or procedural requirement. .

232. The Authority notes the submissions made by the cooperative Producers/Exporters from Singapore regarding discriminatory continued application of ADD duties on exports from Singapore, when the ADD duties on exports from Oman and Saudi Arabia were withdrawal. The Authority notes that in its findings of the post decisional oral hearing no. 14/5/2009-DGAD dated 09/08/2012 Pursuant to the Hon'ble Tribunal (CESTAT's) Misc. Order No. AD/M/2-4/2012-CU (DB) dated 14/05/2012, it had held that the Customs Notification No. 130/2011 – Customs dated 30th December, 2011, the Central Govt., in exercise of powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 revoked the duties on imports from Saudi Arabia but without finding any fault with the final findings dated 23rd August, 2010 of the Authority. The Authority has further noted that the notification revoking the duties was prospective in nature and therefore the contentions made by ExxonMobil, inter alia that ADD duties are discriminatory, were devoid of any merit. The Producers/Exporters from Singapore after such a judgment, if desirous, could have further represented before an appropriate body for relief.

233. As regards the post POI- II trends submitted by the domestic industry, the Authority notes that the feedstock for production of polypropylene is petro based whose international prices have shown consistent down trend due to fall in crude prices. Therefore the fall in landed value needs to be seen this context. The Authority has in fact captured the above trend in the post POI of 6 months by an appropriate comparison of landed values and broadly determined NIP for post POI (6 months) as per its consistent practice.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

234. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of antidumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. It is recognized that the continued imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

RECOMMENDATIONS

235. The Authority holds that even though the subject goods exported by the cooperative producers/ exporters, i.e. M/s ExxonMobil directly and M/s TPC through M/s Itochu were found to be dumped, they did not cause injury to the domestic industry in the POI and post POI (6 months). Also the above producers/exporters' export prices to the countries other than India in POI and post POI were found not to be causing injury to the domestic industry in the event of the diversion of their exports to India.

236. The Authority however holds that the non-cooperative producers/ exporters in POI and post POI to India and to countries other than India, could not be specifically evaluated due to non availability of responses from them. Therefore, on the basis of the consistent practice of the DGAD to reference the highest Normal Value and the lowest Export Price of cooperative producers/exporters, the Authority holds that aforesaid non cooperative producers/ exporters would cause injury to the domestic industry in the event of the withdrawal of ADD on their exports of the subject goods to India.

237. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 8 of the table below is recommended on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

DUTY TABLE

S. No.	*Heading/Sub Heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producers	Exporters	Duty Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	39021000 and 39023000	'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	The Polyolefin company (Singapore) Pte. Ltd.	Itochu Plastics Pte. Ltd.	Nil	MT	US\$
2.	39021000 and 39023000	'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	The Polyolefin company (Singapore) Pte. Ltd.	Any Other	145.2	MT	US\$
3.	39021000 and 39023000	'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	Exxon Mobil Chemical Asia Pacific	Exxon Mobil Chemical Asia Pacific	Nil	MT	US\$
4.	39021000 and 39023000	'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Singapore	Any other	145.2	MT	US\$
5.	39021000 and 39023000	'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	Any combination other than as specified at Sr. nos. 1-4.		145.2	MT	US\$
6.	39021000 and 39023000	'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Any country other than Singapore	Any	Any	145.2	MT	US\$
7.	39021000 and 39023000	'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Any country other than Singapore	Singapore	Any	Any	145.2	MT	US\$

*** The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of this investigation.**

238. Landed value of imports for the purpose of this Notification is the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

FURTHER PROCEDURE

239. An appeal against the order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the customs, excise and service tax appellate tribunal (CESTAT) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

240. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act, rules and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

A.K. BHALLA, Designated Authority